

प्राथमिक विज्ञान किट

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

वार्षिक रिपोर्ट
1969-70

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली-16

जून 1971
ज्येष्ठ 1893

प्रकाशन विभाग में सैयद ऐनुल आबेदीन, सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान भवन, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली १६ द्वारा प्रकाशित तथा राजेन्द्र रवीन्द्र प्रिन्टर्स (प्रा०) लिमिटेड, रामनगर, नई दिल्ली-५५ में मुद्रित ।

विषय सूची

परिशिष्ट

परिषद्

परिषद्

1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की, जो एन० सी० ई० आर० टी० के नाम से प्रसिद्ध है, एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापना, सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन 1 सितंबर 1961 को की गई थी। परिषद् की स्थापना हो जाने पर, इसने केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (1947), केन्द्रीय पाठ्यपुस्तक अनुसंधान ब्यूरो (1954), केन्द्रीय शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्ग-दर्शन ब्यूरो (1954), अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (1955), माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय (1955, 1959), राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा संस्थान (1959), राष्ट्रीय समाज शिक्षा केन्द्र (1956), तथा राष्ट्रीय श्रव्य दृश्य शिक्षा संस्थान (1959) अपने हाथ में ले लिए। भारत सरकार द्वारा इन सभी संगठनों का गठन स्कूली शिक्षा की प्रगति के लिए सुविधाएँ प्रदान करने की दृष्टि से किया गया था। उल्लिखित सभी संगठनों को हाथ में लेने के बाद, परिषद् ने अपने कार्य को मान्यता दी ताकि यह प्रभावी तौर पर कार्य कर सके।

2. परिषद् का वित्त-पोषण पूर्णतया भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस समय, यह शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के शैक्षणिक पक्ष के रूप में कार्य कर रही है और यह स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में मंत्रालय की नीतियों तथा मुख्य कार्यक्रमों के तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन में उनकी सहायता करती है। मोटे तौर पर परिषद् के कार्य ये हैं :

(क) स्कूली शिक्षा से संबंधित अध्ययन, जाँच तथा सर्वेक्षण करना;

(ख) सेवा-पूर्व और सेवा-कालीन प्रशिक्षण का आयोजन करना, खासतौर से उच्च स्तर पर;

(ग) विस्तार सेवाओं का आयोजन करना;

(घ) सुधरी हुई शैक्षिक तकनीकों तथा क्रियाओं का स्कूलों में प्रसार करना, तथा

(ङ) स्कूली शिक्षा से संबद्ध सभी मामलों पर विचारों तथा सूचना के निकास-गृह के रूप में कार्य करना।

3. इस प्रकार के कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकने के लिए, परिषद् राज्यों के शिक्षा विभागों और विश्वविद्यालयों तथा स्कूली शिक्षा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए देश में स्थापित आमतौर पर सभी संस्थाओं के साथ निकट सहयोग से कार्य

करती है। इसके अलावा, परिषद् विश्व भर में इसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के साथ निकट संपर्क रखती है। परिषद् द्वारा की गई जाँच के निष्कर्ष जनता को उपलब्ध कराने के लिए यह पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा साहित्य का प्रकाशन करती है।

4. अपने उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त परिषद् ने शिक्षा के क्षेत्र में तथा अनुसंधान के निमित्त अनुदेश देने के लिए अनेक संस्थाओं का गठन किया है। परिषद् अपने क्षेत्र-सलाहकारों के कार्यालयों की मार्फत सभी राज्य सरकारों के साथ निकट संपर्क रखती है।

परिषद् का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है।

5. दिल्ली में, परिषद् का राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है। इस संस्थान का मुख्य संबंध अनुसंधान, अल्पावधि प्रशिक्षण आदि से है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के अनेक विभाग हैं, जैसे पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग, पाठ्यपुस्तक विभाग, अध्यापक शिक्षा विभाग, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग, शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा आधार विभाग, विज्ञान शिक्षा विभाग, अध्यापन साधन विभाग, आधार सामग्री प्रक्रिया तथा शैक्षिक सर्वेक्षण एकक, पुस्तकालय, प्रलेखीय तथा सूचना सेवा एकक और प्रकाशन एकक। प्रत्येक विभाग का संबंध उसी को सौंपी गई परियोजनाओं से है। इसके अलावा परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कुछ आधारभूत कार्य भी किया जाता है परंतु कुल मिलाकर, जो अधिकांश जाँच-पड़तालें की जाती हैं, वे व्यावहारिक किस्म की होती हैं और तात्कालिक उपयोगिता की दृष्टि से उन्हें महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

6. केन्द्रीय शिक्षा संस्थान का प्रतिष्ठा केन्द्र के रूप में संचालन परिषद् द्वारा किया जाता है। इसमें एक-वर्षीय बी० एड० तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का प्रबंध है और यह दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

7. परिषद् अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर में चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों का संचालन करती है। ये संस्थाएँ स्थानीय कालेज हैं जिनमें व्यापक प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा निवास सुविधाएँ हैं। वे चार-वर्षीय विषय वस्तु एवं शिक्षण पाठ्यक्रम का संचालन करते हैं जिन्हें पूरा करने पर विज्ञान में बी० एस-सी०, बी० एड० तथा भाषाओं में बी० ए० बी० एड० उपाधियाँ मिलती हैं। ये पाठ्यक्रम विश्व के कुछ अन्य देशों में प्रवृत्त विचारों को आत्मसात करते हुए तैयार किए गए हैं। अनेक देशों में आमतौर पर यह विश्वास किया जाता है कि शिक्षा को इंजीनियरी, औषधि-विज्ञान जैसे व्यावसायिक विषय के रूप में माना जाना चाहिए और छात्रों को इन विषयों में और शिक्षण में साथ-साथ प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय कालेजों में चलाए जा रहे चार-वर्षीय पाठ्यक्रम इसी अवधारणा को कार्यान्वित करने के लिए हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय कालेज एक-वर्षीय बी० एड० पाठ्यक्रम भी चलाते हैं। ऐसे एक-वर्षीय पाठ्यक्रमों में विशेष महत्त्व के वे पाठ्यक्रम हैं

जो कृषि तथा वाणिज्य से संबंधित हैं। प्रशिक्षण पा रहे छात्रों को हर मुमकिन सीमा तक, कार्य अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं. ताकि स्कूलों में अध्यापक बनने पर वे उसका प्रसार स्कूलों में कर सकें। ये कालेज अपने स्नातकोत्तर पक्षों का भी विकास कर रहे हैं और क्षेत्र के अध्यापकों के लिए सेवाकालीन तथा सेवा-पूर्व दोनों कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। क्षेत्रीय कालेजों का इस ढंग से विकास किया जा रहा है कि वे देश के चारों क्षेत्रों के लिए आदर्श अथवा विशिष्ट केन्द्रों के रूप में कार्य करें। वे संबंधित क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के साथ तथा राज्य के शिक्षा विभागों के साथ निकट सहयोग से कार्य करते हैं।

8. उपर्युक्त विवरण में उस पद्धति का एक स्थूल चित्र झलकता है, जिसमें परिषद् का कार्य संगठित है। परंतु, परिषद् अपनी इस स्थूल पद्धति से बँधी हुई नहीं है। परिणामतः परिषद् द्वारा संचालित सभी संस्थानों में उपलब्ध सभी सुविधाओं का किसी निर्णय के कार्यान्वयन में अथवा प्रदत्त परियोजना के शीघ्र निष्पादन के लिए यथावश्यकतानुसार उपयोग किया जाता है।

9. केन्द्रीय शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री परिषद् की महासमिति के अध्यक्ष हैं। राज्यों के तथा विधानांगों वाले संघ राज्यक्षेत्रों के सभी शिक्षा मंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद् परिषद् के पदेन सदस्य होते हैं। इनके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, चार विश्वविद्यालयों के कुलपति और भारत सरकार के बारह नामजद व्यक्ति जिनमें से चार अध्यापक होते हैं, और कार्यकारी समिति के सभी सदस्य परिषद् के सदस्य होते हैं। शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में भारत सरकार का सचिव पदेन सदस्य होता है। इस प्रकार के गठन से उच्चतम स्तर पर और पारस्परिक सहमति से नीति विषयक निर्णय लेना संभव हो जाता है। इसी पृष्ठ-भूमि में भारत सरकार ने परिषद् से राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड के रूप में कार्य करने का निवेदन किया है।

10. परिषद् का प्रशासन एक कार्यकारी समिति करती है जिसमें परिषद् का अध्यक्ष, परिषद् के निदेशक और संयुक्त निदेशक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, दो अध्यापक, परिषद् के संकायों के तीन सदस्य और दो जाने माने शिक्षाविद होते हैं। यह कार्यकारी समिति परिषद् के कार्यों से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेती है। इस प्रकार के निर्णय लेने में कार्यकारी समिति की सहायता के लिए एक कार्यक्रम सलाहकार समिति की व्यवस्था की गई है, जो परिषद् के कार्यक्रमों की जाँच करती है और उन्हें चालू करती है। इस समिति में परिषद् की संकाय के अलावा विश्वविद्यालय विभागों और राज्य शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि होते हैं। एक वित्त समिति वित्तीय प्रभाव वाले सभी मामलों पर कार्यकारी समिति को सलाह देती है। चारों क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों के लिए अलग-अलग प्रबंध-समितियों का गठन किया गया है जिनका अध्यक्ष उस विश्वविद्यालय का कुलपति होता है जिससे वह संस्था संबद्ध है। यह प्रबंध-समिति संबंधित संस्था के सीधे हित के मामलों पर कार्यकारी समिति को सलाह देती है।

11. इनके अलावा, कार्यकारी समिति आमतौर पर स्थायी समितियों की नियुक्ति करती है, जो विभिन्न विशिष्ट प्रश्नों पर विचार करती है, और जिनमें परिषद् के प्रतिनिधि और भारत के किसी भी भाग के इस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। इस प्रकार विज्ञान में अध्ययन समूहों से संबंधित समस्याओं, देश में विज्ञान शिक्षा में सुधार के लिए यूनेस्को-यूनीसेफ-सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित समस्याओं, राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना आदि को पहले तो जाने-माने विशेषज्ञों के स्तर पर ही सुलझाए जाने की आवश्यकता है।

12. शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय स्वयं कई समितियों की अथवा बोर्डों की नियुक्ति करता है। ऐसे बोर्डों में आम तौर पर परिषद् का प्रतिनिधित्व होता है। और जहाँ भी आवश्यक होता है, ऐसे बोर्डों और समितियों को उनके नित्य प्रति के कार्य में सहयोग देने के अलावा, यह अपेक्षित विशेषज्ञ सलाह देती है। इस प्रकार, परिषद् केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यपुस्तक बोर्ड आदि के साथ निकट सहकारिता में कार्य करती है। एक ओर शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय व उसकी समितियाँ और दूसरी ओर परिषद्, इन दोनों के बीच का संबंध इतना अविरत और निकट का है कि इस संबंध को अथवा अलग इकाई के रूप में परिषद् जिस विशिष्ट ढंग से कार्य करती है, उसे स्पष्ट शब्दों में परिभाषित करना असंभव सा है। इस प्रकार का घनिष्ठ संबंध परिषद् के प्रभावी कार्य संचालन में सहायक होता है और असाधारण सीमा तक इसके काम में, विशेषकर जो कुछ भी यह सूत्रबद्ध करती है उसके कार्यान्वियन में सहायता करता है।

परिषद् के कार्यकलाप

13. परिषद् ने भारत भर में स्कूल शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा पर पहले ही महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इसने विभिन्न किस्मों में आदर्श स्कूल पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिन्होंने देश में ही नहीं प्रत्युत बाहर भी शिक्षाविदों का ध्यान आकृष्ट किया है। इसने मुख्यतः वस्तुमूलक उपलब्धि परीक्षाओं के लिए परीक्षाप्रश्न तैयार करने में अनेक राज्य शिक्षा बोर्डों की सहायता की है। इसने यूनेस्को-यूनीसेफ की सहायता से विज्ञान अध्यापन की पर्याप्त सामग्री का विकास किया है। यह सामग्री देश भर में अनेक प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बाँटी गई है। इसके अलावा, यूनेस्को-यूनीसेफ परियोजना के अंतर्गत प्रकाशित विज्ञान पुस्तकों का स्कूल स्तर पर प्रयोग के लिए भारत में कई भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। परिषद् विज्ञान क्षेत्र में अच्छे छात्रों के चयन के लिए एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता का आयोजन करती है। यह राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना अत्यंत लोकप्रिय हुई है और इससे निर्धन परिवारों के भी छात्रों को शिक्षा में उच्चतम स्तर तक अर्थात् पी-एच०डी० तक अविच्छिन्न और वित्तीय चिन्ता से मुक्त रहकर अपना अध्ययन करने का अवसर मिला है। इस योजना के लिए परीक्षाएँ अब संघ की सभी भाषाओं में रखी जा रही हैं और समूची कार्य विधि को निरंतर समीक्षाधीन रखा जाता है ताकि विभिन्न सुधार किए जा सकें।

14. परिषद् ने विभिन्न संगठनों द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों का विभिन्न दृष्टिकोणों से मूल्यांकन किया है और लगातार मूल्यांकन कर रही है। अनेक राज्य संगठनों से परिषद् को इस आशय की प्रार्थनाएँ प्राप्त होती रहती हैं कि पुस्तकों का या पांडुलिपियों का मूल्यांकन किया जाए। अनुसंधान परियोजनाओं को सहायतार्थ अनुदान देने की परिषद् की योजना से बहुत से विश्वविद्यालय विभाग, अध्यापक शिक्षण कालेज, अनुसंधान संस्थाएँ आदि महत्त्वपूर्ण अनुसंधान के कार्य में रत हो गई हैं। इन अनुसंधानों के कुछ परिणामों का स्कूल शिक्षा पर पहले ही जोरदार प्रभाव पड़ चुका है। परिषद् शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधानों को प्रकाशित करने में वित्तीय रूप में सहायता करती है। इसके अलावा, यह अभिभावक शिक्षक संघ आदि जैसे संगठनों को बढ़ावा देती है। उदीयमान युवा अनुसंधान कार्यकर्त्ताओं की सहायता करने के लिए; परिषद् 300 रु० तथा 500 रु० के मूल्य की क्रमशः अवर तथा प्रवर मासिक वृत्तियाँ प्रदान करती है और उनके अभिवर्द्धन के लिए सुविधाएँ प्रदान करती है।

15. परिषद् ने अपने घटक एककों के माध्यम से अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहुलता कम करने की एक विक्षेत्र परियोजना पर कार्य शुरू किया है। इस योजना में, नियोजित शिक्षकों को बी० एड० करने में सहायता देने के लिए अवकाश एवं पत्राचार अध्यापन उपलब्ध कराया जाता है।

16. परिषद् के कार्य की एक सामान्य विशिष्टता, स्कूल अध्यापकों को विकास की सुविधाएँ और अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के ग्रीष्म कालीन संस्थानों का आयोजन करना है। इसके अतिरिक्त, अपने कार्य को सार्थक बनाने के लिए परिषद् ने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 90 से अधिक विस्तार सेवा केन्द्र, और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 40 से अधिक ऐसे केन्द्र स्थापित किए हैं जो देश भर में फैले हुए हैं। इसके अलावा, परिषद् भारत के सभी भागों से लिए गए शिक्षा कर्मचारियों तथा अध्यापकों एवं अन्य विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने के लिए विचार गोष्ठियों और कार्यक्रमों का निरंतर संचालन करती है। परिषद् में नियोजित विशेषज्ञों के लिए भारत के अनेक राज्यों एवं राज्य शिक्षा बोर्डों सहित स्कूली शिक्षा में रुचि रखने वाले बहुत से संगठनों से निरंतर तथा अनंत माँग आती रहती है।

17. राष्ट्रीय संपूर्णता और भारत की मौलिक एकता का विचार बच्चों के मस्तिष्क में भरने के लिए, परिषद् मूल्यवान साहित्य का प्रकाशन करती है और विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के विभिन्न शिविरों का आयोजन करती है। परिषद् द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री आदि ने विशेष ध्यान आकृष्ट किया है। धार्मिक नेताओं पर प्रकाशित परिषद् की पुस्तक माला ने अपने देश के एवं समग्ररूप में विश्व के विचारों और संस्कृति में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है।

वार्षिक रिपोर्ट

1969-70

वार्षिक रिपोर्ट

1969-70

1. परिचय

प्रतिवेदन वर्ष में परिषद् तथा इसके कार्यकलापों का पुनर्गठन किया गया। अनुसंधान, सर्वेक्षण, अध्यापकों के सेवा-पूर्व और सेवा-कालीन प्रशिक्षण आदि कार्यकलाप पिछले वर्षों की ही तरह परिषद् का ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं। इन सभी कार्यकलापों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है, तथा परिषद् के कार्य का यथासंभव कुछ मूल्यांकन प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है।

2. परिषद् का पुनर्गठन

भारत सरकार ने परिषद् के संयोजन ज्ञापन की धारा 6 के अधीन 26 जनवरी, 1968 को योजना आयोग के सदस्य डा० बी० डी० नाग चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति को परिषद् के कार्यकलापों की प्रगति की समीक्षा करनी थी और इसमें भविष्य के विकास हेतु मार्ग-दर्शनों की रूप-रेखा तैयार करनी थी। इस समिति की रिपोर्ट 20 अगस्त; 1968 को केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को पेश की गई थी। परिषद् के प्रबंध निकाय की बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी और प्रबंध निकाय के विचारों से भारत सरकार अवगत थी। समीक्षा-समिति की रिपोर्ट पर भारत सरकार के संकल्प को परिशिष्ट I में सविस्तार उद्घृत किया है। परिषद् के संयोजन ज्ञापन की धारा 6 के अधीन परिषद् को सरकारी संकल्प में यथानिर्दिष्ट अनुदेशों का अनुपालन करना था। परिषद् और उसके कार्यकलापों के पुनर्गठन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया गया था। इस संकल्प की कार्यान्विति के विस्तृत लक्षणों को नीचे दिया गया है।

2.1 **नियमों का संशोधन** : 26 नवंबर, 1969 की अपनी बैठक में प्रबंध निकाय ने परिषद् के नियमों में अपेक्षित संशोधन मसौदे पर विचार किया तथा परिषद् की महा समिति से इनकी सिफारिश की। 18 दिसंबर 1969 की अपनी वार्षिक आम बैठक में परिषद् की महा समिति ने इन संशोधनों को सर्व सम्मति से स्वीकार किया तथा उनको भारत सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा गया था।

भारत सरकार ने अपने दिनांक 23 जनवरी, 1970 के पत्र संख्या एफ० 1-19/69—एन० सी० ई० आर० टी० में इन के अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान की।

तब इनको परिषद् के सचिव द्वारा समितियों के पंजीकार को दिनांक 30 जनवरी, 1970 के पत्र संख्या एफ० 23-2/69-ई० I के साथ प्रस्तुत किया गया और तब ये नियम प्रवर्तन में आए। इसके तुरंत बाद परिषद् ने अपने विभिन्न निकायों को पुनर्गठित करने के लिए अपेक्षित नामांकनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

पुराने प्राधिकरणों के सदस्यों के नाम तथा 1969-70 वर्ष में परिषद् के नए गठित प्राधिकरणों के सदस्यों के नाम परिशिष्ट 2 में दिए गए हैं।

2.2 **संस्था का ज्ञापन** : सरकारी संकल्प के अनुसार परिषद् के संयोजन ज्ञापन में भी संशोधन की आवश्यकता थी। परिषद् के संयोजन ज्ञापन को परिषद् के नियमानुसार संशोधित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

2.3 **राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान** : परिषद् अपने दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान को चलाती है। सरकारी संकल्प की अपेक्षाओं के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभागों का पुनर्गठन तथा पुनर्निर्माण किया गया। फलत: के अब निम्नलिखित राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान विभाग/एकक है :

(क) पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग
(ख) विज्ञान शिक्षा विभाग
(ग) सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग
(घ) पाठ्यपुस्तक विभाग
(ङ) अध्यापक शिक्षा विभाग
(च) अध्यापन-सहायता विभाग
(छ) शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा-आधार विभाग
(ज) आधार सामग्री प्रक्रिया तथा शैक्षिक सर्वेक्षण एकक
(झ) पुस्तकालय, प्रलेखीय तथा सूचना सेवाएँ

इस पुनर्गठन के परिणामस्वरूप क्षेत्र-सेवाएँ तथा शैक्षिक प्रशासन जैसे पुराने विभागों को समाप्त कर दिया गया तथा शिक्षा-आधार विभाग को मनोवैज्ञानिक आधार विभाग के साथ मिला दिया गया और इस नए विभाग का नाम शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा-आधार विभाग रखा गया। समीक्षा समिति ने एक विभाग अर्थात अध्यापक शिक्षा विभाग को समाप्त करने की सिफारिश की थी परंतु उसको जारी रखा गया है। राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यपुस्तक बोर्ड की सिफारिश पर एक नए 'पाठ्यपुस्तक विभाग' की स्थापना की गई। मापन तथा मूल्यांकन विभाग को स्थापित करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

समाप्त किए गए विभागों के कर्मचारियों को या तो दूसरे विभाग में अथवा समीक्षा समिति द्वारा सुझाए गए नए कार्यक्रमों में लगा दिया गया है।

परिषद् में ऐसे अनेक कर्मचारी भर्ती किए गए थे जिनका 'लियन' विभिन्न राज्य सरकार के विभागों में अपने-अपने पदों पर बना हुआ था। निर्देशानुसार ऐसे

सभी प्रतिनिधि कर्मचारियों के मामलों की जाँच की गई तथा उन पर कार्यवाही की गई। कुछ प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को उनके मूल कार्यालयों को वापिस भेजने की कार्यवाही की गई। अन्य मामलों में जिनकी सेवाएँ परिषद् के कार्य के लिए अपेक्षित हैं, उनको परिषद् में खपा लेने के प्रश्न पर संबंधित राज्यों से पत्र-व्यवहार चल रहा है।

समीक्षा समिति की सिफारिश के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा विभाग को शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय को हस्तांतरित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

2.4 **क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय** : समीक्षा समिति की सिफारिश के अनुसार प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य में चार वर्षीय पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में चार वर्षीय विज्ञान पाठ्यक्रम तथा चार वर्षीय भाषा पाठ्यक्रम को जारी रखने का प्रश्न विचाराधीन है। इसी तरह क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में दाखिल विद्यार्थियों के कुछ अनुपात तक छात्रवृत्ति को सीमित करने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

2.5 **केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली** : केन्द्रीय शिक्षा संस्थान को दिल्ली विश्वविद्यालय को हस्तांतरित करने के लिए पहले से ही कार्यवाही की जा चुकी है और इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।

2.6 **निदेशक :** समीक्षा समिति की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने परिषद् के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद के समकक्ष पूर्णकालिक निदेशक के पद का निर्माण किया तथा उसके चयन के लिए समीक्षा समिति द्वारा प्रस्तावित विधि को अपनाया गया। एक पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति की गई जिसने 14 नवंबर, 1969 को कार्यभार सँभाला।

3. परिषद्

3.1 **परिषद् के अधिकारीगण** : डॉ॰ वी॰ के॰ आर॰ वी॰ राव, केन्द्रीय शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री परिषद् के प्रधान थे। प्रो॰ एस॰ वी॰ सी॰ अय्या ने 14 नवंबर, 1969 को परिषद् के पूर्णकालिक निदेशक के पद का कार्यभार सँभाला। परिषद् के स्थानापन्न संयुक्त सचिव डॉ॰ शिव के॰ मित्र दूसरे नियत कार्य के लिए लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। वर्ष के पिछले छः महीनों में प्रो॰ जे॰ के॰ शुक्ल स्थानापन्न संयुक्त सचिव रहे। श्री पी॰ एन॰ नाटू ने 23 सितंबर, 1969 को सचिव के पद का कार्यभार छोड़ा तथा 1 जनवरी, 1970 तक श्री आर॰ एन॰ विज ने सचिव का कार्य प्रतिपादन किया। इसके बाद सैय्यद ऐनुल आबेदीन, आई॰ ए॰ एस॰ ने सचिव का कार्यभार सँभाल लिया।

3·2 **परिषद् के प्राधिकरण** : परिषद् की महा-समिति की वार्षिक आम बैठक नई दिल्ली में 18 दिसंबर 1969 को हुई जिसमें 1968-69 वर्ष की वार्षिक

रिपोर्ट तथा 1966-67 और 1967-68 वर्षों के लेखा विवरण पत्र तथा इन वर्षों से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त परिषद् के नियमों में संशोधन को सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

परिषद् की शासी निकाय की बैठकें 24 जून, 7 जुलाई, तथा 26 नवंबर 1969 को हुईं। इसके बाद कोई बैठक नहीं बुलाई जा सकी क्योंकि नई कर्मचारी समिति का गठन किया जाना था। इन बैठकों में शासी निकाय ने परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट को, परिषद् के बजट को, परिषद् के चौथे पंचवर्षीय योजना के मसौदे को स्वीकार किया तथा समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर सरकारी संकल्प को कार्यरूप देने पर विचार किया। शासी निकाय ने पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति के लिए भी कार्यवाही की। उसने पाठ्यपुस्तकों पर परिषद् में कार्य की समीक्षा के लिए एक समिति तथा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में चार-वर्षीय विज्ञान पाठ्यक्रम को जारी रखने के विषय पर विचार के लिए दूसरी समिति की नियुक्ति की।

वित्त समिति की बैठकें 22 अगस्त तथा 16 दिसंबर 1969 को हुईं तथा उसने राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षुओं की नियुक्ति, शिक्षण एककों के समीक्षकों को अदा किए जाने वाले पारिश्रमिक की दरें, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान तथा केन्द्रीय विज्ञान वर्कशॉप के लिए अतिरिक्त पदों का सर्जन, कर्मचारियों को निवास संबंधी आवास जुटाने के लिए गैर सरकारी मकानों को किराए पर लेना, जैसी अनेक समस्याओं पर शासी निकाय को सिफारिशें दीं।

इस वर्ष कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक नही हो सकी क्योंकि वित्तीय वर्ष के अंत तक इसका गठन नहीं किया जा सका।

3.3 **शिक्षा संस्थाओं के स्थान का विकास** : नई दिल्ली की शिक्षा-संस्थाओं तथा अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के स्थानों के विकास पर काफी ध्यान दिया गया। अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए टाइप II तथा टाइप III क्वार्टरों के दो-दो खंडों का निर्माण करने का निर्णय किया गया। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। निर्माण की जिन अन्य मदों की सिफ़ारिश की गई उनमें कार तथा साइकिल शेड, शिक्षा संस्थान के अहाते की चारदीवारी तथा निदेशक के क्वार्टरों के निर्माण उल्लेखनीय हैं।

मुख्य भवन का निर्माण लगभग पूरा होने के साथ ही दिल्ली के विभिन्न भागों में किराए के भवनों में अवस्थित अनेक विभागों को अरविन्द मार्ग पर स्थित मुख्य स्थल पर ले जाने का फ़ैसला किया गया। इसको जनवरी 1970 से कार्यान्वित किया गया जिस के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के सभी विभाग (अध्यापन सहायता विभाग के अलावा) तथा परिषद् सचिवालय मुख्य अहाते में

अवस्थित हैं। दिल्ली नगर निगम से इस स्थान के लिए जल-पूर्ति की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही की गई है।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में अनुदेशात्मक प्रयोजनों के लिए न्यूनतम अपेक्षित भवनों को प्राप्त करने तथा राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण करवाने के लिए कार्यवाही की गई। चारों क्षेत्रीय महाविद्यालयों में इस प्रकार का अधिकांश कार्य अब लगभग पूरा हो गया है। कुछ शेष कार्य अगले वर्ष पूरा हो जाने की आशा है। अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के अहातों में निवास भवनों के निर्माण की समस्या परिषद् का ध्यान आकृष्ट करती रही है और आवश्यक धन उपलब्ध होते ही उनका निर्माण करवाने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

3.4 **राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान पुस्तकालय** : मुख्य भवन के पूरा हो जाने के बाद गोदाम किस्म के दो भवन पुस्तकालय के लिए सुलभ किए गए हैं। इतना स्थान प्राप्त होने से पुस्तकालय के लिए कुछ न्यूनतम स्थान में अपने कार्य-कलाप करना संभव हो सका। परंतु यह व्यवस्था अस्थायी है। पुस्तकालय भवन सहित पुस्तकालय की दीर्घकालिक समस्याओं की जाँच के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, कार्यक्रम सलाहकार समिति द्वारा इस की जाँच की जाएगी और तब इसको कार्यकारी समिति के विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

3.5 **क्षेत्रीय महाविद्यालय** : क्षेत्रीय महाविद्यालयों ने पहले ही प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के लिए विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य तथा तकनीकी के चार वर्षीय पाठ्यक्रम चालू रखे। तकनीकी पाठ्यक्रम में इस वर्ष कोई प्रवेश नहीं दिया गया। अप्रशिक्षित अध्यापकों की अत्यधिक संख्या को दूर करने के लिए चारों क्षेत्रीय महाविद्यालयों द्वारा पत्राचार-एवं-अवकाश का एक वर्षीय बी०एड० पाठ्यक्रम चालू रखा गया। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रीय महाविद्यालयों में कुछ सीमित विषयों के भी एक वर्षीय पाठ्यक्रम चलाए गए। इस क्षेत्र में कृषि तथा वाणिज्य में एक वर्षीय बी०एड० पाठ्यक्रम अत्यधिक विशेष महत्त्वपूर्ण है। भुवनेश्वर तथा भोपाल में एम०एड० पाठ्यक्रम के लिए भी सीमित मात्रा में कुछ सुविधाएँ प्रदान की गई। क्षेत्रीय महाविद्यालय के स्नातकोत्तर क्रिया-कलाप में विकास के प्रश्न पर अधिक व्यापक जाँच के दृष्टिकोण से विचार किया गया। इन चारों महाविद्यालयों द्वारा व्यापक सेवा कालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया तथा उन्होंने माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए ग्रीष्म संस्थानों को चलाने में भी सक्रिय भाग लिया। प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी कुछ प्रकार के कार्य किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और महाविद्यालयों से प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को इस प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करने के ढंगों पर विचार करने के लिए कहा गया, जिसमें अधिक वित्तीय दायित्व न उठाना पड़े। यह समस्या अभी अनुसंधान की प्रारंभिक अवस्था में ही है।

चार वर्षीय अंग्रेजी पाठ्यक्रम में पहले दल में प्रविष्ठ विद्यार्थियों के इस वर्ष स्नातक हो जाने की आशा है।

3.6. **चतुर्थ योजना :** भारत सरकार के निर्देशों के आधार पर परिषद् की चतुर्थ योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। मुख्यतया, इसमें वर्तमान कार्यों को समुचित रूप से संशोधित ढंग से चलाते रहने और भारत सरकार की नीतियों के कार्यान्वियन् के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण नई परियोजनाओं को शुरू करना सम्मिलित है। चतुर्थ योजना का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3 में दिया गया है। योजना को ठीक ढंग से अंतिम रूप दिए जाने के बाद, एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा और 1970-71 में प्रस्तुत किया जाएगा।

3.7 **पाठ्यपुस्तकें :** परिषद् पाठ्यपुस्तकें तथा अन्य अतिरिक्त विविध पठन सामग्री प्रकाशित करती रही है। विभिन्न राज्य सरकारों ने वांछित सीमा तक न तो ग्रहण किया है और न अनुकूलन ही किया है। इसलिए शासी निकाय ने इस समस्या का अध्ययन करने के लिए एक समिति की स्थापना की थी, जिसमें डा० बी० एन० गांगुली, श्री टी० आर० जयरामन् तथा प्रो० एस० वी० सी० अय्या हैं। इस समिति ने परिषद् के अध्यक्ष को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इसके बाद भारत सरकार ने प्रतिवेदन पर विचार किया और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा पाठ्यपुस्तकों के संबंध में अपनाई जाने वाली नीति के बारे में अनुदेश जारी किए। उन्होंने नई प्रक्रिया का स्पष्टीकरण करते हुए सभी राज्य सरकारों को परिपत्र भेजे हैं। पाठ्यपुस्तकों पर समीति का प्रतिवेदन, सरकार का पत्र तथा केन्द्रीय सरकार के राज्यों को परिपत्र परिशिष्ट 4 में उद्धत किया गया है।

3.8 **विज्ञान प्रतिभा खोज योजना :** परिषद् कई वर्षों से राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना चलाती रही है। इससे बहुत से विद्यार्थियों ने लाभ उठाया है, और राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा विद्वानों के संपर्क में आने वाले विद्यार्थियों के प्रतिवेदन उत्साहवर्द्धक रहे हैं। फिर भी पूरे देश में छात्रवृत्ति पाने वालों का समान वितरण नहीं है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण बच्चों को इस योजना से लाभ नहीं हुआ। इसलिए योजना के वर्तमान स्वरूप का, व्यापक विश्लेषण करने का उपक्रम किया गया है। इस विश्लेषण का प्रतिवेदन परिशिष्ट 5 में दिया गया है। परिषद्, अपनाए गए ढंग और प्रक्रियाओं के विकास के लिए, अत्यंत चिन्तित है और इस दिशा में उसने कुछ कदम उठाए भी हैं। इस योजना की अब उल्लेखनीय प्रमुख विशेषता यह तथ्य है कि इस योजना की परीक्षाएँ सभी क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित की जाती हैं।

3.9 **परीक्षा सुधार :** कई वर्षों से समिति परीक्षाओं से संबंधित कुछ समस्याओं की छान बीन करती रही है। इनमें वस्तु परक ढंग के प्रश्न पत्र बनाने के प्रश्न का उल्लेख किया जा सकता है जिससे कि परीक्षाओं की विश्वसनीयता में सुधार हो सके। इस क्षेत्र में परिषद् के कार्य का राज्यों पर भी कुछ प्रभाव पड़ा है।

इसलिए, इस क्षेत्र में किए गए कार्य का विस्तृत प्रतिवेदन और इसका राज्यों पर पड़े प्रभाव को अलग से परिशिष्ट 6 में दिखाया गया है।

3.10 **प्रकाशन**—परिषद् अपने द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों की विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध रही है। विद्यालय पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था करने के अतिरिक्त ये प्रकाशन विद्यालयी शिक्षा पर सूचना प्रसारण के भी अच्छे माध्यम का कार्य करते हैं। अप्रैल 1970 तक प्रकाशित अत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रकाशनों की सूची परिशिष्ट 16 में दी गई है।

3.11 **वित्त**—परिषद् को लगभग 30 लाख रुपये की अल्प आय प्रकाशनों की बिक्री आदि से होती है। इसके अतिरिक्त अन्य व्यय सरकारी अनुदानों से प्राप्त होता है। परिषद् के विभिन्न कार्यक्रमों पर इस समय 3 करोड़ रुपए से अधिक व्यय होता है। परिषद् के व्यय का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है

	1969-70		
	बजट अनुमान (लाख रु० में)	संशोधित अनुमान (लाख रु० में)	वास्तविक/विशेष (लाख रु० में)
गैर-योजना	208.78	208.78	188 ऋण तथा अग्रिमों सहित
योजना	139·00	142.60	144.04
योग	347.78	351.38	332.04

1969-70 वर्ष में परिषद् की प्राप्तियों तथा भुगतान स्थिति का अधिक विस्तृत विवरण-पत्र परिशिष्ट 17 में दिया गया है।

4. अनुसंधान तथा शिक्षण

4.1 प्रतिवेदन वर्ष में, परिषद् ने शिक्षा के, विशेष रूप से विद्यालयी शिक्षा के महत्त्व की विविध समस्याओं का अनुसंधान चालू रखा। इस कार्य की वर्तमान स्थिति परिशिष्ट 7 में दिखाई गई है। इसी परिशिष्ट में, विद्यालय पाठ्यपुस्तकों का सर्वेक्षण माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों का नमूना सर्वेक्षण, प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में विज्ञान शिक्षण की सुविधाएँ तथा प्रशिक्ष महाविद्यालयों में श्रव्य-दृश्य उपकरण पर भी प्रतिवेदन दिया गया है।

सभी मामलों में, प्राप्त सामग्री यथा संभव, सभी संबंधित व्यक्तियों को प्रचारित की गई है।

4.2 **अनुदान सहायता परियोजना**—परिषद् की यह अभिलाषा रही है कि विश्वविद्यालय विभागों, अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा अन्य संगठनों को सहकारी कार्य करने या अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन के लिए, एक साथ लाया जाए ताकि इस प्रकार किए गए कार्यों का संचयी संघात पूरे देश में अनुभव किया

जा सके। पूर्व की भाँति, इस प्रयोजन के लिए, सहायता अनुदान परियोजनाएँ चालू रखीं और उसका प्रतिवेदन परिशिष्ट 8 में दिया गया है।

4.3 **पाठ्यक्रम विकास**—पाठ्यक्रम विकास परिषद् के मुख्य कार्यों में से एक है और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के सभी विभागों में इस कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में भी संभव सीमा तक, इस कार्य को प्रोत्साहन दिया गया है। पाठ्यक्रम विकास के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकों का विकास, शिक्षा सहायता, प्रयोगशाला उपकरण, अध्यापकों की सहायक पुस्तकें अनुपूरक पठन सामग्री आदि आते हैं। प्रतिवेदन वर्ष में परिषद् द्वारा किए गए कार्य का विवरण परिशिष्ट 1 में दिया गया है।

4.4 **शिक्षा कार्यक्रम**—परिषद् के मुख्य कार्यों में से एक कार्य शिक्षकों तथा अध्यापक प्रशिक्षकों का सेवापूर्व एवं सेवा कालीन प्रशिक्षण है। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों तथा केन्द्रीय शिक्षा संस्थान का बड़े अनुपात में समय सेवा पूर्व प्रशिक्षण में लगता है। प्रतिवेदन वर्ष में इस क्षेत्र में की गई परिषद् की कार्यवाहियों का वर्णन परिशिष्ट 10 में दिया गया है।

4.5 **प्रसार तथा क्षेत्रीय सेवाएँ**—परिषद् द्वारा प्रसार तथा क्षेत्रीय सेवाओं के कार्यक्षेत्र में कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। जैसा कि मालूम है परिषद् के 140 प्रसार सेवा केन्द्र हैं जो देश भर के चुने हुए प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थित है। इसके अतिरिक्त परिषद् के हैदराबाद, बीकानेर तथा शिलांग में 3 क्षेत्रीय एकक हैं। परिषद् तथा इसके एककों द्वारा प्रसार तथा क्षेत्रीय सेवा के कार्य क्षेत्र में किए गए कार्य का वर्णन परिशिष्ट 11 में दिया गया है।

4.6 **राज्यों के साथ सहयोग**—समय-समय पर, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परिषद् के सहयोग के बारे में पूछताछ की जाती है। ऐसी परिस्थितियों में यह अनुभव किया गया कि प्रतिवेदन वर्ष में किए गए कार्यों का कुछ विस्तृत रूप से वर्णन किया जाए। परिशिष्ट 12 में इसका वर्णन दिया गया है। यह स्पष्ट है कि परिषद् और इसकी विशेषज्ञता का अनेक विषयों के लिए बहुत से राज्यों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

4.7 **स्वैच्छिक संगठन**—बहुत से स्वैच्छिक संगठन हैं जो प्रत्यक्षत: अथवा परोक्ष रूप से विद्यालयी शिक्षा के लिए गुणकारी कार्य करते हैं। इन सब संगठनों को आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता से परिषद् प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसका विस्तृत प्रतिवेदन परिशिष्ट 13 में दिया गया है। परिषद् इस आवश्यकता का अनुभव करती है कि इस क्षेत्र में अधिक धन लगाया जाय ताकि स्वैच्छिक संगठनों, विशेषकर अध्यापक संघों तथा अभिभावक-अध्यापक संघों, की क्रियाओं को तीव्रता प्रदान की जा सके।

अभिभावक-अध्यापक संघों ने, अन्य देशों में विद्यालयी शिक्षा के विकास में महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया है। इनमें से कुछ ने विद्यालय पाठ्यक्रम के विकास में अंशदान किया है, विशेषत: विद्यालयों में जो कुछ पढ़ाया जाता है उसका

शिष्यों/छात्रों आदि के भविष्य में नियोजन तथा नियोजन की संभावनाओं से संबद्धता पर ध्यान आकर्षित किया है।

4.8 **शिक्षा तथा युवक सेवा** : परिषद् के कर्त्तव्यों के संबंध में सरकारी संकल्प की शर्तों के अनुसार, परिषद् के कर्मचारियों अधिकारियों से मंत्रालय के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की आशा की जाती है और समग्र रूप में परिषद् को मंत्रालय के शैक्षिक पक्ष की भाँति कार्य निष्पादन करने की आवश्यकता है। इन शर्तों की अनुपूर्ति के लिए, परिषद् के कार्यकर्ताओं ने मंत्रालय द्वारा स्थापित कुछ बोर्डों तथा अध्ययन दलों आदि में सक्रिय कार्य किया है। इसका संक्षिप्त प्रतिवेदन परिशिष्ट 14 में दिया गया है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि यह अभी पूर्ण नहीं है। परिषद् के कार्यकर्ताओं तथा मंत्रालय के कर्मचारियों के बीच दिन प्रतिदिन संपर्क बना रहता है तथा मंत्रालय को विभिन्न मदों में परामर्श दिया गया है अथवा सूचना प्रदान की गई है।

4.9 **विविध**—परिषद् 'यूनेस्को' (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन) तथा 'यूनीसेफ' (संयुक्त राष्ट्र अंतराष्ट्रीय बाल कोष) और अन्य संगठनों से सहायता पाती रही है। परिषद् ने अपने कुछ कर्मचारियों को सम्मेलनों में भाग लेने तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने अदि के लिए भेजा। इसका ब्यौरा परिशिष्ट 15 में दिया गया है।

कृतज्ञता ज्ञापन

परिषद् शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री और शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को उनके द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार से दी गई सुविधाओं के लिए अत्यंत कृतज्ञ है। परिषद्, उन अनेक व्यक्तियों की भी आभारी है, जिन्होंने अमूल्य समय निकाल कर चुनाव समिति सहित इसकी अनेक समितियों में रह कर सेवा की है। कुछ संगठनों तथा संस्थानों ने परिषद् के कार्यों में सक्रिय सहयोग प्रदान किया है। राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों ने भी परिषद् की अत्यंत तत्परता के साथ आवश्यक सहायता तथा सहयोग प्रदान किया है। इन सब के प्रति भी, परिषद् अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है।

परिषद् 'यूनेस्को', 'यूनिकेफ', ब्रिटिश परिषद्, 'यूसैद', 'अमरीकी राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रतिष्ठान', रूसी सरकार, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य, की भी कृतज्ञ है जिन्होंने विभिन्न रूप में सहायता प्रदान की है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट—1

श्री एस० चक्रवर्ती, सचिव, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र सं० एफ *1-3/68*-एन. सी. ई. आर. टी., दिनांक *4* अगस्त' *1969/13* श्रावण, *1891* (शक)

संकल्प

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के भावी विकास पर समीक्षा समिति की रिपोर्ट : उस पर आदेश

स्कूल शिक्षा अनिवार्यतः राज्य का विषय है, इसलिए इस क्षेत्र में मोटेतौर पर केन्द्र की भूमिका का संबंध निम्नलिखित से है :

(क) विचारों और सूचना के निकास-गृह के रूप में कार्य करना; (ख) अनुसंधान, प्रयोग तथा मार्गदर्शी परियोजनाएँ चलाना; और (ग) आमतौर पर नवोन्मेष अंतः प्रेरणाएँ प्रदान करना, विशेषकर गुणात्मक सुधार के कार्यक्रमों में। इस भूमिका के प्रकाश में, स्कूल-शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही कुछ केन्द्रीय संस्थाएँ पहले स्थापित की गई। ऐसी संस्थाएँ ये थीं : केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (1947), केन्द्रीय पाठ्यपुस्तक अनुसंधान ब्यूरो तथा केन्द्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शक ब्यूरो (1954); अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (1955) जो बाद में माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय बन गई (1959); राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान तथा राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र (1956); और राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य शिक्षा संस्थान (1959)। इन छोटी-छोटी और किसी हद तक अलग-थलग पड़ी संस्थाओं द्वारा अपेक्षित स्थूल-प्रयोजन पर्याप्त समन्वित ढंग से सिद्ध नहीं हुए, इसलिए उन्हें एक साथ मिलाकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् संस्था बनाई गई (1961) और उसके अंतर्गत चार क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेजों की स्थापना की गई।

2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के कार्यकलापों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए एवं उनके भविष्य के संबंध में सिफारिशें करने के लिए, भारत सरकार ने योजना आयोग के सदस्य (विज्ञान) डा० बी० डी० नागचौधरी की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति की नियुक्ति की (1968), उक्त समिति की रिपोर्ट अब प्राप्त हो चुकी है। परिषद् के शासी निकाय द्वारा उस संबंध में अभिव्यक्त मत के प्रकाश में समिति की

सिफारिशों की भारत सरकार द्वारा जाँच की गई है। समिति की मुख्य सिफारिशों पर सरकार के निर्णय नीचे दिए गए हैं।

3. **परिषद् की भूमिका** : परिषद् का प्रधान कार्य है स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की नीतियों और मुख्य कार्यक्रमों के तैयार करने और उनके कार्यान्वियन में सहायता करना और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक अनुसंधानों, प्रयोगों, मार्गदर्शी परियोजनाओं, उच्च स्तर के प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवाओं का विकास करना। इन कार्यों को संतोषजनक ढंग से करने के लिए इसे मंत्रालय, राज्य शिक्षा विभागों और विश्वविद्यालयों के साथ निकट संपर्क बनाए रखना चाहिए। परिषद् को मंत्रालय के प्रधान शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करना चाहिए, देश में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियों तथा विकासों के बारे में उसे सूचित रखना चाहिए, मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित नीति संबंधी अपेक्षाओं के प्रकाश में अपने कार्यक्रमों का अनुकूलन करना चाहिए और इस क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए परिषद् के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों को शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रभावी संबंध स्थापित करना चाहिए और उनके साथ निकट एवं अविरत सहयोग से करना चाहिए। परिषद् को राज्यों में तथा संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा सचिवों और शिक्षा/सार्वजनिक-शिक्षण निदेशकों के साथ भी निकट संबंध स्थापित करना चाहिए और अनुसंधान के सहयोगी कार्यक्रमों अथवा स्कूल शिक्षा में सुधार और कर्मचारियों के विनिमय के द्वारा राज्य शिक्षा संस्थानों (अथवा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों) के साथ प्रभावी कार्यकारी संबंधों का विकास करना चाहिए। इसी प्रकार के संबंधों का विकास उन विश्वविद्यलय विभागों के विभाग के साथ ही किया जाना चाहिए जो स्कूल शिक्षा के सुधार में रुचि रखते हैं।

4. परिषद् को पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस क्षेत्र में इसकी प्रधान भूमिका, कार्यक्रमों के मूल्यांकक के रूप में, नए विचारों तथा व्यवहारिक कार्यों की अंतः प्रेरणा के रूप में और राज्य सरकारों तथा अन्य शैक्षिक प्राधिकरणों को जो अतिरिक्त कार्य सुझाए जा सकते है, उनके अभ्युत्थान के रूप में कार्य करने की होनी चाहिए।

5. **राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान** : सरकार आमतौर पर समीक्षा समिति से सहमत है कि अधिक प्रभावी और समन्वित कार्य-संचालन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभागों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। संस्थान के प्रधान विभाग निम्नलिखित होने चाहिए :

(1) सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग;

(2) विज्ञान शिक्षा विभाग;

(3) शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा-आधार विभाग;

(4) अध्यापन सहायता विभाग;
(5) पाठ्यपुस्तक विभाग;
(6) पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग; और
(7) अध्यापक शिक्षा विभाग।

6. इसके अलावा, आधार सामग्री प्रक्रिया तथा शिक्षा सर्वेक्षण के लिए अलग एकक होना चाहिए। प्रलेख तथा सूचना सेवा को, संस्थान के केन्द्रीय ग्रंथागार के कार्यकलापों के अंग के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर बताया गया है दर्शनशास्त्री तथा समाज-शास्त्रीय आधार विभाग का शैक्षिक मनोविज्ञान विभाग में विलय किया जाना चाहिए। प्रशासन तथा क्षेत्र-सेवा विभागों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इन्हें प्रत्येक अलग-अलग विभाग के कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

7. परिषद् के निदेशक को, समीक्षा समिति की सिफारिशों तथा सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों के प्रकाश में ऐसी पद्धति का निर्णय करना चाहिए जिसके अनुसार इन विभागों में से प्रत्येक विभाग कार्य करेगा और उनके कार्यक्रमों का एक दूसरे के साथ समन्वय होगा।

8. सरकार, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के भावी कार्यक्रमों के बारे में समीक्षा समिति द्वारा दिए गए सुझावों से मोटे तौर पर सहमत है। निदेशक द्वारा इन पर विस्तार से विचार किया जाना चाहिए।

9. **शिक्षा के क्षेत्रीय कॉलेज** : सरकार क्षेत्रीय कॉलेजों को राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के बाड़े बनाना आवश्यक नहीं समझती। परंतु उनके और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के बीच निकट संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्रीय कॉलेज का मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह अध्यापक-शिक्षा में श्रेष्ठता का केन्द्र बने। अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण संस्थाओं को विस्तार सेवा उपलब्ध करे और सामान्य रूप से क्षेत्र के अंदर स्कूल शिक्षा में सुधार लाने के और विशेषत: अध्यापक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में पूर्ण रूप से अंतर्गस्त रहे।

10. टैकनालॉजी में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में नए प्रवेश बंद किए जा चुके हैं। अंग्रेजी तथा वाणिज्य के पाठ्यक्रमों में ऐसे प्रवेश 1970-71 से बंद कर दिए जाने चाहिए। विज्ञान में चार-वर्षीय पाठ्यक्रम के संबंध में आदेश अलग से जारी किए जाएँगे। इस प्रकार मुक्त हुई सुविधाओं और संसाधनों को, एक वर्षीय पाठ्यक्रमों के विकास तथा विस्तार के लिए, पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में मार्गदर्शी तथा प्रयोगात्मक कार्य हाथ में लेने के लिए, अध्यापक-शिक्षकों को तैयार करने के लिए तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर और अनुधान कार्यक्रमों के विकास के लिए, उपयोग में लाया जाना चाहिए। जिन पाठ्यक्रमों में नामांकन कम रहा हो, उन्हें आवश्यकतानुसार एक अथवा दो केन्द्रों में संकेन्द्रित किया जा सकता है। निदेशक को इन आदेशों के आधार पर प्रत्येक

क्षेत्रीय कॉलेज के मामले की अलग से जाँच करनी चाहिए और चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके कार्यक्रमों में उपयुक्त संशोधन करना चाहिए ।

11. **राज्य शिक्षा विभागों के साथ संबंध** : परिषद् और राज्य शिक्षा विभागों के बीच सन्निकट संबंध स्थापित करना आवश्यक है । इसलिए शिक्षा सचिवों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सार्वजनिक शिक्षा/शिक्षा के निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन में परिषद् के कार्यक्रमों तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके उपयोग पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए ।

12. सरकार समीक्षा समिति से सहमत है कि एक तरफ तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान तथा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (विद्यालय शिक्षा के गुणात्मक सुधार की अन्य राज्य स्तरीय संगठनों सहित), दूसरी तरफ विद्यालयी विकास में रुचि लेने वाले महाविद्यालयों के विभागों के बीच कर्मचारियों का अंतर्विनिमय हो । इस उद्देश्य के लिए, यदि आवश्यक हो तो अधिक संख्या में नए पदों की रचना की जाए ।

13. **परिषद् की स्थिति** : परिषद् तथा मंत्रालय के बीच अत्यंत घनिष्ट तथा अंतरंग संबंध होना आवश्यक है, इस दृष्टिकोण से, इसे, राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विचारित विश्वविद्यालयों में बदलना उपयुक्त नहीं होगा ।

14. **प्रशासनिक व्यवस्था** : समीक्षा समिति की इस राय से सरकार सहमत है कि निदेशक तथा संयुक्त निदेशक के पद पूर्णकालिक हों । इन पदों के वेतन मान तथा सेवा शर्तों को हाल ही में निश्चित किया गया है तथा उसे परिषद् को सूचित कर दिया गया है । समीक्षा समिति द्वारा सिफारिश किए गए 'डीन' के पद को सरकार आवश्यक नहीं समझती है ।

15. **संविधान में संशोधन** : सरकार समीक्षा समिति की इस राय से सहमत है कि संस्था-ज्ञापन तथा परिषद् के नियमों में कई संशोधन किए जाएँ ताकि परिषद् विद्यालयी शिक्षा के विकास में अपना उचित भाग अदा कर सके । इस संबंध में समीक्षा समिति के सुझावों पर विचार करने के बाद, सरकार ने निर्देश दिया है कि अपने संस्था-ज्ञापन तथा नियमों में नीचे लिखे प्रकार से संशोधन करने के लिए परिषद् शीघ्र आवश्यक कदम उठाए :

I. संस्था-ज्ञापन का अंतर्नियम 3 नीचे लिखे अनुसार संशोधित किया जाए :

3 (1) परिषद् का उद्देश्य, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की नीतियों तथा विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य कार्यक्रमों के निर्धारण तथा कार्यान्वयन में सहायता देना होगा ।

(2) इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, परिषद् निम्नलिखित कार्यक्रमों तथा कार्यों में से सब अथवा कुछ को अपने हाथ में ले सकती है ।

(क) विद्यालयी शिक्षा से संबंधित अध्ययनों, अन्वेषणों तथा सर्वेक्षणों का उपक्रम अथवा आयोजन;

(ख) मुख्यत: उच्चस्तर पर सेवापूर्ण तथा सेवाकालिक प्रशिक्षण का आयोजन;

(ग) शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षकों का प्रशिक्षण अथवा विद्यालयों में प्रसार सेवाओं की व्यवस्था में कार्यरत संस्थाओं के लिए प्रसार सेवाओं का आयोजन;

(घ) विद्यालयों में विकसित शैक्षिक तकनीकों तथा कार्यप्रणालिओं का प्रसार करना;

(ङ) राज्य शिक्षा विभागों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं को अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग तथा सहायता देना;

(च) विद्यालयी शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर विचारों तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान-केन्द्र के रूप में कार्य करना;

(छ) परिषद् की उद्देश्य-पूर्ति के लिए आवश्यक समझी जाने वाली संस्था का देश के किसी भी भाग में संस्थापन तथा संचालन;

(ज) विद्यालयी शिक्षा से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों, तथा अन्य शैक्षिक संगठनों और संस्थानों को परामर्श देना;

(झ) परिषद् के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अन्य साहित्य के प्रकाशन का कार्य करना;

(ञ) परिषद् के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अथवा सुविधापूर्ण चल अथवा अचल संपत्ति को दान, क्रय, पट्टे पर अथवा अन्य ढंग से प्राप्त करना और किसी भवन अथवा भवनों का निर्माण, परिवर्तन तथा रख-रखाव करना;

(ट) भारत सरकार के तथा अन्य प्रतिज्ञापत्रों, हुंडियों, चैकों अथवा अन्य हस्तांतरणीय प्रपत्रों को जारी करना, बनाना, स्वीकार करना, पृष्ठांकन करना, भुनाना (कटौती पर) अथवा विनिमय करना;

(ठ) परिषद् की निधि को ऐसी प्रतिभूतियों में अथवा ऐसे ढंग से निवेश करना जैसा समय-समय पर कार्यकारी समिति निश्चित करे, और समय-समय पर ऐसे निवेशों का बेचना, हस्तांतरण करना;

(ड) परिषद् की कोई अथवा सभी संपत्तियों का बेचना, हस्तांतरण करना, पट्टे पर देना अथवा अन्य ढंग से निपटान; और,

(ढ) शैक्षिक अनुसंधान शैक्षिक कार्मिकों को व्यावसायिक उच्च प्रशिक्षण तथा शैक्षिक संस्थाओं को प्रसार शिक्षा का प्रावधान करने के अपने मूलभूत उद्देश्यों के प्रवर्तन के लिए प्रासंगिक तथा सहायक ऐसे सभी कार्यों को करना जिन्हें परिषद् आवश्यक समझे ।

II. परिषद् :

परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1) शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री—पदेन अध्यक्ष
(2) अध्यक्ष; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—पदेन
(3) शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के सचिव—पदेन
(4) विश्वविद्यालय के चार कुलपति, प्रत्येक क्षेत्र से एक, जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत होंगे;
(5) प्रत्येक राज्य सरकार तथा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों से एक-एक प्रतिनिधि, जो राज्य/संघराज्य क्षेत्र का शिक्षा मंत्री (अथवा उसका प्रतिनिधि) होगा तथा दिल्ली से मुख्य कार्यकारी पार्षद्, दिल्ली (अथवा उसका प्रतिनिधि);
(6) कार्यकारी समिति के वे सभी सदस्य जो उपर्युक्त में सम्मिलित नहीं हुए हैं; तथा,
(7) अन्य ऐसे व्यक्ति जिन्हे भारत सरकार समय-समय पर मनोनीत करे, जो बारह से अधिक नहीं होंगे। इनमें से कम-से-कम चार विद्यालय-शिक्षक होंगे।

III. कार्यकारी समिति

परिषद् के कार्यकलाप, परिषद् के नियमों, विनियमों तथा आदेशों के अनुसार एक कार्यकारी समिति द्वारा संचालित होंगे, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(1) परिषद् का अध्यक्ष, जो कार्यकारी समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;
(2) परिषद् का निदेशक, जो कार्यकारी समिति का पदेन उपाध्यक्ष होगा;
(3) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पदेन सदस्य;
(4) परिषद् के सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, विद्यालयी शिक्षा में रुचि के लिए प्रसिद्ध चार शिक्षाविद् (उनमें से 2 विद्यालय-शिक्षक होंगे);
(5) परिषद् का संयुक्त निदेशक;
(6) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, परिषद् की संकाय के 2 सदस्य जो प्राध्यापकों और विभागाध्यक्षों के स्तर के हों;
(7) शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, और
(8) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो परिषद् का वित्तीय सलाहकार भी होगा।

IV. कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति

परिषद् का शैक्षिक अध्ययन बोर्ड समाप्त कर दिया जाए और उसे कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

(1) परिषद् तथा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के अनुसंधान, प्रशिक्षण,

विस्तार तथा अन्य कार्यक्रमों के संचालन किए जाने के लिए उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में दी गई परिषद् की भूमिका को दृष्टि में रखते हुए देश में विद्यालयी शिक्षा के विकास के प्रवर्त्तन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्राप्त करने के लिए उनको मार्गदर्शन की दिशा के संबंध में कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति अपनी सिफारिशें कार्यकारी समिति को देगी। कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति का यह दायित्व होगा कि वह सभी योजनाओं, कार्यक्रमों, अन्वेषण प्रस्तावों आदि पर विचार करे, तथा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के कार्यों के शिक्षा-संबंधी स्वरूप की जाँच करें तथा उनके कार्यक्रमों के विकास के लिए समन्वित दृष्टिकोण को सुनिश्चित करे।

(2) कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(i) परिषद् के निदेशक—अध्यक्ष

(ii) परिषद् के संयुक्त निदेशक—उपाध्यक्ष

(iii) परिषद् अध्यक्ष द्वारा मनोनीत पाँच विश्वविद्यालय-प्राध्यापक अथवा विभागाध्यक्ष, जो शिक्षक और अन्य संबंधित आचारों का प्रतिनिधित्व करते हों;

(iv) राज्य शिक्षा संस्थानों के पाँच निदेशक, जो परिषद् के अध्यक्ष द्वारा सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से क्रमानुसार मनोनीत किए जाएँगे।

(v) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के सभी विभागाध्यक्ष और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के सभी प्रधानाचार्य तथा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के प्रत्येक विभाग से एक प्राध्यापक/रीडर जो परिषद् के निदेशक द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(3) कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति ऐसी समितियों को नियुक्त कर सकती है जो परिषद् को सौंपी गई विशेष समस्यओं अथवा कार्यक्रमों अथवा इसके कार्य के विशेष पहलू को सुलझाने के लिए आवश्यक समझी जाएँ।

V. नियुक्ति

परिषद् के निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा सचिव सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएँगे, जो उनके पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तों का निर्धारण करेगी।

VI. मंत्रालय से संबंध

समीक्षा समिति की इस राय से सरकार सहमत है कि परिषद् तथा शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय के बीच संबंध को पुनर्परिभाषित किया जाए और उनके बीच घनिष्ठ सहयोग के नए संबंध बनाए जाएँ। जैसा कि पहले ही कहा गया है, नए संबंधों से यह अपेक्षा की जाती है कि सरकारी नीतियों तथा परिषद् के कार्यक्रमों के बीच निकट सूत्रता होनी चाहिए और मंत्रालय तथा परिषद् के पदाधिकारियों के

बीच निकट तथा अविरत सहयोग होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, परिषद् के विधान में नीति तथा कार्यक्रमों के महत्त्वपूर्ण मामलों पर सरकार द्वारा निदेश जारी करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

VII. परिणामी संशोधन

ऊपर दिए गए संशोधनों को दृष्टि में रखते हुए, परिषद् के अन्य नियमों में आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे परिणामी संशोधन को करने के लिए भी कदम उठाए जाएँ।

16. समीक्षा समिति की ऐसी सिफारिशों पर, जिनका उपर उल्लेख नहीं किया गया है, कार्यकारी समिति द्वारा विचार तथा निर्णय किया जाए।

17. समीक्षा समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा किए गए कार्य और उनके बहुमूल्य प्रतिवेदन पर सरकार उनकी अत्यधिक सराहना करती है।

परिशिष्ट—2

परिषद् तथा उसकी समितियों के सदस्यगण

1969—70

क—परिषद्

1. डॉ० वी. के. आर. वी. राव
   केन्द्रीय मंत्री
   शिक्षा तथा युवक सेवा
   नई दिल्ली (अध्यक्ष)

2. भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार,
   शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय,
   नई दिल्ली (उपाध्यक्ष)

3. शिक्षा मंत्री
   आंध्र प्रदेश
   हैदराबाद

4. शिक्षा मंत्री
   असम
   शिलांग

5. सलाहकार (शिक्षा)
   उप-राज्यपाल, बिहार, पटना
   (जब तक कि प्रदेश राष्ट्रपति शासन में है)

6. शिक्षा मंत्री
   गुजरात
   अहमदाबाद

7. शिक्षा मंत्री
   हरियाणा
   चंडीगढ़

8. शिक्षा मंत्री
   जम्मू तथा कश्मीर
   श्रीनगर

9. शिक्षा मंत्री
   केरल
   त्रिवेन्द्रम

10. शिक्षा मंत्री
    महाराष्ट्र
    बंबई

11. शिक्षा मंत्री
    मध्यप्रदेश
    भोपाल

12. शिक्षा मंत्री
    मैसूर
    बंगलौर

13. शिक्षा मंत्री
    उड़ीसा
    भुवनेश्वर

14. शिक्षा मंत्री
    पंजाब
    चंडीगढ़

15. शिक्षा मंत्री
राजस्थान
जयपुर

16. शिक्षा मंत्री
उत्तर प्रदेश
लखनऊ

17. शिक्षा मंत्री
तमिलनाडु सरकार
मद्रास

18. शिक्षा मंत्री
पश्चिम बंगाल
कलकत्ता

19. शिक्षा मंत्री
नागालैण्ड
कोहिमा

20. मुख्य आयुक्त
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
पोर्ट ब्लेयर

21. प्रशासक
दादरा तथा नगर हवेली
सिलवासा

22. उप-राज्यपाल
दिल्ली प्रशासन
दिल्ली

23. उप-राज्यपाल
गोवा, दमन और दीव
पंजिम

24. उप-राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला

25. प्रशासक
लक्कादीव संघ राज्य क्षेत्र
कवराट्टी

26. मुख्य आयुक्त
मणिपुर सरकार
इम्फाल

27. असम के राज्यपाल
कृते उत्तर पूर्व सीमाप्रांत एजेन्सी
शिलांग

28. उप-राज्यपाल
पांडिचेरी सरकार
पांडिचेरी — 1

29. मुख्य आयुक्त
त्रिपुरा सरकार
अगरतला

30. मुख्य आयुक्त
चंडीगढ़ प्रशासन
चंडीगढ़

31. डॉ० दौलत सिंह कोठारी
अध्यक्ष
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली

32. डॉ० के० एन० राज
कुलपति
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

33. डॉ० (कुमारी) कौमुदी
वित्तीय सलाहकार (परिषद्)
शिक्षा मंत्रालय
नई दिल्ली

34. प्रो० एस० वी० सी० अय्या
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली

35. संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्

36. प्रो० एम० वी० माथुर
निदेशक
एशियाई शैक्षिक आयोजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

37. प्रो० शान्ति नारायण
प्रधानाचार्य
हंसराज कॉलेज
दिल्ली

38. प्रो० आर० के० दासगुप्त
अध्यक्ष
आधुनिक भारतीय भाषा विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

39 प्रो० के० जी सैयदैन
डी० II/9,पंडारा रोड
नई दिल्ली

40. डॉ० पी० के० केलकर
निदेशक
भारतीय टैक्नॉलाजी संस्थान
कानपुर

41. प्रो० पी० एन० धर
निदेशक, आर्थिक संवृद्धि संस्थान
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

42. डॉ० एस० मिश्र
कुलपति
उत्कल विश्वविद्यालय
भुवनेश्वर

43. डॉ० के० कुरुविला जेकब
प्रधानाचार्य
दि कैथेड्रल एंड जॉन कौनन स्कूल
6 आउट्रम रोड, बंबई—1

44. डॉ० एन० एस० गोरे
निदेशक
टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंसेज
बंबई

45. प्रो० ए० आर० कामत
सांख्यिकी प्रोफेसर
गोखले इंस्टीच्यूट ऑफ पॉलिटिक्स
एंड इकोनामिक्स
पूना—4

46. श्री एन० डी० सुन्दरावादीवेलु,
कुलपति
मद्रास विश्वविद्यालय
मद्रास

47. डॉ० वी० सी० वामनराव
भूतपूर्व कुलपति
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय
विधान सभा सदस्यों के पुराने
क्वार्टरों के सामने 3-5-878
हैदराबाद-29

48. श्री एल० आर० सेठी
अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा
बोर्ड, नई दिल्ली

49. प्रो० हीरेन मुकर्जी
संसद सदस्य
21, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड
नई दिल्ली

50. डॉ० ए० सी० जोशी
सैक्टर 9 - सी०
चंडीगढ़

51. प्रो० ए० मुजीब
जामिया मिल्लिया इस्लामिया
नई दिल्ली

52. सचिव
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
(सदस्य सचिव)

ख. शासी निकाय

1. डॉ० वी० के० आर० वी० राव
केन्द्रीय मंत्री शिक्षा तथा युवक सेवा
(अध्यक्ष)

2. भारत सरकार के शैक्षिक सलाहकार
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय
(उपाध्यक्ष)

3. डॉ० दौलतसिंह कोठारी
अध्यक्ष
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली

4. डॉ० के० एन० राज
कुलपति
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

5. डॉ० (कुमारी) कौमुदी
वित्तीय सलाहकार (परिषद्)
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

6. प्रो० एस० वी० सी अय्या
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

7. डॉ० शिव के० मित्र
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

8. प्रो० के० जी० सैयदैन
डी II/9, पंडारा रोड
नई दिल्ली

9. प्रो० एम० वी० माथुर
निदेशक
एशियाई शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

10. प्रो० शान्ति नारायण
प्रधानाचार्य
हंसराज कॉलेज
दिल्ली

11. प्रो० आर० के० दास गुप्ता
अध्यक्ष, आधुनिक भारतीय भाषा विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय

12. रिक्त

13. सचिव
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
(सदस्य सचिव)

ग. कार्यकारी समिति

1. डॉ० वी० के० आर० वी० राव
केन्द्रीय मंत्री, शिक्षा तथा युवक सेवा
नई दिल्ली (अध्यक्ष)

2. प्रो० एस० वी० सी० अय्या
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली (उपाध्यक्ष)

3. डॉ० दौलतसिंह कोठारी
अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली

4. प्रो० एम० वी० माथुर
निदेशक
एशियाई शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

5. प्रो० शान्ति नारायण
प्रधानाचार्य
हंसराज कॉलेज
दिल्ली

6. श्री एस० उदापाचार
मुख्य अध्यापक
नरूपतुंग बहूद्देश्यीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
हैदराबाद

7. श्री डी० एस० बाजपेयी
प्रधानाचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
भारतीय टैक्नालॉजी संस्थान
कानपुर

8. संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली

9. डॉ० आर० एच० दवे
अध्यक्ष
पाठ्यपुस्तक विभाग
नई दिल्ली

10. डॉ० एम० सी० पंत
अध्यक्ष
विज्ञान शिक्षा विभाग
नई दिल्ली

11. श्री पी० डी० शर्मा
प्रधानाचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
भुवनेश्वर

12. श्री टी० आर० जयरामन्
संयुक्त सचिव
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय
नई दिल्ली

13. श्री ओ० पी० मोहला
वित्तीय सलाहकार
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय
नई दिल्ली

14. सचिव
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली (मंत्री)

घ. वित्त समिति

1. श्री टी० आर० जयरामन्
संयुक्त सचिव
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय
नई दिल्ली (अध्यक्ष)

2. प्रो० एस० वी० सी० अय्या
निर्देशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली

3. प्रो० एम० वी० माथुर
निर्देशक एशियाई शैक्षिक आयोजना
और प्रशासन संस्थान
इंद्रप्रस्थ एस्टेट
नई दिल्ली—1

4. प्रो० शान्ति नारायण
प्रधानाचार्य
हंसराज कॉलेज
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

5. श्री ओ० पी० मोहला
वित्तीय सलाहकार
(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्)
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय,
शास्त्री भवन
नई दिल्ली

ङ. कार्यक्रम सलाहकार समिति

1. निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली (अध्यक्ष)

2. संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली (उपाध्यक्ष)

3. प्रो० एच० वी० मजूमदार
प्रधानाचार्य
विश्व भारती विश्वविद्यालय
डाक घर, शान्ति निकेतन

4. डॉ० डी० एम० देसाई
डीन
शिक्षा तथा मनोविज्ञान संकाय
एम० एस० यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा
बड़ौदा

5. श्रीमती एलिसाबा जच्चारिया
अध्यक्ष शिक्षा विभाग
केरल विश्वविद्यालय
थाईकॉड, त्रिवेन्द्रम

6. प्रो० वी० आर० तनेजा
डीन तथा अध्यक्ष
शिक्षा विभाग
पंजाब विश्वविद्यालय
चंडीगढ़

7. प्रो० सी० एम० बेन्नूर
डीन तथा प्रधानाचार्य
विश्वविद्यालय शिक्षा कॉलेज
कर्नाटक विश्वविद्यालय
धारवाड़

राज्य शिक्षा संस्थानों के निदेशक

8. डॉ० (कुमारी) ए० नंदा
निदेशक
राज्य शिक्षा संस्थान
किंग्जवे कैम्प
दिल्ली

9. डॉ० एन० के० उपासानी
निदेशक
राज्य शिक्षा संस्थान
एम० एस० सदाशिव पीठ
कुमठेकर रोड
पूना

10. श्री एस०एन० दास
प्रधानाचार्य
राज्य शिक्षा संस्थान
बनीपुर
डाकघर बैगाची
जिला 24 परगना

11. डॉ० जी० गोपाल कृष्ण
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
6—2—688 चितलबस्ती
हैदराबाद

12. बेगम एम० कुरेशी
निदेशक
राज्य शिक्षा संस्थान
श्रीनगर

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के कर्मचारी सदस्य

13. श्री एस० एन० अहलुवालिया
अध्यक्ष
अध्यापन सहायता विभाग
नई दिल्ली

14. डॉ० ए० एन० बोस
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष,
विज्ञान विभाग
क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज
अजमेर

15. कुमारी ए० चारी
प्रधानाचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज
मैसूर

16. डॉ० आर० सी० दास
प्रधानाचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज
अजमेर

17. डॉ० आर० एच० दवे
अध्यक्ष
पाठ्यपुस्तक विभाग
नई दिल्ली

18. श्री एम० डी० देवदासन
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, शिक्षा विभाग
क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज
भोपाल

19. डॉ० (कुमारी) एस० दत्त
रीडर
केन्द्रीय शिक्षा संस्थान,
दिल्ली

20. श्री सी० वी० गोविन्दराव
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष-
टैक्नालाजी विभाग
क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज
मैसूर

21. डॉ० (कुमारी) ई० मार
रीडर
अध्यापक शिक्षा विभाग
नई दिल्ली

22. डॉ० (श्रीमती) पेरीन एच० मेहता
अध्यक्ष
शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा
आधार विभाग
नई दिल्ली

23. श्री टी० एस० मेहता
क्षेत्र सलाहकार
सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी
विभाग
नई दिल्ली

24. डॉ० आर० जी० मिश्र
क्षेत्र सलाहकार
पाठ्यपुस्तक विभाग
नई दिल्ली

25. डॉ० एम० सी० पंत
अध्यक्ष
विज्ञान शिक्षा विभाग
नई दिल्ली

26. श्री डी० एस० रावत
क्षेत्र सलाहकार
पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा
विभाग
नई दिल्ली

27. प्रो० पी० के० राय
प्रधानाचार्य
केन्द्रीय शिक्षा संस्थान
दिल्ली

28. श्री एन० के० सान्याल
क्षेत्र सलाहकार
विज्ञान शिक्षा विभाग
नई दिल्ली

29. डॉ० ए० एन० शर्मा
रीडर
शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा
आधार विभाग
नई दिल्ली

30. श्री पी० डी० शर्मा
प्रधानाचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज
भुवनेश्वर

31. श्री शंकर नारायण
रीडर
अध्यापन सहायता विभाग
नई दिल्ली

32. डॉ० जी० एस० श्रीकंतैया
प्रो० तथा अध्यक्ष,
विज्ञान विभाग
क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज
भुवनेश्वर

33. प्रो० जे० के० शुक्ल
प्रधानाचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज
भोपाल

परिशिष्ट-3

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित रकम

1969-74

	विभाग/योजना	निर्धारित रकम (लाख रुपयों में)
1.	विज्ञान शिक्षा विभाग	30.00
2.	केन्द्रीय विज्ञान कर्मशाला	23·00
3.	राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज योजना	70.00
4.	विज्ञान में ग्रीष्मकालीन संस्थान	90.00
5.	शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा आधार विभाग	14.00
6.	पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग	7.00
7.	सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग	10.00
8.	अध्यापन सहायता विभाग	5.00
9.	पाठ्यपुस्तक विभाग	10.00
10.	आधार-सामग्री प्रक्रिया तथा शैक्षिक सर्वेक्षण एकक	3·00
11.	अध्यापक शिक्षा विभाग	3.00
12.	भवन-निर्माण सहित सामान्य कार्यक्रम तथा सेवाएँ	80.00
13.	सहकारिता अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम	50.00
14.	विस्तार सेवा केन्द्र तथा एकक	100.00
15.	क्षेत्रीय शिक्षा कालेज	130.00
16.	केन्द्रीय शिक्षा संस्थान	10.00
17.	प्रकाशन एकक	75·00
18.	प्रौढ़ शिक्षा विभाग	10.00
19.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् प्रधान कार्यालय	85·00
20.	राष्ट्रीय विज्ञान-शिक्षा परिषद्	25.00
	जोड़	830.00

नोट—अनुवर्ती पृष्ठों में योजनाओं के वार्षिक चरणों के विवरण-पत्र देखने की कृपा करें।

योजनाओं के वार्षिक चरण

1. विज्ञान शिक्षा विभाग

	1969-74	*69-70*	*70-71*	*71-72*	*72-73*	*73-74*
1. पाठ्यक्रम विकास						
(क) प्रारंभिक विज्ञान परियोजना (यूनीसेफ)	0.50	0·08	0.09	0.10	0.11	0.12
(ख) अध्ययन समूह परियोजना	18.75	6.00	6.00	2.25	2.25	2.25
(ग) माध्यमिक स्तर पर विज्ञान तथा गणित के अध्यापन पर प्रयोगात्मक परियोजना	3·75	—	0.75	1.00	1.00	1.00
2. सहायक पाठ्यक्रम परियोजनाएँ फिल्म स्ट्रिप, फिल्म, रूपांकन, नए वैज्ञानिक प्रयोग उपकरण तथा उपस्कर उत्पादन	कर्मचारियों की लागत उपर्युक्त 1 (ग) में शामिल है।					
3. राज्य नेतृत्व विकास-प्रशिक्षण नेतृत्व पाठ्यक्रम, संशोधित सेवा-पूर्व, सेवाकालीन प्रशिक्षण, एस० आई० एस० तथा एस० आई० ई० कर्मचारी वर्ग के लिए अनुकूलन कार्यक्रम	3.70	0.21	0.45	0.99	1.01	1.04
4. **विस्तार तथा परामर्शी कार्यक्रम** राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् पाठ्यक्रम संबंधी सामग्री का विकास, पत्रिकाओं और अनुपूरक पाठ्य सामग्री का प्रकाशन	2.80	0.10	0.71	0.65	0.66	0.68
5. प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण	0.50	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
जोड़	30.00	6.49	8.10	5.09	5.13	5.19

2. केन्द्रीय विज्ञान कर्मशाला

	1969-74	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74
1. रूपांकन तथा विकास, प्रकृत रूप विज्ञान उपकरण तथा सीमित थोक उत्पादन (नए कर्मचारियों, रख-रखाव आदि के लिए व्यवस्था सहित)	18.75	1.00	3.00	4.00	4.50	5.25
2. उपकरण	4.25	1.00	2.00	1.00	0·50	0.75
जोड़	23·00	2.00	5.00	5.00	5.00	6.00

3. राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज योजना

	1569-74	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74
1. **राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज**						
(i) छात्रवृत्ति पुस्तक पुरस्कार डाक्टरी छात्रों का शिक्षा शुल्क और साथ ही प्रशासन के लिए व्यवस्था	34.36	2.30	4.00	6.00	10.00	12.06
(ii) सहयोगी केन्द्र	6.00	1.00	1.25	1.25	1.25	1.25
2. गणितीय महत्त्वपूर्ण छात्रवृत्ति, पुस्तक पुरस्कार, शिक्षा शुल्क, ग्रीष्मकालीन स्कूल गाइड, साक्षात्कार, आदि	12.50	—	0.50	2.00	4.00	6.00
3. प्रतिभा-संपन्न विज्ञान अध्यापन योजना (प्रति समूह 75)	17.14	—	0.14	3.00	6.00	1.00
जोड़	70.00	3.30	5.89	12.25	21·25	27.31

4. विज्ञान में ग्रीष्मकालीन संस्थान

	1969-74	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74
विज्ञान में ग्रीष्मकालीन संस्थान	90.00	16.00	20.00	18.00	18.00	18.00
जोड़	90,00	16.00	20.00	18.00	18.00	18.00

5. शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा आधार विभाग

	1969-74	*69-70*	*70-71*	*71-72*	*72-73*	*73-74*
1. चालू अनुसंधान परियोजनाओं तथा शैक्षिक मनोविज्ञान में वर्तमान कर्मचारी वर्ग द्वारा हाथ में ली जाने वाली नई परियोजनाओं पर आगे का कार्य	2.22	0.32	0.50	0.50	0.50	0.40
2. विस्तार कार्यक्रम	1.20	—	0.30	0.30	0.30	0.30
3. शैक्षिक मनोविज्ञान में अनुसंधान की आवश्यकताओं का निश्चय करने के लिए विचार गोष्ठी	0.24	—	0.12	—	—	0.12
4. मार्ग-दर्शन के क्षेत्र में कार्य का विकास	2.00	—	0.30	0.45	0.55	0.70
5. शिक्षण प्रक्रिया में अनुसंधान तथा उसका विकास	2.90	0.90	0.50	0.50	0.50	0.50
6. अभिप्रेरण और समूह-प्रक्रिया के क्षेत्र में कार्य का विकास	1.23	0.43	0.20	0.20	0.20	0.20
7. विकासशील प्रतिमान परियोजना, $2\frac{1}{2}$—5 वर्ष	0.67	0.58	0.09	—	—	—
8. मूल्यांकन (मुख्यतः निदान संबंधी परीक्षाओं वस्तु सूचियों, निर्धारण-मानों) के उपायों का विकास	1.00	—	0.25	0.25	0.25	0.25
9. शिक्षा आधारों में क्षेत्रीय जाँच-पड़तालें	0.50	—	0.10	0.14	0.14	0.12
10. प्रतिभा के क्षेत्र में कार्य का विकास	1.00	—	0.20	0.23	0.27	0.30
11. पढ़ाई के क्षेत्र में कार्य का विकास	1.04	—	0.20	0.25	0.28	0.31
जोड़	14.00	2.23	2.76	2.82	2.99	3.20

6. पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग

		1969-74	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74
1.	सर्वतोमुखी पाठ्यक्रम—पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री तथा अध्यापन तकनीकों का जिनमें कला, शिल्प तथा कार्य अनुभव शामिल हैं, का विकास	1.81	0.52	0.35	0.34	0.50	0.10
2.	मूल्यांकन कार्यक्रम	0.45	0.03	0·15	0.19	—	0.08
3.	प्राथमिक स्तर पर क्षय तथा गतिहीनता कम करना	1.81	0.14	0.49	0.40	0.43	0.35
4.	प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन	0.32	0.03	0.08	0.07	0.10	0.04
5.	निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण	0.07	0.07	—	—	—	—
6.	भाषा कार्यक्रम-पठन सुधार	0.80	0.06	0.27	0.27	0.10	0.10
7.	विस्तार सेवा कार्यक्रम	0.94	—	0.37	0.21	0.21	0.15
8.	प्रारंभिक शिक्षा पर विचार-गोष्ठियाँ	0.08	—	0.20	0.20	0.20	0.20
	जोड़	7.00	0.85	1.91	1.68	1.54	1.02

7. सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग

		1969-74	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74
1.	सामाजिक विज्ञान कार्यक्रम	4.70	0.65	1.05	1.00	1.00	1.00
2.	भाषा कार्यक्रम	3-00	0.71	0.49	0.60	0.60	0.60
3.	सर्वतोमुखी पाठ्यक्रम कार्यक्रम	1.50	0.74	0.55	0.15	0.06	—
4.	भाषा अनुसंधान कार्यक्रम	0.80	0.23	0.24	0.13	0.10	0.10
	जोड़	10.00	2.33	2.33	1.88	1.76	1.70

8. अध्यापन सहायता विभाग

		1969-74	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74
1.	फिल्म निर्माण एकक	0.47	—	0.17	0.10	0.10	0.10
2.	ए-वी० सह-निर्माण योजना	0.84	—	0.36	0.16	0.16	0.16
3.	सामान्य विस्तार तथा तकनीकी कार्यक्रम	0.53	0.25	0.07	0.07	0.07	0.07
4.	केन्द्रीय फिल्म लायब्रेरी तथा विस्तार	2.21	—	0.73	0.50	0.50	0.48
5.	सहायता के प्रभाव और उपयोगिता में अनुसंधान	0.20	—	0.05	0.05	0.05	0.05
6.	अतिरिक्त कर्मचारी	0.75	—	0.15	0.18	0.20	0.22
	जोड़	5.00	0.25	1.53	1.06	1.08	1.08

9. पाठ्यपुस्तक विभाग

		1969-74	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74
1.	पाठ्यपुस्तकों, अनुसंधान तथा अध्ययनों का मूल्यांकन	5.60	0.86	1.50	0.98	1.13	1.13
2.	सामग्री का विकास तथा प्रसार (क) पाठ्यपुस्तकें (ख) परीक्षा सुधार	1.24	0.13	0.51	0.25	0.27	0.08
3.	प्रशिक्षण, विस्तार तथा परामर्शी सेवाएँ	2.08	0.18	0.70	0.40	0.40	0.40
4.	समन्वय तथा निकास-ग्रह संबंधी कार्य	0.34	0.02	0.08	0.08	0.08	0.08
5.	पाठ्य सामग्री के राष्ट्रीय पूल का रख-रखाव	0.65	0.25	0.10	0.10	0.10	0.10
6.	परीक्षा सुधार में अनुसंधान तथा अध्ययन	0.09	—	0.01	0.02	0.03	0.03
	जोड़	10.00	1.44	2.90	1.83	2.01	1.82

10. आधार सामग्री प्रक्रिया तथा शैक्षिक सर्वेक्षणएकक

	1969-74	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74
1. शैक्षिक सर्वेक्षणों का आयोजन	2.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
2. आधार सामग्री प्रक्रिया कार्यक्रम	0.50	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
जोड़	3.00	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60

11. अध्यापक शिक्षा विभाग

	1969-74	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74
1. प्रवेश कार्यविधियों में सुधार	0.07	—	0.04	0.02	0.01	—
2. मूल्यांकन पद्धतियों में सुधार	0.25	—	0.14	0.11	—	—
3. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों का क्रम-निर्धारण	0.02	—	0.01	0.01	—	—
4. अध्यापक शिक्षा में सुधार तथा उसका विकास	0.50	—	—	0.25	—	0.25
5. व्यापक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम	0.45	—	—	0.15	0.15	0.15
6. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसंधान की प्रोन्नति	0.50	0.05	0.10	0.10	0.10	0.15
7. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में पद्धतियों में प्रयोगों तथा प्रवर्तनों को प्रोत्साहन	0.21	—	0.06	0.06	0.06	0.03
8. प्रारंभिक अध्यापकों में पत्राचार पाठ्यक्रम	0.10	0.10	—	—	—	—
9. सम्मेलन/विचार गोष्ठियाँ आदि	0.90	—	0.30	0.20	0.20	0.20
जोड़	3.00	0.15	0.65	0.90	0.52	0.78

12. भवन निर्माण सहित सामान्य कार्यक्रम तथा सेवाएँ

	1969-74	*69-70*	*70-71*	*71-72*	*72-73*	*73-74*
1. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के अहाते में भवन निर्माण	52.00	11.00	15.00	10.00	8.00	8.00
2. अनुसंधान वृत्तियाँ	3.00	0.30	0.70	0.70	0.70	0.60
3. ग्रीष्मकालीन संस्थान (राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान विभागों द्वारा आयोजित)	15.00	2.00	3.15	3.25	3.25	3.35
4. पुस्तकालय प्रलेख-पोषण तथा पुस्तकालय सेवाएँ	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
जोड़	80.00	15.30	20.85	15.95	13.95	13.95

13. सहकारिता अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम

	1969-74	*69-70*	*70-71*	*71-72*	*72-73*	*73-74*
1. अनुदान परियोजना के लिए सहायतार्थ अनुदान	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2. स्कूल में प्रयोगात्मक परियोजनाएँ	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3. विकासशील प्रतिमान परि-योजना ($5\frac{1}{2}$—11 वर्ष)	4 65	0.40	1.50	1.50	1.25	—
4. सहकारिता परीक्षण विकास	4.70	1.75	1.75	0.40	0.40	0.40
5. अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक उपलब्धि परियोजना	2.44	0.50	1.94	—	—	—
6. द्वितीय तथा तृतीय भाषाओं के रूप में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिए पद्धतियों और सामग्री के विकास की परियोजना	6.10	2.10	2.00	2.00	—	—
7. किशोरावस्था में सहकारी अनुसंधान	1.10	—	0.30	0.40	0.40	—
8. भाषाओं, मूल्यांकन, मार्ग-दर्शन तथा अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान	11.01	—	—	3.67	3.67	3.67
जोड़	50.00	8.75	11.49	11.97	9.72	8.07

14. विस्तार सेवा केन्द्र तथा एकक

	1969-74	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74
प्रशिक्षण कालेजों में स्थित विस्तार सेवा केन्द्रों और एककों को तथा प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्थित विस्तार केन्द्रों को अनुदान	100.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
जोड़	100.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00

15. क्षेत्रीय शिक्षा कालेज

	1969-74	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74
1. छात्रवृत्ति	50.20	10.20	10.00	10.00	10.00	10.00
2. कार्यक्रम	37.80	6.50	7.30	8.00	8.00	8.00
3. भवन-निर्माण	32.00	10.00	5.00	5.00	6.00	6.00
4. उपकरण तथा फर्नीचर	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
जोड़	130.00	28.70	24.30	25.00	26.00	26.00

16. केन्द्रीय शिक्षा संस्थान

	1969-74	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74
1. शिक्षा में एम० ए०	6.08	—	1.09	1.64	1.66	1.69
2. विशेष शिक्षा एकक	2.26	—	—	0.83	0.71	0.72
3. पीएच० डी० कार्यक्रमों को समृद्ध बनाना	0.26	—	—	—	0.08	0.18
4. कनिष्ट वृत्तियाँ प्रदान करना	0.50	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
5. भाषा प्रयोगशाला	0.50	0.50	—	—	—	—
6. केन्द्रीय शिक्षा संस्थान के भवन का विस्तार	0.40	0.40	—	—	—	—
जोड़	10.00	1.00	1.19	2.57	2.55	2.69

17. प्रकाशन एकक

	1969-74	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74
शैक्षिक साहित्य का मुद्रण तथा प्रकाशन	75.00	16.25	18.25	15.50	13.00	12.00
जोड़	75.00	16.25	18.25	15.50	13.00	12.00

18. प्रौढ़ शिक्षा विभाग

	1969-74	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74
पोलिवेलेन्ट केन्द्रों को सहायतार्थ अनुदान	10.00	1.75	1.75	2.50	2.00	2.00
जोड़	10.00	1.75	1.75	2.50	2.00	2.00

19. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् प्रधान कार्यालय

	1969-74	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74
1. विदेशी माल पर लगने वाला सीमा शुल्क तथा आकस्मिक खर्च	2.00	—	0.50	0.50	0.50	0.50
2. व्यावसायिक संगठनों को अनुदान	2.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
3. अध्ययन समूह की बैठक, राज्य योजना का मूल्यांकन	2.00	0.50	0.50	0.35	0.35	0.30
4. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् अधिकारियों के दौरे	1.00	—	0.25	0.25	0.25	0.25
5. क्षेत्रीय एकक	12.50	—	2.00	3.00	3.50	4.00
6. उपकरण	3.00	1.00	0.75	0.50	0.50	0.25
7. जनसंख्या शिक्षा	3.00	—	0.75	0.75	0.75	0.75
8. भाषा प्रयोगशालाएँ	6 00	—	1.75	2.00	1.25	1.00
9. क्षेत्रीय फ़िल्म लाइब्रेरियाँ	8.00	—	3.20	2.40	1.20	1.20
10. राज्यों में क्षेत्र अधिकारी	40.00	—	6.00	10.00	12.00	12.00
11. पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विशेष कार्यक्रम	5.00	—	1.00	1.25	1.50	1.50
जोड़	85.00	2.00	17.20	21.50	22.05	22.25

राष्ट्रीय विज्ञान-शिक्षा परिषद्

	1969-74	*69-70*	*70-71*	*71-72*	*72-73*	*73-74*
राष्ट्रीय विज्ञान-शिक्षा परिषद्	25.00	3.50	12.50	3.00	3.00	3.00
जोड़	25.00	3.50	12.50	3.00	3.00	3.00

परिशिष्ट-4

पाठ्यपुस्तकों के विषय में नीति

राज्यों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्यपुस्तकों के प्रयोग संबंधी समिति की रिपोर्ट

1 जुलाई 1969 को हुई सभा में इस प्रयोजन के लिए शासी निकाय द्वारा नियुक्त समिति की बैठक 31 जनवरी, 1970 सुबह 10-30 बजे श्री टी० आर० जयरामन्, संयुक्त सचिव (जी०) के कमरे में हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

डॉ० बी० एन० गांगुली

श्री टी० आर० जयरामन्
संयुक्त सचिव (जी०)
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

प्रो० एस० वी० सी० अय्या
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्।

2. समिति ने महसूस किया है कि प्रबंध निकाय के संकल्प के अनुसार जम्मू तथा कश्मीर राज्य, राजस्थान, मैसूर तथा पश्चिमी बंगाल के साथ व्यवहार के साथ ही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के पाठ्यपुस्तकों तथा राज्यों में उनके प्रयोग के व्यापक प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए।

3. सभी स्कूल जाने वाले विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकों के खरीदने के आदी नहीं होते। इनमें से कुछ इतने गरीब होते हैं कि वे पाठ्यपुस्तकों को खरीद ही नहीं सकते। कुछ राज्य प्राधिकरण उनमें अपने पाठ्यक्रम को तैयार करने तथा ऐसे पाठ्यक्रम के अंतर्भूत पाठ्यपुस्तकों की सिफ़ारिश करने में बहुत विलक्षण हैं। कुछ अध्यापक साइक्लोस्टाइल किए हुए उपलेख आदि तैयार करते हैं जिनको विद्यार्थी खरीदना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रकाशक भी व्यापार में रुचि लेते हैं। व्यापक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि एक श्रेणी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कुछ प्रतिशत ही पाठ्यपुस्तकें खरीद सकता होगा। इस प्रतिशत की दर विद्यार्थियों द्वारा पुरानी पुस्तकें खरीदने के कारण और भी कम हो जाती है क्योंकि अधिकांश राज्य कुछ वर्षों के लिए ही पुस्तकों को निर्धारित करते हैं।

4. अधिकांश राज्यों के स्कूलों में शिक्षा प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम द्वारा दी जाती है तथा अंग्रेजी तथा हिंदी में प्रकाशित पुस्तक को सरलता से अंगीकार कर सकना सुविधाजनक नहीं बन पाता।

5. चार राज्यों में संदर्भ पुस्तक अथवा मूल सामग्री के रूप में प्रयोग की जाने वाली राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रकाशनों की सूची अनुबंध I में दी गई है। जिन राज्यों में परिषद् की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग नहीं होता उन कारणों को अनुबंध 2 में दिया गया है। आम विचार यह है कि पुस्तकें उनके पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं होतीं।

6. विभिन्न राज्यों के विभिन्न विषयों पर निर्धारित पाठ्यक्रम का विस्तृत विश्लेषण करने से पता चलता है कि किसी भी एक कक्षा के पाठ्यक्रम का 70 प्रतिशत परिषद् द्वारा लिखित पाठ्यपुस्तक में अंतर्भूत हो जाता है। परंतु इस 70 प्रतिशत को विभिन्न कक्षाओं के लिए रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् द्वारा लिखित पुस्तकों में से ग्रहण करना होगा। असली समस्या यह है।

7. 1 फरवरी, 1970 तक रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकों से संबंधित सारा ब्यौरा अनुबंध 4 में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् का सामान्य कार्य इतना निराशाजनक नहीं रहा जितना प्रायः दृष्टिगोचर होता है।

8. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के तत्त्वावधान में 15 तथा 16 जनवरी 1970 को पाठ्यपुस्तकों पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्यों में पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन से संबद्ध अधिकारी उपस्थित थे। सम्मेलन में तथा सम्मेलन से बाहर अनौपचारिक रूप से विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह निष्कर्ष निकला कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्यपुस्तकों के सबंध में स्थिति को इस दिशा में पर्याप्त रूप से सुधारा जा सकता है यदि इस समय विद्यमान कुछ कमियों को दूर किया जाए।

9. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को चाहिए कि भविष्य में वह पाठ्य-क्रम की किन्हीं विशेष मदों पर प्रबंध प्रकाशित करने की संभावना का पता लगाए। ऐसी स्थिति में, ऐसे प्रबंधों के संयोग से, राज्य विशेष में किसी कक्षा विशेष के लिए स्कूल पाठ्यपुस्तकों की अपेक्षित 70% सामग्री मिल जाएगी। इससे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की सामग्री का अनुकूलन राज्य के लिए संभव हो जाएगा। राज्य की अतिरिक्त सहायता के लिए प्राथमिक, मिडिल तथा माध्यमिक स्तरों के लिए अलग-अलग पुस्तक के आकार का मानकीकरण करना आवश्यक समझा गया। एक बार पुस्तक के आकार का मानकीकरण कर दिए जाने पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा रेखाचित्रों, आकृतियों अथवा चित्रों के चमकीले प्रिंट उपलब्ध कराना संभव हो जाता है। इनका राज्य द्वारा अपनी पुस्तकों में सीधे ही प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि पुस्तक के लिए जो आकार आवश्यक है उसके साथ प्रिंट मेल खाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक

अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को उन प्रबंधों अथवा विभिन्न पुस्तकों से अंशों का विशेषतः, संकेत कर देना चाहिए, जो किसी राज्य में पाठ्यपुस्तक की आवश्यकताएँ पूरी करेंगे। इसके साथ अतिरिक्त सामग्री जोड़नी होगी। यदि आवश्यकता हो तो यह रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् द्वारा भी लिखी जा सकती है। इस प्रकार के कदम से भी रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् की सामग्री को तब तक पूरी तरह से अपना लेने में सहायता नहीं मिलेगी जब तक ऐसी सामग्री के प्रांतीय भाषाओं में अनुवाद कराने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। इस प्रयोजन के लिए रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् में ही अपने क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों का उपयोग करके सुविधाएँ उपलब्ध कराने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इन कालेजों में क्षेत्र की भाषाओं के लिए भाषा प्राध्यापक तथा विभिन्न विषयों के लिए, शैक्षणिक कर्मचारी होते हैं। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान द्वारा बताए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर क्षेत्रीय भाषा ने पाठ्यपुस्तक के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। राज्यों को सहायता प्रदान करने की इस तकनीक का सुझाव अभी ही रखा गया है और राज्यों से प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा की जा रही है।

10. निदेशक ने मैसूर में शिक्षा विभाग के कार्यभारी अधिकारी तथा सार्वजनिक शिक्षा के निदेशक से भेंट की थी। इन व्यक्तियों ने यह संकेत दिया कि यदि मैसूर राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के पूर्णतया अनुरूप कुछ दिया जाता है तो उस पर अनुमोदनात्मक ढंग से विचार किया जा सकता है। पाठ्यपुस्तकों के कार्यभारी अधिकारी ने, जिसने पाठ्यपुस्तकों पर सम्मेलन में भाग लिया, इस संबंध में आगे बातचीत करने पर, उसी प्रकार का मत ही व्यक्त किया।

11. रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् की पाठ्यपुस्तकें अपने आप में बहुत अच्छी हो सकती हैं और स्कूल जनसंख्या का कुछ भाग अपने ज्ञान आदि की वृद्धि के लिए उन्हें खरीद सकते हैं। दुर्भाग्यवश, ऐसे प्रयोजनों के लिए रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् की पाठ्यपुस्तकों का प्रचार नहीं होता है। उसी प्रकार, रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् की पाठ्यपुस्तकों के विभिन्न राज्यों में एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति के आधार पर प्रयोग के संबंध में कार्यवाही करने के कोई सम्मिलित प्रयास नहीं किए गए हैं। संभवतः यह उस स्थिति में किया जा सकता है जब रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् का एक क्षेत्र सलाहकार प्रत्येक राज्य के साथ संबद्ध हो और उसका चयन इस प्रकार किया जाए कि उसका राज्य अधिकारियों के साथ निकट संपर्क हो, वह एक अच्छे जन-संपर्क-व्यक्ति के रूप में कार्य कर सकता है और वह राज्य की भाषा जानता हो।

12. उपर्युक्त को देखते हुए रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् इस समय प्रबंधों के प्रकाशन की व्यवहार्यता के प्रश्न की, किसी पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार पाठ्य सामग्री उपलब्ध करने के प्रश्न की, प्रत्येक राज्य में एक क्षेत्र अधिकारी नियुक्त करने के प्रश्न की तथा रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् की पाठ्यपुस्तकों के लिए प्रचार में सुधार लाने के प्रश्न की जाँच कर रही है।

13. समिति अनुभव करती है कि इन समस्याओं की जाँच के बाद, यदि नीति विषयक निर्णय शीघ्र लिए जाएँ और उनका कार्यान्वयन किया जाए तो रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् के लिए राज्य में अनुकूलन के लिए सामग्री उपलब्ध करना अथवा अपनी स्वयं की पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण के लिए राज्यों द्वारा सीधे प्रयोग में लाई जा रही सामग्री उपलब्ध करना संभव हो जाना चाहिए।

14. निदेशक ने समिति को सूचित किया कि उसने 15 तथा 16 जनवरी को पाठ्यपुस्तकों पर पिछले सम्मेलन में राज्यों के प्रतिनिधियों के सम्मुख इस बात पर बल दिया कि पाठ्यक्रम का अपने आप में कोई महत्त्व नहीं है। किसी पाठ्यक्रम विशेष के लिए भी विषयवस्तु का प्रस्तुतीकरण तथा लेखनकला से महत्त्वपूर्ण अंतर पड़ता है। उन्होंने यह भी संकेत किया कि ज्ञान के क्षेत्र में जो भी नवीनतम है, उसका समावेश करना तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, राष्ट्रीय एकता, जनसंख्या, पालन-पोषण और भारतीय राज्यों आदि की परस्पर-आश्रित अर्थव्यवस्था का अवधारणाओं तथा छात्रों की परीक्षा लेने के लिए मूल्यांकन के मार्गदर्शक सिद्धांतों का समावेश करने से कोई पुस्तक अन्य की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी बन सकती है, भले ही दोनों का पाठ्यक्रम समान ही हो। इन अवधारणाओं का अनुवर्तन विशेषत: उपयोगी हो सकता है।

ह०/- डा० बी० एन० गांगुली
अध्यक्ष

ह०/- टी० आर० जयरामन्
सदस्य

नई दिल्ली
7-2-1970

ह०/- एस० वी० सी० अय्या
सदस्य

नोट :—शासी निकाय की इच्छानुसार, उपर्युक्त रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश की गई थी। रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, सरकार ने, राज्य सरकारों द्वारा रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् की पुस्तकों के प्रयोग के बारे में नीति पर एक पत्र जारी किया था, जो अनुबंध 6 में उद्धृत है और एक पत्र सभी राज्य सरकारों को लिखा जो अनुबंध 7 में उद्धृत है।

अनुबंध I

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रकाशनों की सूची, जिन्हें संदर्भ पुस्तक अथवा स्रोत सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया गया

मैसूर

1. कक्षा I के लिए हिन्दी प्राइमर तथा हिन्दी रीडर
2. कक्षा II, III, IV, V के लिए हिन्दी रीडर
3. कक्षा VI के लिए हिन्दी पाठ्यपुस्तक—राष्ट्र भारती—भाग I
4. कक्षा VII के लिए हिन्दी पाठ्यपुस्तक—राष्ट्र भारती—भाग II
5. राष्ट्र भारती—भाग III—कक्षा VIII के लिए हिन्दी पाठ्यपुस्तक
6. एंशियंट इंडिया—ए टैक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री फॉर मिडल स्कूल्स
7. प्रैक्टिकल ज्यागरेफी फॉर सैकेंडरी स्कूल्स
8. इकोनामिक ज्यागरेफी फॉर सैकेंडरी स्कूल्स
9. कक्षा III, IV तथा V के लिए सोशल स्टडीज टैक्स्टबुक तथा कक्षा I और II के लिए टीचर्स मैनुअल
10. इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर सैकेंडरी एण्ड टैक्नीकल स्कूल्स
11. ऐलीमैंट्स ऑफ इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग फॉर सैकेंडरी एण्ड टैक्नीकल स्कूल्स
12. ऐलीमैंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग—ए टैक्स्टबुक फॉर सैकेंडरी एण्ड टैक्नीकल स्कूल्स
13. वर्कशाप प्रैक्टिस—ए टैक्स्टबुक फॉर सैकेंडरी एण्ड टैक्नीकल स्कूल्स (पार्ट I, II)
14. ए टैक्स्टबुक ऑफ फीजिक्स फॉर सैकेंडरी स्कूल्स (पार्ट I)
15. ए टैक्स्टबुक ऑफ एल्जेबरा फॉर सैकेंडरी स्कूल्स (पार्ट I एण्ड II)
16. ऐलिमैंट्स ऑफ प्राबेबिलिटी—ए टैक्स्टबुक फॉर सैकेंडरी स्कूल्स

जम्मू तथा कश्मीर

1. कक्षा IV के लिए हिन्दी रीडर
2. कक्षा III, IV तथा V के लिए सोशलस्टडीज टैक्स्टबुक्स तथा कक्षा I और II के लिए टीचर्स मैनुअल

राजस्थान

1. प्रैक्टिकल ज्यागरफी फॉर सैकेंडरी स्कूल्स
2. इकोनामिक ज्यागरफी फॉर सैकेंडरी स्कूल्स

पश्चिम बंगाल

कुछ नहीं

अनुबंध 2

चारों ही राज्यों ने रिपोर्ट दी है कि वे रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् की कई पाठ्यपुस्तकों को निर्धारित नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे राज्य में प्रवर्तमान पाठ्यक्रम के अनुकूल नही बैठती हैं अथवा इसलिए कि वे 1970 तक पुस्तकों की सिफारिश पहले ही कर चुके हैं।

अनुबंध 3

राज्य पाठ्यक्रम

सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा गणित में विभिन्न राज्यों में विभिन्न विषयों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि 70 प्रतिशत से अधिक पाठ्यक्रम समान है। परन्तु, पाठ्यक्रम का कक्षा-वार वितरण, स्कूल पाठ्यक्रम की समग्र अवधि के भी आधार पर एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग है। परिणामतः, रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् में किसी कक्षा के लिए लिखी गई पुस्तक उस कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं भी हो सकती है। वास्तव में, किसी कक्षा के लिए पाठ्य सामग्री की सर्वोत्तम उपयुक्तता, विभिन्न कक्षाओं के लिए रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् द्वारा लिखी गई पुस्तकों से लिए गए अंशों का समाकलन है।

अनुबंध 4

क्र०सं०	शीर्षक	संस्करण	प्रकाशन का वर्ष तथा महीना	मुद्रित प्रतियाँ हजार में	बिक्री की गई प्रतियों की संख्या हजार में	राज्य जिन्होंने सिफारिश की है	राज्य जिन्होंने निर्धारित की है
1	2	3	4	5	6	7	8
	पाठ्यपुस्तक (अंग्रेजी माध्यम)						
	सामान्य विज्ञान						
1.	जनरल साइंस प्राइमरी स्कूल्स बुक I (फॉर क्लास III)	प्रथम द्वितीय	8/67 4/68	5 8	11·5		
2.	जनरल साइंस फॉर प्राइमरी स्कूल्स बुक II (फॉर क्लास IV)	प्रथम द्वितीय	9/67 7/68	5 8	12·5		

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	जनरल साइंस फॉर यू: ए टैक्स्टबुक फॉर सैकेंडरी स्कूल्स	प्रथम	12/68	5		पुस्तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके अनुमोदन/टिप्पणी के लिए भेजी गई है।	
	जीव-विज्ञान						
4.	बायलोजी: साइंस फॉर मिडल स्कूल्स पार्ट I (फॉर क्लास VI)	प्रथम द्वितीय तृतीय	8/67 9/68 6/69	15 10 10	26·5	आंध्र प्रदेश, गुजरात	दिल्ली तथा केन्द्रीय विद्यालय
5.	बायलोजी: साइंस फॉर मिडल स्कूल्स पार्ट II (फॉर क्लास VII)	प्रथम द्वितीय	7/68 7/69	10 15			
6.	बायलोजी: साइंस फॉर मिडल स्कूल्स पार्ट III (कक्षा VIII के लिए)	प्रथम	8/69	20	7	—	दिल्ली तथा केन्द्रीय विद्यालय
7.	बायलोजी: ए टैक्स्ट-बुक फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल्स सेक्शन I	प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम	9/65 7/66 7/67 9/67 4/69	11 9 8 8 10	30		मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, नागालैंड, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली, गोआ-दामन और दीव, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, हरियाणा, केन्द्रीय विद्यालय।
8.	बायलोजी: ए टैक्स्ट-बुक फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल्स सेक्शन II	प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्त पंचम	2/65 8/66 8/67 12/67 5/69	10 5 5 8 10		आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश	

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	बायलोजी: ए टैक्स्ट-बुक फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल्स सेक्शन III	प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ	9/65 8/66 8/67 12/68	11 5 5 11	26	आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, नागालैंड, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, गोआ-दमन एवं दिव, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, हरियाणा, केन्द्रीय विद्यालय।
10.	बायलोजी: ए टैक्स्ट-बुक फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल्स सेक्शन IV एण्ड V	प्रथम द्वितीय	5/66 5/69	16 15	16		
11.	बायलोजी: ए टैक्स्ट-बुक फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल्स सेक्शन VI एण्ड VII	प्रथम द्वितीय	2/67 6/69	15 10	15		
	रसायन विज्ञान						
12.	केमेस्ट्री: साइंस फॉर मिडल स्कूल्स पार्ट I (कक्षा VII के लिए)	प्रथम द्वितीय	7/68 6/69	10 15	16	आंध्र प्रदेश (अनुकूलित तथा तेलुगु में अनूदित) गुजरात	दिल्ली तथा केन्द्रीय विद्यालय
13.	केमेस्ट्री: साइंस फॉर मिडल स्कूल्स पार्ट II (कक्षा VIII के लिए)	प्रथम	8/69	20	75	प्रयोगात्मक संस्करण	
14.	केमेस्ट्री: ए टैक्स्ट-बुक फॉर सेकेंडरी स्कूल्स पार्ट I	प्रथम	10/68	5	1·5	पुस्तक को राज्यों/संघ क्षेत्रों को अनुमोदनार्थ/टिप्पणी के लिए भेजी गई है।	

1	2	3	4	5	6	7	8
	भौतिकी						
15.	फिजिक्स: साइंस फॉर मिडल स्कूल्स पार्ट I (कक्षा VI के लिए)	प्रथम द्वितीय तृतीय	8/67 9/68 7/69	15 10 10	28	आंध्र प्रदेश, गुजरात	दिल्ली तथा केन्द्रीय विद्यालय
16.	फिजिक्स: साइंस फॉर मिडल स्कूल्स पार्ट II (कक्षा VII के लिए)	प्रथम द्वितीय	7/67 6/69	10 15	14	आंध्र प्रदेश, गुजरात	दिल्ली तथा केन्द्रीय विद्यालय
17.	फिजिक्स: साइंस फॉर मिडल स्कूल्स पार्ट III (कक्षा VIII के लिए)	प्रथम	8/69	20	8	—	दिल्ली तथा केन्द्रीय विद्यालय
18.	फिजिक्स: ए टैक्स्ट-बुक फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल्स पार्ट I	प्रथम	3/68	5	1·8	मैसूर, लक्कादिव, केरल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़	—
	गणित						
19.	अर्थमेटिक-अलजबरा: मैथेमैटिक्स फॉर मिडल स्कूल्स पार्ट I (कक्षा VI के लिए)	प्रथम द्वितीय तृतीय	8/67 9/68 6/69	15 8 11	28	आंध्र प्रदेश	दिल्ली तथा केन्द्रीय विद्यालय
20.	अर्थमेटिक-अलजबरा: मैथेमैटिक्स फॉर मिडल स्कूल्स पार्ट II (कक्षा VII के लिए)	प्रथम द्वितीय	8/68 6/69	10 15	15·5	—	दिल्ली तथा केन्द्रीय विद्यालय

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	अर्थमेटिक-अलजबरा: मैथेमैटिक्स फॉर मिडल स्कूल्स पार्ट III (कक्षा VIII के लिए)	प्रथम	7/69	20	8	—	दिल्ली तथा केन्द्रीय विद्यालय
22.	ज्योमेट्री: मैथेमैटिक्स फॉर मिडल स्कूल्स पार्ट I (कक्षा VI के लिए)	प्रथम द्वितीय तृतीय	9/67 10/68 4/69	15 10 12	29	आंध्र प्रदेश	दिल्ली तथा केन्द्रीय विद्यालय
23.	ज्योमेट्री: मैथेमैटिक्स फॉर मिडल स्कूल्स पार्ट II (कक्षा VII के लिए)	प्रथम द्वितीय	7/68 6/69	10	5·5	—	दिल्ली तथा केन्द्रीय विद्यालय
24.	ज्योमेट्री: मैथेमैटिक्स फॉर मिडल स्कूल्स पार्ट III (कक्षा VIII के लिए)	प्रथम	8/69	20	8	—	दिल्ली तथा केन्द्रीय विद्यालय
25.	अलजबरा: ए टैक्स्ट-बुक फॉर सैकेंडरी स्कूल्स पार्ट I	प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ	8/66 7/67 3/68 12/68	10 15 10 25	42	केरल, आंध्र प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, गोआ, दमन और दीव, तमिलनाडु, राजस्थान,	नागालैंड, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, मणिपुर, केन्द्रीय विद्यालय
26.	अलजबरा: ए टैक्स्ट-बुक फॉर सैकेंडरी स्कूल्स पार्ट II	प्रथम द्वितीय	2/68 12/68	15 25	22	—	—
27.	एलिमैंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी	प्रथम	5/68	2·5	1·5	केरल, मैसूर, गोआ, दमन और दीव, राजस्थान, पांडिचेरी	—

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	इनसाइट इनटू मैथेमैटिक्स: बुक I फॉर क्लास I	प्रथम	7/69	3	—	पुस्तक राज्य/संघ क्षेत्रों को उनके अनुमोदन / टिप्पणी के लिए भेजी गई है।	—
	प्रोद्योगिकी (टैकनालाजी)						
29.	इंजिनियरिंग ड्राइंग: ए टैक्स्टबुक फॉर टेकनीकल स्कूल्स	प्रथम	5/67	25	·13	तमिलनाडु, केरल (मलयालम में अनुवाद के लिए), मैसूर, पांडिचेरी।	दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश
30.	एलीमेन्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग: ए टैक्स्टबुक फॉर टेकनीकल स्कूल्स	प्रथम द्वितीय	1/68 7/69	3 10	11·5	गुजरात, आंध्र प्रदेश, दादर और नगर हवेली, मैसूर, तमिलनाडु, केरल (मलयालम अनुवाद शुरु किया गया)।	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश
31.	एलिमेन्ट्स ऑफ मिकेनिकल इंजीनियरिंग: ए टैक्स्टबुक फॉर टेकनीकल स्कूल्स	प्रथम द्वितीय	1/68 7/69	25 10	25	आंध्रप्रदेश, मैसूर, केरल, तमिलनाडु	—

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	वर्कशाप प्रैक्टिस: ए टैक्स्टबुक फॉर टेकनीकल स्कूल्स पार्ट I	प्रथम	2/68	2·5	1	आंध्र प्रदेश, मैसूर, गुजरात, केरल, तमिलनाडु	—
33.	वर्कशाप प्रैक्टिस: ए टैक्स्टबुक फॉर टेकनीकल स्कूल्स पार्ट II	प्रथम	6/68	2·5	0·9	गोआ, दमन और दीव, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, पंजाब।	—
34.	रीडिंग ब्ल्यू प्रिन्ट्स एण्ड स्कैचिंग: ए टैक्स्टबुक फॉर टेकनीकल एण्ड वोकेशनल स्कूल्स	प्रथम	11/68	3	0·2	पुस्तक राज्य/संघ क्षेत्रों को अनुमोदन/टिप्पणी के लिए भेजी गई है।	—
	सामाजिक अध्ययन						
35.	अवर कंट्री—इंडिया: बुक I (कक्षा III के लिए)	प्रथम	8/68	10	5·1	जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, बिहार, मध्य-प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, गोआ, दमन और दीव।	महाराष्ट्र, मैसूर, मणिपुर, केन्द्रीय विद्यालय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह।
36.	अवर कंट्री—इंडिया: बुक II (कक्षा IV के लिए)	प्रथम	9/68	10	4·9	जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, गोआ, दमन और दीव, त्रिपुरा, मैसूर, केरल, मध्यप्रदेश।	दिल्ली, अंडमान तथा निकोबार द्वीप-समूह, बिहार, मणिपुर, केन्द्रीय विद्यालय।

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	इंडिया एंड दि वर्ल्ड बुक III (कक्षा V के लिए)	प्रथम	2/69	10	5.5	—	—
38.	लोकल गवर्नमेंट: ए टैक्स्टबुक ऑफ सिविक्स फॉर मिडिल स्कूल्स (कक्षा VI के लिए)	प्रथम	7/69	10	1	—	बिहार, दिल्ली, केन्द्रीय विद्यालय
39.	सोशल स्टडीज: ए टैक्स्टबुक फॉर हायर सैकेंडरी स्कूल्स वाल्यूम I	प्रथम	3/69	2.5	0.4	—	केन्द्रीय विद्यालय
	भूगोल						
40.	प्रैक्टिकल ज्योग्राफी: ए टैक्स्टबुक फॉर सैकेंडरी स्कूल्स	प्रथम	4/67	5	4	मैसूर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, पांडिचेरी, गुजरात, दादर और नगर हवेली	दिल्ली, मणिपुर, पंजाब, हरियाणा हिमाचल प्र०, केंद्रीय विद्यालय —
41.	इकोनॉमिक ज्योग्राफी: ए टैक्स्टबुक फॉर सैकेंडरी स्कूल्स	प्रथम	9/67	5	4	मैसूर, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, राजस्थान, लक्काद्वीप	दिल्ली, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मणिपुर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केन्द्रीय विद्यालय।

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	फिजिकल ज्योग्राफी: ए टैक्स्टबुक फॉर सैकेंडरी स्कूल्स	प्रथम	2/68	2.5	2	तमिलनाडु, गोवा, दमन एवं दीव, केरल	केन्द्रीय विद्यालय दिल्ली।
43.	अफ्रीका एंड एशिया: ए ज्योग्राफी टैक्स्टबुक फॉर मिडिल स्कूल्स पार्ट I (कक्षा VI के लिए)	प्रथम	8/69	10	—	यह पुस्तक राज्यों/संघ क्षेत्रों को उनकी टिप्पणी/अनुमोदनार्थ भेजी गई है।	
	इतिहास						
44.	एन्शिएन्ट इंडिया : ए टैक्स्टबुक ऑफ हिस्ट्री फॉर मिडिल स्कूल्स (कक्षा VI के लिए)	प्रथम द्वितीय	11/66 5/69	5 10	6.5 —	मैसूर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु	दिल्ली, मणिपुर, लक्काद्वीप, केन्द्रीय विद्यालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार।
45.	मैडीवल इंडिया : ए टैक्स्टबुक फॉर मिडिल स्कूल्स। (कक्षा VII के लिए)	प्रथम	5/68	5	4	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू एवं कश्मीर तथा केरल	मणिपुर, केन्द्रीय विद्यालय तथा बिहार
	वाणिज्य						
46.	एलिमैन्ट्स ऑफ बुक-कीपिंग एण्ड अकाउन्टैन्सी : ए टैक्स्टबुक फॉर कलासेज़ IX-XI	प्रथम	6/69	2.5	—	यह पुस्तक राज्य/संघ क्षेत्रों को अनुमोदन/टिप्पणी के लिए भेजी गई है।	

1	2	3	4	5	6	7	8
अंग्रेजी भाषा :							
47.	इंगलिश रीडर (जनरल सीरीज) बुक IV (कक्षा XI के लिए)	प्रथम	7/69	3	—	यह पुस्तक हाल ही में राज्य सरकारों को भेजी गई है और उनके उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।	
48.	इंगलिश रीडर (स्पेशल सीरीज) बुक I (कक्षा VI के लिए)	प्रथम	7/69	3	—		
49.	इंगलिश रीडर (जनरल सीरीज) बुक फॉर क्लास VI	प्रथम	8/69	3	—		

पाठ्यपुस्तकें (हिन्दी)

जीव विज्ञान

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	बायोलाजी: साइंस फॉर मिडिल स्कूल्स पार्ट I(कक्षा VI के लिए)	प्रथम द्वितीय	8/67 9/68	10 10	16 —	आंध्र प्रदेश, गुजरात	दिल्ली तथा केन्द्रीय विद्यालय
51.	बायोलाजी: साइंस फॉर मिडिल स्कूल्स पार्ट II (कक्षा VII के लिए)	प्रथम	8/68	9	6.5	—	—
52.	बायोलाजी: साइंस फॉर मिडिल स्कूल्स पार्ट III (कक्षा VIII के लिए)	प्रथम	9/69	10	2.0	दिल्ली	

1	2	3	4	5	6	7	8
53.	बायोलाजी: ए टैक्स्ट बुक फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल्स सेक्शन I	प्रथम	7/67	10	5.5	आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश	दिल्ली, मध्य-प्रदेश, केन्द्रीय विद्यालय, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव,
54.	बायोलाजी: ए टैक्स्ट बुक फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल्स सेक्शन II	प्रथम	11/67	10	3.9	आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश	दिल्ली, केंद्रीय विद्यालय, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ।
रसायन-विज्ञान							
55.	केमेस्ट्री : साइंस फॉर मिडिल स्कूल्स पार्ट I (कक्षा VII के लिए)	प्रथम	9/68	9	5.5	गुजरात, आंध्र प्रदेश, (तेलुगु में अनूदित तथा अनुकूलित)	दिल्ली तथा केन्द्रीय विद्यालय
56.	केमेस्ट्री : साइंस फॉर मिडिल स्कूल्स पार्ट II (कक्षा VIII के लिए)	प्रथम	11/69	10	3.5	—	दिल्ली तथा केन्द्रीय विद्यालय ।
भौतिकी							
57.	फिजिक्स : साइंस फॉर मिडिल स्कूल्स पार्ट I (कक्षा VI के लिए)	प्रथम द्वितीय	8/67 9/68	10 10	14.5	आंध्र प्रदेश, गुजरात	दिल्ली तथा केन्द्रीय विद्यालय।
58.	फिजिक्स : साइंस फॉर मिडिल स्कूल्स पार्ट II (कक्षा VII के लिए)	प्रथम	8/68	9	7.5	आंध्र प्रदेश, गुजरात	दिल्ली तथा केन्द्रीय विद्यालय ।

1	2	3	4	5	6	7	8
59.	फिजिक्स: साइंस फॉर मिडिल स्कूल्स पार्ट III (कक्षा VIII के लिए)	प्रथम	9/69	10	3		—यथोपरि—
	गणित						
60.	अर्थमेटिक—अल्जबरा: मैथेमैटिक्स फॉर मिडिल स्कूल्स पार्ट I (कक्षा VI के लिए)	प्रथम द्वितीय	8/67 6/69	10 10	11	आंध्र प्रदेश	दिल्ली तथा केन्द्रीय विद्यालय
61.	अर्थमेटिक—अल्जबरा: मैथेमैटिक्स फॉर मिडिल स्कूल्स पार्ट II (कक्षा VII के लिए)	प्रथम	8/68	9	7·5	—	—यथोपरि—
62.	अर्थमेटिक—अल्जबरा: मैथेमैटिक्स फॉर मिडिल स्कूल्स पार्ट III (कक्षा VIII के लिए)	प्रथम	8/69	10	3	—	—यथोपरि—
63.	ज्योमेट्री: मैथेमैटिक्स फॉर मिडिल स्कूल्स पार्ट I (कक्षा VI के लिए)	प्रथम द्वितीय	7/67 6/69	10 10	11	—	—यथोपरि—
64.	ज्योमेट्री: मैथेमैटिक्स फॉर मिडिल स्कूल्स पार्ट II (कक्षा VII के लिए)	प्रथम	7/68	9	7·5	—	—यथोपरि—

1	2	3	4	5	6	7	8
65.	ज्योमेट्री: मैथेमैटिक्स फॉर मिडिल स्कूल्स पार्ट III (कक्षा VIII के लिए)	प्रथम	7/69	10		—	—यथोपरि—
	सामाजिक अध्ययन						
66.	हमारी दिल्ली: (कक्षा III के लिए)	प्रथम	3/67	310	305	जम्मू और कश्मीर, मध्यप्रदेश	दिल्ली, बिहार, केन्द्रीय विद्यालय
67.	हमारा देश भारत: (कक्षा IV के लिए)	प्रथम	4/67	235	232	—यथोपरि—	—यथोपरि—
68.	भारत और संसार: (कक्षा V के लिए)	प्रथम	11/68	25	12	—	केन्द्रीय विद्यालय
69.	सामाजिक अध्ययन: भाग II (कक्षा VI के लिए)	प्रथम	12/68	25	6	—	केन्द्रीय विद्यालय
70.	सामाजिक अध्ययन: भाग I (कक्षा III के लिए)	प्रथम	11/68	25	12	—	—यथोपरि—
71.	स्थानीय शासन: मिडिल स्कूल के लिए पाठ्य-पुस्तक (कक्षा IV के लिए)	प्रथम द्वितीय	4/69 4/69	10 100	105	—	बिहार, दिल्ली, केन्द्रीय विद्यालय
	भूगोल						
72.	अफ्रीका और एशिया: मिडिल स्कूल के लिए एक पाठ्यपुस्तक (कक्षा VI के लिए)	प्रथम	7/69	110	99	—	दिल्ली और केन्द्रीय विद्यालय

1	2	3	4	5	6	7	8
	इतिहास						
73.	प्राचीन भारत: मिडिल स्कूल के लिए एक पाठ्य-पुस्तक (कक्षा VI के लिए)	प्रथम	5/69	5	5	मैसूर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु	दिल्ली, बिहार, केन्द्रीय विद्यालय
	हिन्दी भाषा						
74.	रानी मदन अमर : शिशुओं के लिए हिन्दी प्राइमर	प्रथम द्वितीय	4/66 6/69	50 25	64	मैसूर	बिहार, दिल्ली अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, लक्काद्वीप, केन्द्रीय विद्यालय
75.	चलो पाठशाला चलें कक्षा I के लिए हिन्दी रीडर	प्रथम		500	495		
76.	आओ हम पढ़ें : कक्षाII के लिए हिन्दी रीडर	प्रथम द्वितीय तृतीय	2/67 7/69	441	432	मैसूर, आंध्र प्रदेश	दिल्ली, बिहार, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, केन्द्रीय विद्यालय
77.	आओ पढ़ें और समझें : कक्षा III के लिए हिन्दी रीडर	प्रथम	1/68	250	235	मैसूर, आंध्र प्रदेश गोआ, दमन और दीव	दिल्ली, बिहार, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, केन्द्रीय विद्यालय
78.	आओ पढ़ें और सीखें : कक्षा IV के लिए हिन्दी रीडर	प्रथम	7/68	210	185	मैसूर, जम्मू और कश्मीर	दिल्ली, बिहार, अंडमान तथा निको० द्वीपसमूह, केन्द्रीय विद्यालय

1	2	3	4	5	6	7	8
79.	आओ पढ़ें और खोजें : कक्षा V के लिए हिन्दी रीडर	प्रथम	8/68	225	217	केरल, मैसूर	दिल्ली, बिहार, केंद्रीय विद्यालय अ० तथा नि० द्वीपसमूह
80.	राष्ट्र-भारती-भाग 1 कक्षा VI के लिए हिन्दी रीडर	प्रथम द्वितीय	5/67 7/67	210 20	205	गुजरात, मैसूर, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र, दादर तथा नगर हवेली	दिल्ली अ० तथा नि० द्वीपसमूह, मणिपुर, बिहार, केंद्रीय विद्यालय
81.	राष्ट्र-भारती—भाग II कक्षा VII के लिए हिन्दी रीडर	प्रथम	—	155	145	मैसूर, गोआ, दमन एवं दीव,	दिल्ली, अ० तथा नि० द्वीपसमूह, बिहार, केन्द्रीय विद्यालय
82.	राष्ट्र-भारती—भाग III कक्षा VIII के लिए हिन्दी रीडर	प्रथम		120	116	मैसूर	दिल्ली, अ० तथा नि० द्वीपसमूह, केन्द्रीय वि० बिहार
83.	काव्य संकलन : माध्यमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यपुस्तक	प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम	8/64 8/65 7/67 4/68 6/69	25 40 25 15 40	143	पंजाब	दिल्ली, आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल, केन्द्रीय विद्यालय
84.	गद्य संकलन : माध्यमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यपुस्तक	प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम	11/64 8/65 7/67 4/68	25 40 20 15	96	पंजाब	दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केन्द्रीय विद्यालय
85.	एकांकी संकलन : माध्यमिक वि० के लिए पाठ्यपुस्तक	प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ		10 25 10 25	67	पंजाब	दिल्ली और केन्द्रीय विद्यालय

1	2	3	4	5	6	7	8
86.	काव्य के अंग : माध्यमिक वि० के लिए पाठ्यपुस्तक	प्रथम द्वितीय तृतीय	7/67 6/68 4/69	10 5 10	23	मध्य प्रदेश ने काव्य के अंग पुस्तक को संदर्भ पुस्तक के रूप में सिफारिश की है ।	
87.	जीवनी संकलन : माध्यमिक वि० के लिए पाठ्यपुस्तक	प्रथम	8/68	5	1.5		
88.	कहानी संकलन : माध्यमिक वि० के लिए पाठ्यपुस्तक	प्रथम द्वितीय तृतीय	6/68 7/68 4/69	5 26	52	पंजाब	दिल्ली तथा केन्द्रीय विद्यालय
89.	काव्य संकलन : (संयुक्त गद्य संकलन) संस्करण	प्रथम द्वितीय	8/67 5/69	3.5 2.5	4.5		बड़ौदा
	संस्कृत						
90.	संस्कृतोदय: माध्यमिक वि० के लिए पाठ्यपुस्तक	प्रथम द्वितीय	7/68 7/69	3 10	10.5	केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोआ, दमन, तथा दीव	दिल्ली, मणिपुर, अंडमान, तथा निकोबार द्वीपसमूह

अनुबंध 5

राज्य/संघ क्षेत्र जिन्होंने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की विज्ञान की पुस्तकों को ग्रहण किया है :

क्र० सं०	राज्य/संघ क्षेत्र/ संगठन का नाम	अनुकूलन का प्रकार	कक्षाएँ	वर्ष
1	2	4	4	5
1.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषांतर ग्रहीत	VI भौतिकी	1967-68
			VI जीव विज्ञान	
			VI अंकगणित-बीजगणित	
			VI रेखागणित	
			VII जीव विज्ञान	
			VII रसायन-विज्ञान	1968-69
			VII अंकगणित—बीजगणित	
			VII रेखागणित	
			VII सब विषयों में उक्त माला	1969-70
2.	दिल्ली	विज्ञान शिक्षा विभाग के परामर्श से अत्यल्प संशोधन के साथ हिन्दी भाषांतर गृहीत	VI भौतिकी	1968-69
			VI जीव विज्ञान	
			VII भौतिकी	
			VII जीव विज्ञान	
			VII रसायन-विज्ञान	1969-70
			VI अंकगणित-बीजगणित	
			VI रेखागणित	
			VIII भौतिकी	
			VIII जीव विज्ञान	1970-71 में प्रयोग के लिए प्रेस में
			VIII रसायन-विज्ञान	
			VII अंकगणित-बीजगणित	
			VII रेखागणित	

1	2	3	4	5
3. आंध्र प्रदेश		सभी विषयों की त्रिवर्षीय मिडिल स्कूल की सामग्री अपने कक्षा VI और VII के दो वर्षीय मिडिल स्तर के लिए परीक्षण प्रयोजन के लिए अनुकूलित	VI भौतिकी VI रसायन-विज्ञान VI जीव विज्ञान VI अंकगणित-बीजगणित VI रेखागणित	1969-70
		विज्ञान शिक्षा विभाग ने अनुकूलित पांडुलिपि तैयार करने में सहायता प्रदान की है।	VII भौतिकी VII रसायन विज्ञान VII जीव विज्ञान VII अंकगणित-बीजगणित VII रेखागणित	1970-71 में उपयोग के लिए सामग्री निर्माणाधीन।
4. सरदार वल्लभभाई पटेल विश्वविद्यालय, आनंद, गुजरात		रा० शै० अ० प्र० परिषद् की पाठ्यपुस्तकें खेड़ा जिले के चुने हुए विद्यालयों में परीक्षण के लिए अनूदित और ग्रहीत।	VI भौतिकी VI जीव विज्ञान VII भौतिकी VII रसायन विज्ञान VII जीव विज्ञान	1968-69 1969-70
5. केरल		रा० शै० अ० प्र० परिषद् का पाठ्यक्रम प्राथमिक (I—5) और मिडिल स्तर (VI—VIII) ग्रहीत और	I-IV सामान्य विज्ञान V सामान्य विज्ञान	1970-71 में प्रयोग के लिए सामग्री को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
		प्राथमिक की तीन सहायक पुस्तकें और विज्ञान विषयों की मिडिल की सभी पाठ्यपुस्तकें प्रयोग के विकास के लिए अनुकूलित।	VI भौतिकी VI रसायन-विज्ञान VI जीव विज्ञान VII भौतिकी VII रसायन-विज्ञान VII जीव विज्ञान	1971-72 में प्रयोग के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं और विज्ञान शिक्षा विभाग के परामर्श से इस समय अंतिम रूप दिया जा रहा है।

यूनिसेफ/यूनेस्को से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के अंतर्गत, संपूर्ण स्कूल स्तर पर विज्ञान की शिक्षा पर बल देने के लिए निम्नलिखित राज्यों से विचार-विमर्श किया गया और रा० शै० अ० प्र० परिषद् को प्राथमिक तथा मिडिल स्तर की प्रकाशन सामग्री का तथा प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने तथा 1970-71 वर्ष से शुरू होने वाले शैक्षिक वर्ष से चुने हुए 30 मिडिल स्कूलों और 50 प्राथमिक स्कूलों में परीक्षण के तौर पर अनुकूलन करने के लिए सहमतियाँ प्राप्त हो गई हैं। हिन्दी भाषी राज्यों ने रा० शै० अ० प्र० परिषद् के हिन्दी रूपांतर को परीक्षण के तौर पर समग्र रूप में स्वीकार कर लिया है, और इन हिन्दी भाषी राज्यों को वाँछित संख्या में पुस्तकों की प्रतियों की पूर्ति के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं :

1. तमिलनाडु
2. महाराष्ट्र
3. गुजरात
4. उड़ीसा
5. पश्चिम बंगाल
6. असम
7. हरियाणा
8. पंजाब
9. हिमाचल प्रदेश
10. बिहार
11. उत्तर प्रदेश
12. राजस्थान
13. मैसूर
14. मध्य प्रदेश

अनुबंध 6

भारत सरकार शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में संयुक्त सचिव, श्री टी० आर० जयरामन् का दिनांक 7 मार्च 1970/16 फाल्गुन 1891 (शक) का पत्र सं० एफ० 9-27/69 रा० शै० अनु० प्रशि० परि० स्कूल 4

राज्य सरकारों द्वारा रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् की पुस्तकों के प्रयोग के संबंध में नीति

रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् द्वारा पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य सामग्री के प्रकाशन तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके प्रयोग संबंधी नीति में संशोधित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है। रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् के शासी निकाय के इस निष्कर्ष को देखते हुए कि परिषद् की पाठ्यपुस्तकें अंगीकार करने में राज्य सकारों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही है, परिषद् ने राज्य सरकारों द्वारा पुस्तकों को अंगीकार करना अथवा उनका अनुकूलन करना स्वीकार नहीं किए जाने के लिए कारणों का सही-सही पता लगाने के लिए एक उपसमिति नियुक्त की। डॉ० बी० एन० गांगुली, भूतपूर्व कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय उक्त उपसमिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय शैसिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अध्यक्ष, शिक्षामंत्री को उपसमिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। सरकार ने अब समस्या के सभी पहलुओं की जाँच कर ली है और निम्नलिखित निर्णय किए हैं :—

(i) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, कुल मिलाकर भविष्य में पाठ्यपुस्तक सामग्री तैयार करे और उसे सभी राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों को उपलब्ध करे। इस वर्ग के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तक पर लेखक (अथवा लेखकों) का नाम नहीं दर्शाया जाना चाहिए। परंतु पुस्तक के तैयार करने में जो व्यक्ति संबंधित हों उनसे प्राप्त सहायता का उपयुक्त उल्लेख कर दिया जाए। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र अपने स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार करने में उक्त सामग्री का अनुकूलन कर सकते हैं।

(ii) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् बाजार में उपलब्ध विशिष्ट पुस्तकों का प्रकाशन भी कर सकती है अथवा प्रसिद्ध लेखकों को पाठ्यपुस्तकें लिखने के लिए नियोजित कर सकती है। ऐसे मामलों में लेखक का नाम पुस्तक में दिया जाए। परंतु प्रयोक्ता सरकार को यह सूचित कर दिया जाना चाहिए कि उक्त प्रकाशन को केवल अंगीकार किया जा सकता है। यदि किन्ही परिवर्तनों का प्रस्ताव हो तो उनके लिए परिषद् की पूर्वानुमति ली जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में परिषद् को लेखक से परामर्श करके उसकी सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

(iii) परिषद् ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन स्वयं करने के स्थान पर किसी संगठन को सौंप दें।

(iv) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की सभी पुस्तकों की एक मानक प्रस्तावना होनी चाहिए जिसमें पुस्तक तैयार करने में पालन किए गए सिद्धांत और यदि किसी अनुकूलन की सामान्यतः अनुमति दी जानी हो तो उसका स्वरूप दिया जाना चाहिए।

(v) पहले ही प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में राज्य सरकारों को यह सूचना दी जाए कि वे बिना किसी परिवर्तन के इन पुस्तकों का प्रयोग कर सकते है। यदि वे अपने पाठ्यक्रमों के अनुरूप कोई संशोधन अथवा परिवर्तन करना चाहते हों तो उन्हें परिषद् से पूर्वानुमति लेनी चाहिए, जिस स्थिति में परिषद् को कापीराइट अधिनियम के प्रकाश में लेखकों के साथ परामर्श करना पड़ सकता है।

2. मैं आभारी हूँगा यदि उपर्युक्त नीति विषयक निर्णय को तत्काल अमल में लाया जाता है।

अनुबंध 7

भारत सरकार, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री टी० आर० जयरामन् का दिनांक 7 मार्च, 1970/16 फाल्गुन 1891 (शक) का पत्र सं० एफ० 9-27/69 रा० शै० अनु० प्रशि० परि०/स्कूल 4

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् की पुस्तकों को अंगीकार तथा अनुकूलन किया जाना

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कापीराइट अधिनियम के कुछ उपबंधों तथा परिणामी कानूनी प्रभावों को देखते हुए, यह पाया गया है कि राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यपुस्तक बोर्ड की यह सिफारिश अब तक प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कार्यान्वित नहीं की जा सकती कि परिषद् से राज्य सरकारों को कोई खास पूर्वानुमति लिए बिना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा परीक्षण परिषद् की पुस्तकों से सामग्री का प्रयोग अथवा अपनी इच्छानुसार पुस्तकों के अनुकूलन करने की अनुमति दी जाए। इन परिस्थितियों में, राज्य सरकारों, संघ राज्यक्षेत्रों से निवेदन है कि वे रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् की पुस्तकों में यदि कोई परिवर्तन करें तो उनके बारे में राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों के रूप में इनके मुद्रण तथा प्रकाशन से पूर्व परिषद् से आवश्यक अनुमति ले लें।

2. यह भी निर्णय किया गया है, कि जहाँ तक संभव होगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ऐसी पाठ्य सामग्री तैयार करेगी जिसका प्रयोग राज्य सरकारों द्वारा अपनी पाठ्यपुस्तकों में स्वच्छंदता से किया जा सकेगा। संबंधित प्रकाशनों में यह विशेषता पाई जाएगी।

परिशिष्ट-5

राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज योजना

राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज योजना अभियान परियोजना के रूप में 1963 में केवल दिल्ली के लिए शुरू की गई थी, जिसने 1964 में अखिल भारतीय योजना के रूप में व्यापक स्वरूप धारण कर लिया। इस योजना के अंतर्गत 1964-69 में दिए गए कुल पुरस्कारों की संख्या, राज्यानुसार वितरण सहित टेबल 1 में दी गई है। पुरस्कारों के लिए भाग लेने वाले अभ्यार्थियों की संख्या और उन्हें प्राप्त करने वालों की संख्या का प्रतिरूपात्मक राज्यानुसार वितरण टेबल 2 में दिया गया है।

2. इस योजना का उद्देश्य ऐसे वास्तविक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की खोज करना है जिनकी भविष्य में विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने की संभावना हो और उन्हें बिना किसी आर्थिक चिन्ता के अध्ययन के लिए वांछित सुविधाएँ सुलभ करना है। उनके कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, चुने हुए विद्यार्थियों को, बी० एस-सी०, एम० एस-सी०, और इसके उपरांत पी०एच०डी० के अध्ययन के लिए सावधानी के साथ चुने हुए प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में भेजा जाता है। बी० एस-सी० स्तर पर 100/– रु० प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जाती है साथ ही शिक्षाशुल्क तथा पुस्तकों के लिए भत्ते दिए जाते हैं। एम० एस-सी० स्तर पर 250 रु० प्रतिमास छात्रवृत्ति के साथ शिक्षाशुल्क तथा पुस्तकों के लिए भत्ते दिए जाते हैं। पी०एच० डी० स्तर पर पूर्व उल्लिखित भत्तों के साथ 350 रु० प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जाती है।

3. 'परिषद्' के लिए मुख्य समस्या, प्रश्नपत्र बनाने, उत्तर पुस्तकों की जाँच तथा साक्षात्कारों के आयोजन ऐसे ढंग से व्यवस्थित करना है जिससे कि एकरूपता का उच्च माप प्राप्त हो सके। पिछली परीक्षाओं के परीक्षाफलों के पुनःनिरीक्षण से प्रकट होता है कि यह अभिलाषा अधिक सीमा तक पूरी हुई है। कठिनाइयाँ यदि कोई हैं तो उन पर ध्यान दिया जाता है और संभव सीमा तक उन्हें हल किया जाता है। इस योजना की अभिनव विशेषता 1969 से विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में परीक्षाओं का आयोजन करना था। यहाँ भी जाँचों से यह प्रकट/परिलक्षित होता है कि मूल्यांकन में अत्यधिक एकरूपता प्राप्त की जा सकी है। प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से परीक्षाओं के आयोजन से यद्यपि व्यय बढ़ गया है, लेकिन इससे ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो विज्ञान में अच्छे हैं, लेकिन जिन्हें संतोषप्रद स्तर पर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है।

4. चुने हुए विद्यार्थियों को केवल छात्रवृत्तियाँ देकर ही अपने भाग्य पर नहीं छोड़ दिया जाता। शिक्षा संस्थान जिसमें उन्हें प्रवेश लेना चाहिए; बड़ी संख्या में चुने हुए संस्थानों में से एक होता है। ऐसे संस्थानों को, कर्मचारियों, उपकरणों आदि तथा विद्यार्थियों के कार्यों पर दिए गए ध्यान के बारे में रिपोर्टों के आधार पर चुना किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज के विद्यार्थियों पर ध्यान दिया जाता है और उनकी उन्नति पर संस्थान के कर्मचारियों के एक सदस्य द्वारा निगरानी रखी जाती है। राष्ट्रीय-प्रतिभा खोज के विद्यार्थियों पर दिया गया विशेष ध्यान, इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

5. ये विद्यार्थी अपने ग्रीष्मावकाश को उपयोगी कार्यों में व्यतीत करें और अपने आप को रचनात्मक कार्यों में लगाए रखें, इसके लिए, भौतिकी, रसायन-विज्ञान गणित तथा जीव विज्ञान, जैसे विषयों के बी० एस-सी०, के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्तरों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए, देश भर में, ग्रीष्मकालीन विद्यालयों की व्यवस्था की जा रही है। इस वर्ष 19 ग्रीष्मकालीन विद्यालय थे। इसके अतिरिक्त एम० एस-सी० में करने वाले अध्ययन विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं अथवा विश्वविद्यालयों के प्रसिद्ध अनुसंधान विभागों अथवा अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ सम्बद्ध करके, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

6. इन प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों के ऐसे ग्रीष्मकालीन विद्यालयों के अधिकृत व्यक्तियों की जो स्वयं भी विशिष्ट होते हैं के प्रतिवेदन अत्यधिक उत्साहप्रद हैं। उनमें से बहुतों ने इन विद्यार्थियों के अच्छे गुणों और वैज्ञानिक कार्यों में उनकी अभिरुचि तथा उत्साह प्रदर्शन पर बार-बार अपनी प्रशंसात्मक रिपोर्टें दी हैं।

7. पूर्वस्तरों पर प्रतिभा खोज की योजना को व्यवस्थित/सुचारु रूप से चलने में विश्व में कोई भी व्यक्ति कभी सफल नहीं हुआ। सर्वोत्तम संभावित ढंग अपनाया गया है और उसके विकास के लिए लगातार ध्यान रखा जाता है। इस योजना के विकास के लिए ऐसी योजनाओं के मूल्यांकन और इन मूल्यांकनों के फलस्वरूप प्रकट होने वाली कमियों को दूर करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को अब हाथ में लिया जा सकता है क्योंकि शुरू के कुछ विद्यार्थी-समूह अपने कार्यों की पूर्णावस्था स्तर पर पहुँच गए हैं।

8. टेबल 1 में राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज छात्रवृति पुरस्कारों का विवरण दिया गया है। टेबल 2 में अभ्यार्थियों की संख्या और पुरस्कार प्राप्त करने वालों की संख्या का राज्यानुसार वितरण दिया गया है। ये दोनों टेबल प्रत्यक्षकारक हैं। सूक्ष्म जाँच से पता चला है कि राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज छात्रवृति बड़ी संख्या में दिल्ली के छात्र प्राप्त करते हैं। इसको विस्तृत जाँच करने पर पता चला कि दिल्ली के ये छात्र भारत के कुछ भागों प्रदेशों के हैं। ऐसा मालूम होता है कि केंद्रीय सरकार के नियोजन अथवा कार्य से, भारत के विभिन्न भागों के बहुत से परिवार दिल्ली में आकर बस गए हैं। परिणामतः, दिल्ली वास्तव में संपूर्ण भारत है न कि केवल

दिल्ली राज्य। यही तर्क कलकत्ता, बंबई, मद्रास आदि जैसे शहरों के विषय में भी लागू होता है।

9. प्रारंभिक मूल्यांकन से ऐसा संकेत मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या बहुत थोड़ी है। सूक्ष्म जाँच से, पता चला है कि जो भी तकनीक अपनाई जाय, विद्यार्थी का सामान्य पूर्वपक्ष उसकी अगली उपलब्धियों को बहुत कुछ प्रभावित करता है। इस प्रकार, वातावरण जिसमें वह रहता है और विद्यालय जिसमें वह पढ़ता है, भी उसके भविष्य को निश्चित करने में कुछ भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि ये अतिरिक्त सुविधाएँ ग्रामीण छात्रों को उपलब्ध नहीं होतीं इसलिए वे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। इन परिस्थितियों में, फिलहाल भारत सरकार एक अतिरिक्त पूरक योजना, अर्थात् प्रतिभाशाली ग्रामीण छात्रों को छात्रवृतियाँ देने, पर विचार कर रही है। इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली ग्रामीण बालकों को चुनना, उन्हें छात्रवृति देना और उन्हें चुने हुए अच्छे विद्यालयों में शिक्षा देना है। इसके अतिरिक्त, ऐसे विद्यार्थियों की उन्नति के क्रमिक विकास का ध्यान रखना भी इस योजना में निहित है। यह यथार्थ रूप से अनुभव किया जा रहा है कि ऐसी योजना से सफल प्रतियोगी ग्रामीण छात्र सामने आएँगे और राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति प्राप्त करेंगे।

10. विद्यार्थियों के चुनाव के लिए अपनाई गई और परीक्षणों की योजना अन्य विभिन्न प्रक्रियाओं की भी इस समय छान-बीन की जा रही है और अपेक्षित आवश्यक सुधार वर्ष-प्रति वर्ष किया जाएगा।

11. राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज योजना का क्षेत्र विज्ञान संबंधी कार्य के लिए अभिरुचि रखने वाले छात्रों को ढूंढ़ निकालने तथा उनकी सहायता करने तक ही सिमित है। यह रचनात्मक योग्यता का पता लगाने की परीक्षा नहीं है। इसके लिए विश्व स्वयं ही अभी उपयुक्त परीक्षा की तलाश में है।

सारणी 1

राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियाँ

राज्य/क्षेत्र का नाम	प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या					
	1964.	65	66	67	68	69
1. आंध्र प्रदेश	3	4	2	6	4	11
2. असम	8	7	1	2	4	5
3. बिहार	4	13	3	15	7	14
4. गुजरात	7	—	5	5	4	7
5. हरियाणा	—	—	—	6	—	—
4. जम्मू तथा कश्मीर	—	—	—	—	—	—
7. केरल	—	1	13	27	32	11
8. मध्य प्रदेश	27	2	17	3	9	10
9. महाराष्ट्र	37	36	30	22	30	35
10. मद्रास (अब तमिलनाडु)	14	13	5	16	16	21
11. मैसूर	11	23	16	14	30	5
12. नागालैंड	—	—	—	—	—	—
13. उड़ीसा	7	6	4	2	3	2
14. पंजाब	39	11	9	3	3	2
15. राजस्थान	4	5	5	1	9	8
16. उत्तर प्रदेश	49	27	33	32	46	25
17. पश्चिम बंगाल	36	77	60	79	55	77
18. दिल्ली	104	97	150	124	100	124
19. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	2	1	1
20. त्रिपुरा	—	2	1	1	—	—
21. मणिपुर	1	—	—	1	1	—
23. गोआ	1	1	—	—	—	—
23. पांडिचेरी	2	—	—	—	—	—
24. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—
25. चंडीगढ़	—	—	—	7	1	—
26. लक्कादीव, मिनीकाय तथा अमीन-दीवी द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—
26. नेफा	—	—	—	—	—	—
जोड़	354	325	354	368	355	359

नोट—यह योजना मार्गदर्शी परियोजना के रूप में केवल 1963 में ही दिल्ली क्षेत्र में कार्यान्वित की गई थी और दस छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गयी थीं। यह योजना भारत भर में 1964 से कार्यान्वित की गई।

सारणी 2

राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतीभा खोज योजना 1966

परीक्षार्थियों की कुल संख्या : 4025

चुने गए प्रत्याशियों की कुल संख्या : 354

प्रत्याशियों की संख्या का राज्यवार वितरण तथा जो व्यक्ति छात्रवृत्तियाँ पा रहे हैं उनकी संख्या :

राज्य	जो प्रत्याशी परीक्षा में बैठे, उनकी संख्या	जो व्यक्ति छात्रवृत्तियाँ पा रहे है, उनकी संख्या
आंध्र प्रदेश	204	2
असम	63	1
बिहार	104	3
दिल्ली	572	150
गुजरात	56	5
जम्मू तथा काश्मीर	11	0
केरल	141	13
मद्रास	248	5
मध्य प्रदेश	652	17
महाराष्ट्र	298	30
मैसूर	101	16
उड़ीसा	23	4
पंजाब	219	9
राजस्थान	208	5
उत्तर प्रदेश	845	33
संघ राज्य क्षेत्र	40	1
पश्चिम बंगाल	240	60

परिशिष्ट-6

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का परीक्षा सुधार कार्य

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना के बहुत पहले भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा परीक्षा-सुधार की आवश्यकता अनुभव की गई थी। इस समस्या पर लगातार ध्यान दिया गया है। फिर भी, यह ध्यान रखना होगा कि स्कूल शिक्षा मुख्यतः राज्यों का विषय है। वास्तव में जो आवश्यक है, वह यह है कि किए गए कार्य को स्पष्ट करना और इन कार्यों के फलानुसार राज्यों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना है। इसे हल करना एक कठिन समस्या है और समय की प्रगति के साथ यह अधिक कठिन हो गया है, क्योंकि बहुत-से राज्य केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए कार्यों को संशय की निगाह से देखते हैं और ऐसे कार्यों को ग्रहण करने अथवा अनुकूलन देने में हिचकिचाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से राज्यों की यह उत्कट इच्छा है कि वे अपने बारे में स्वतंत्रतापूर्वक विचार करें।

2. इन कमियों की पृष्ठ-भूमि के बावजूद राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों और राज्य शिक्षा विभागों को काफी सीमा तक प्रभावित किया गया है।

3. कई कर्मशालाओं को चलाया गया और प्रश्न पत्र बनाने में और परीक्षाओं के आयोजन करने में नई तकनीकों को ग्रहण करने के लिए स्कूल शिक्षकों तथा अन्य को प्रशिक्षण दिया गया है। 1968 में जब समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, उस समय राज्यों पर हुआ संघात पूर्ण उत्साहप्रद नहीं था। फिर भी वर्ष 1970 में संघात पूर्ण उत्साहप्रद हो गया है।

4. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली की सहायता तथा सहयोग से विभिन्न राज्यों में उनके माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के लिए तैयार किए गए नमूना प्रश्न पत्रों की संख्या और तैयार किए गए प्रशिक्षण एककों की संख्या का विवरण अगले पृष्ठ की तालिका 1 में दिया गया है :

5. तालिका 1 से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में विकसित तकनीकों को ग्रहण करना बहुत से राज्यों ने उचित समझा है। उन्होंने बहुत से अभिलेखों को प्रकाशित किया है, जिनका विवरण तालिका 1 में देखा जा सकता है। इन्हें राज्यों के प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा स्कूलों को प्रचारित किया गया है। संबंधित माध्यमिक शिक्षा बोर्डों ने भी अपनी सार्वजनिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्र बनाने में भी इनका उपयोग किया है। जिन बाधाओं के होते हुए कार्य करना पड़ता है, उनको ध्यान में रखते हुए उपलब्धियों पर एक साधारण पाठक भी संतोष का अनुभव करता है।

तालिका 1

राज्य	नमूना प्रश्नपत्र	एककों की संख्या	योग
राजस्थान*	29	17	46
गुजरात	9	5	14
पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश	8	4	12
महाराष्ट्र	3 (ड्राइ आउट)	—	3
मध्य प्रदेश	3	15	18
मैसूर	8	7	15
केरल	6	6	12
असम, नागालैंड, नेफा, मणिपुर	9	9	18
आंध्र प्रदेश	1	—	1
पश्चिम बंगाल	5	—	5
योग	81	63	144

*इसके अतिरिक्त, राजस्थान ने निम्नलिखित भी तैयार किया है :

प्रायोगिक परीक्षा पर ब्रोशर	6
मौखिक परीक्षा पर ब्रोशर	1
आंतरिक मूल्य निर्धारण पर ब्रोशर	2
योग	9

6. इसके अतिरिक्त, यह उल्लेखनीय होगा कि बहुत से राज्य उनके द्वारा अपने अध्यापकों और परीक्षकों के लिए आयोजित कर्मशालाओं तथा विचार गोष्ठियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान से अविराम रूप से साधकों को प्राप्त करते रहे हैं।

7. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में आने वाले विदेशी आगंतुकों ने भी संस्थान द्वारा किए गए कार्यों में अत्यधिक रुचि दिखाई है। परिणामतः राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के पास बहुत से देशों से पूछ-ताछ के रूप में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। एक मामले में तो इसे पहले ही पूर्णतया कार्यरूप भी दिया गया है और कार्य भी पहले ही पूर्ण किया जा चुका है। नेपाल सरकार ने भारत सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान से 12 अधिकारियों को, जिनमें से छः नेपाल में परीक्षा सुधार से संबंधित और अन्य छः पाठ्यक्रम तथा अनुदेशन से संबंधित थे, प्रशिक्षण के लिए अनुरोध किया था। इन

अधिकारियों ने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में अपना प्रशिक्षण समाप्त कर लिया है और वापिस लौट गए हैं। नेपाल सरकार को परामर्श देने वाले विदेशियों ने स्वयं सिफारिश की है कि उनके अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली का उपयोग किया जाए।

८. उपर्युक्त विवरण को ध्यान में रखते हुए, यह कहना कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में किए गए परीक्षा संबंधी कार्य ने कोई संघात नहीं किया है, शायद अनुदारता होगी।

९. यह उल्लेख किया जा सकता है कि एक अन्य संगठन द्वारा आयोजित राज्य शिक्षा बोर्डों के अध्यक्षों तथा सचिवों के एक सम्मेलन ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के परीक्षा एकक को पुनर्जीवित करने के लिए शिफारिश की है, जिसे समीक्षा समिति की रिपोर्ट के बाद बंद कर दिया गया था। सीमाओं के अंदर इसे चालू रखा गया है, लेकिन यदि अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध हुई होतीं तो इसने पिछले नौ महीनों में इससे अधिक संघात किया होता।

परिशिष्ट 7

अध्ययन तथा सर्वेक्षण

(1969-70)

आलोच्य वर्ष में, पहले शुरू की गई परियोजनाओं पर आगे प्रगति हुई तथा कुछ नए अध्ययन, परीक्षण तथा सर्वेक्षण हाथ में लिए गए। इस वर्ष पूरी की गई तथा हाथ में ली गई अनुसंधान परियोजनाओं तथा शैक्षिक सर्वेक्षणों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिए अनुसार है :—

(क) अध्ययन

1. परीक्षण विकास

1·1 सहकारी परीक्षण विकास परियोजना

इस परियोजना का उद्देश्य व्यावसायिक रुचि सूची तथा अनेक व्यवसायों के लिए मानों और 7+से 9+, 9+से 11+, 11+से 13+तथा 13+से 16+ आयु वर्गों के लिए प्रतिभा के चार सामूहिक परीक्षणों को, प्रत्येक को सीमांतर विधि और आंशिक अतिव्यापन क्रिया के साथ विकसित करना है। मद विश्लेषण के लिए प्रयोगात्मक आँकड़े इकट्ठे किए गए थे और वे प्रक्रिया अधीन हैं।

1·2 शैक्षिक अभिरुचि परीक्षणों का विकास

(प्रामाणिकता अध्ययन)

इस अध्ययन का उद्देश्य, कक्षा 8 के लिए शैक्षिक अभिरुचि परीक्षणों की प्रामाणिकता के संबंध में और अधिक प्रमाण एकत्र करना है। परीक्षणों के संबंध में अनुदेशों की एक नियम पुस्तिका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में तैयार की गई और प्रकाशन के लिए मुद्रणालय को भेजी गई थी। परीक्षणों को उनकी प्रामाणिकता के संबंध में नए प्रमाण एकत्र करने की दृष्टि से 9वीं कक्षा के लगभग 700 छात्रों पर लागू किया गया।

1·3 प्रतिभा के गैर-मौखिक परीक्षण का विकास

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के कहने पर भारत सरकार की योग्यता छात्रवृत्ति योजना के लिए चयन के प्रयोजनों के लिए प्रतिभा के एक गैर-मौखिक परीक्षण का विकास किया गया।

1·4 विभेदक अभिरुचि परीक्षण बैटरी का विकास

कुछ समय पूर्व जी० ए० आर० पी० योजना से अनुदान के अंतर्गत जबलपुर स्थित मनोविज्ञान शैक्षिक कालेज द्वारा मध्यप्रदेश में डेल्टा श्रेणी के लिए विभेदक

अभिरुचि परीक्षणों की एक बैटरी का निर्माण और मानकीकरण किया गया। इन परीक्षणों के परिशोधन के प्रयोजनों के लिए अब इनका परिषद् में अध्ययन किया जा रहा है। इन परीक्षणों का आशय, हिन्दी भाषी राज्यों में कक्षा 8 में पढ़ रहे छात्रों को विकसित योग्यता का जायजा लेना है और इनका प्रयोग छात्रों के शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए भी किया जा सकता है।

2. मार्गदर्शन एवं परामर्श

2·1 व्यवसाय अध्यापन

इस परियोजना का उद्देश्य कक्षा 8 तथा 11 में व्यवसाय-अध्यापन की विभिन्न पद्धतियों का अध्ययन करना और उनका मूल्यांकन करना है। कामकाज मोनोंग्राफों के रूप में व्यावसायिक सूचना साहित्य—मोनोग्राफ-14 कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ने वालों के लिए और 15 कक्षा 11 के बाद स्कूल छोड़ने वालों के लिए, तैयार किए गए। तीन कामकाज परिवारों, अर्थात् मानवीकी में आजीविका, विज्ञान में आजीविका तथा वाणिज्य में आजीविका पर साहित्य तैयार करने का कार्य भी शुरू किया गया।

2·2 समाजमिति में अध्ययन

समीक्षाधीन वर्ष में अनुसंधान परीक्षणों के आधार पर समाजमिति पर एक पुस्तिका तैयार की गई। पुस्तिका में, कक्षा-समूह के सामाजिक और भावनात्मक वातावरण को समझने और उसमें सुधार करने की समाजमितीय तकनीकों पर विचार विमर्श किया गया है।

2·3 भारतीय बच्चों में योग्यताओं और रुचियों का स्थिरीकरण

वर्धनशील परिपक्वता वाली सामान्य योग्यता के विभेदी प्रक्रिया की जाँच-पड़ताल करने तथा उस आयु अथवा ग्रेड का निर्धारण करने के लिए अनुदैर्ध्य और प्रतिवर्गीय रीतियों का संयोजन अपनाया गया, जिसमें आयु अथवा ग्रेड में भारतीय बच्चों में विभिन्न योग्यताएँ, अभिरुचियाँ और रुचियाँ स्थिर होती हैं। प्रति-वर्गीय अध्ययन की रिपोर्ट 1967 में पूरी की गई थी, जबकि अनुदैर्ध्य अध्ययन की रिपोर्ट को इस वर्ष अंतिम रूप दिया गया।

2·4 तीव्र बुद्धि अवर निष्पादकों के निष्पादन पर व्यक्तिगत सलाह देने के प्रभाव का अध्ययन

इस अध्ययन का उद्देश्य, तीव्र बुद्धि अवर निष्पादकों के निष्पादन पर व्यक्तिगत सलाह देने के प्रभाव का पता लगाना है। अध्ययन की रिपोर्ट इस वर्ष तैयार की गई।

2·5 स्कूल में अनुत्तीर्ण शक्य छात्रों पर व्यक्तिगत सलाह देने के प्रभाव का अध्ययन—

अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(क) आवधिक परामर्शदायी सत्रों के परिणामस्वरूप स्कूल के विभिन्न विषयों में छात्रों के निष्पादन में क्रमिक सुधार का अध्ययन करना; और

(ख) उनकी अध्ययन संबंधी आदतों तथा अध्ययन मनोवृत्ति में निश्चयात्मक परिवर्तन लाना।

अध्ययन की रिपोर्ट इस वर्ष तैयार की गई।

2.6 किशोरों में जीविका चयन पर प्रभाव डालने वाले तत्व—

1965-66 में परिषद् ने फुलब्राइट के पर्यटक प्राफेसर के सहयोग से उन तरीकों का विभिन्न राष्ट्रीय अध्ययन किया जिनसे किशोर अपने आस-पास की संभावनाओं को समझते और चुनते हैं। छोटे नगरों में व्याप्त परिस्थितियों में लड़के और लड़कियों के व्यावसायिक विकास के अध्ययन के लिए भारतीय आधार सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार का पहला अध्ययन जन्म क्रम, व्यावसायिक चयन और व्यावसायिक संभावनाओं पर 1969 में किया गया था। अध्ययन पूरा होने पर इसकी रिपोर्ट इंडियन जरनल आफ साइकोलाजी में प्रकाशित की गई।

3. बाल-विकास

3.1 ढाई से पाँच वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रतिमान परियोजना का विकास—

इस परियोजना का उद्देश्य $2\frac{1}{2}$ से 5 वर्ष तक के भारतीय बच्चों में विकास के प्रतिमान तैयार करना है। यह अध्ययन अनुदैर्ध्य तथा प्रति वर्ग दोनों रूपों में किया जा रहा है। सातों सहयोगी केन्द्रों अर्थात् इलाहाबाद, दिल्ली, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद और अहमदाबाद से प्रति-वर्गीय आँकड़ों और प्रेरक तथा वैयक्तिक सामाजिक विकास एवं पृष्ठभूमि प्रश्नावली पर अनुदैर्ध्यीय आँकड़ों का विश्लेषण इस वर्ष पूरा किया गया। अनुकूली विकास पर अनुदैर्ध्य संबंधी आँकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। प्रति-वर्गीय अध्ययन की, केवल अहमदाबाद केन्द्र से संबंधित, भाषा विकास, वैयक्तिक सामाजिक विकास, अनुकूली विकास एवं प्रेरक विकास पर रिपोर्टों का मसौदा तैयार किया गया है। अनुदैर्ध्यीय अध्ययन की भाषा विकास की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

3.2 $5\frac{1}{2}$ वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों के विकास पर सहकारिता अनुसंधान

यह एक नई परियोजना है, जिस पर आरंभिक कार्य 1969-70 में शुरू किया गया था। इस परियोजना का मोटे तौर पर उद्देश्य $5\frac{1}{2}$ से 11 वर्ष तक के बच्चों के विकास को इस दृष्टि से समझना है कि इस आयु-सीमा के लिए शिक्षा-प्रक्रिया में सुधार किया जा सके। अध्ययन का केन्द्र बिन्दु घर एवं स्कूल में वाता-वरणीय प्रक्रिया परिवर्तनों के संबंधों की जाँच करना तथा इनका स्कूल सफलता, प्रत्यक्ष विकास और सामाजिक परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन करना है। इसके अलावा,

उपलब्ध आधार-सामग्री में से विकास के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रतिमान भी निर्धारित किए जाएँगे। आशय यह है कि इस अध्ययन को कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से किया जाए। यह निर्णय किया गया है कि परिषद् द्वारा शुरू में एक आंतरिक अध्ययन किया जाना चाहिए और आंतरिक अध्ययन पर सहकारी केन्द्रों के, जिन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित किया जाए, सहयोग से आंशिक रूप से अतिच्छादी अध्ययन किए जाने चाहिए।

3·3 स्कूल-पूर्व वर्गों में दो विधियों से शिक्षित संकल्पना निर्माण का अध्ययन

इस अध्ययन का उद्देश्य संरचित अनुभवों के माध्यम से अलगाव में ज्ञान प्रशिक्षण और उन अन्य अनुभवों के संदर्भ में संकल्पना-निर्माण तथा वैयक्तिक सामाजिक समंजन में तुलनात्मक प्रभाव की जाँच करना है, जो स्कूल-पूर्व शिक्षा कार्यक्रम का भाग है। समीक्षाधीन वर्ष में, अध्ययन के लिए आँकड़े एकत्र किए गए थे, संकल्पना-निर्माण परीक्षणों के परिमापों का निर्णय किया गया और पूर्व परीक्षण तथा उत्तर-परीक्षण का स्तर निर्धारित किया गया। वैयक्तिक-सामाजिक समंजन के लिए अध्यापकों का वर्ग विश्लेषण भी किया गया। स्कूल न जाने वाली जनसंख्या के संबंध में भी कारण तैयार किए गए। कक्षा में सामूहिक व्यवहार की पद्धतियों पर समीक्षा सहित अध्यापन एककों का विवरण भी तैयार किया गया। आधार सामग्री का आगे विश्लेषण जारी रखा गया।

4. कैशोर्य

4·1 किशोरों के लिए व्यक्तित्व-सूची का विकास

इस अध्ययन का उद्देश्य किशोरों के लिए व्यक्तित्व-सूची तैयार करना है। चार परिवर्तनीय तत्त्वों अर्थात् आयु, लिंग, नगर-ग्रामीण तथा अभ्यतर अनुरूपता से संबंधित प्रयोगात्मक आँकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। इन तत्त्वों पर लगभग 60 सूचकांक तैयार किए गए हैं। मदों का चयन किया जा रहा है।

4·2 किशोरों की प्राधिकरण के प्रति अभिवृत्ति-अध्ययन हेतु मापक्रम का विकास—

इस अध्ययन का उद्देश्य किशोरों की प्राधिकरण के प्रति अभिवृत्ति के मापदंड का विकास करना है। प्रयोग के लिए मदों की छानबीन और चयन किया गया। इनका चार श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया। प्रयोगात्मक आँकड़ों को एकत्र करके उन्हें वर्गीकृत किया गया। आँकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है।

5 अध्यापक आचरण

पुनर्निवेशन के माध्यम से अध्यापकों के आचरण में परिवर्तन लाना

अध्ययन के उद्देश्य ये हैं :

5·1 चार प्रकार के पुनर्निवेशनों, अर्थात् अध्यापक का स्व-मूल्यांकन तथा

उसके समकक्षों का मूल्यांकन, अध्यापक के बारे में शिक्षार्थियों का मूल्यांकन और अध्यापकों के बारे में बाहरी प्रेक्षकों का मूल्यांकन; और

5·2 अध्यापक के कक्षा में आचरण में परिवर्तन लाने के लिए अत्यधिक प्रभावी पुनर्निवेशन प्रणाली का प्रयोग और स्थापन।

1969-70 में पूर्व-परीक्षण तथा उत्तर-परीक्षण आधार-सामग्री चार स्थितियों में एकत्र की गई। इस परख में बीकानेर के माध्यमिक विद्यालयों के 164 अध्यापक तथा लगभग 1,800 छात्र आए। अध्यापक के स्व-मूल्यांकन, उसके समकक्ष का मूल्यांकन, पढ़ाई के वातावरण के संबंध में शिक्षार्थियों की टीका-टिप्पणी और अध्यापक के बारे में बाहरी प्रेक्षकों की राय प्राप्त करने के साधन तैयार किए गए। प्रेक्षण के लिए फ्लेण्डर्स क्लासरूम इंटर-एक्शन मॉडेल का प्रयोग किया गया। उत्तर-परीक्षण आधार-सामग्री की पूर्व-परीक्षण आधार-सामग्री के संदर्भ में गुणात्मक तथा मात्रात्मक व्याख्या की जा रही है।

6. अवबोधन

6·1 शिक्षित प्रौढ़ों द्वारा द्वितीय भारतीय भाषा अर्जन में कार्य-क्रमित अवबोधन तकनीकों का उपयोग

इस परियोजना के अंतर्गत, दो कार्यक्रमों का अर्थात् हिन्दी भाषी प्रौढ़ों के लिए बंगाली तथा बंगाली भाषी प्रौढ़ों के लिए उड़िया, विकास किया जा रहा है। प्रत्येक कार्यक्रम में एक लिपि और एक व्याकरण का शिक्षण होगा। इस वर्ष बंगाली लिपि कार्यक्रम, हिन्दी जानने वाले 14 व्यक्तियों पर आजमाया गया था। इस कार्यक्रम का मुद्रण किया जा रहा है और यह शीघ्र ही क्षेत्र में प्रयोग के लिए तैयार हो जाएगा। कार्यक्रम में शामिल करने के लिए उच्चावृत्ति वाले 2000 शब्द भी इकट्ठे किए गए हैं। आम आवृत्ति वाले 200 बंगाली क्रियाओं का पदरचना संबंधी विश्लेषण किया गया है। 30 व्याकरण-रूपरेखाएँ लिखी गई हैं। बंगाली भाषी प्रौढ़ों के लिए उड़िया के एक कार्यक्रम का मूलढाँचा भी लिपिबद्ध किया गया है और वैयक्तिक प्रयोग के लिए कुछ रूप रेखाएँ भी तैयार की गई हैं।

6·2 स्कूलों में द्वितीय भारतीय भाषाओं के शिक्षण अवबोधन के लिए विधि और सामग्री का विकास करना—

यह एक सहकारी अनुसंधान परियोजना है जिसे रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद् द्वारा तीन बाहरी केन्द्रों के सहयोग से संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। उद्देश्य है, छः भाषाओं के लिए, अर्थात् मराठी भाषियों के लिए हिन्दी, गुजराती भाषियों के लिए हिन्दी, मणिपुरी भाषियों के लिए हिन्दी, हिन्दी भाषियों के लिए अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषियों के लिए तमिल, जिन्हें फिल्टर भाषाओं के माध्यम से द्वितीय भाषा के रूप में सीखना होता है, शिक्षण विधियों और सामग्री के छः उपांगों का विकास करना।

6·3 कार्यक्रमित अवबोधन के संदर्भ में व्यक्ति की प्रभावशीलता बनाम सामूहिक चलन

इस परियोजना के अंतर्गत, कार्यक्रमित अवबोधन सामग्री के सामूहिक चलन के प्रतिवैयक्तिक चलन की तुलनात्मक प्रभावशीलता का अध्ययन करने का प्रस्ताव है। वैयक्तिक चलन में प्रस्तुतीकरण की विधि पाठ है। प्रयुक्त होने वाली सामग्री सांख्यिकी और बीजगणित में कार्यक्रमित यूनिट हैं जिनका प्रयोग क्रमशः कक्षा 8 और 11 के छात्रों के लिए होता है। सांख्यिकी में उपलब्ध सामग्री के सर्वेक्षण और उस सामग्री के वैयक्तिक परीक्षण स्थिति में छात्रों पर सामूहिक प्रयोग से यह संकेत मिला कि शिक्षण सामग्री नए सिरे से लिखी जानी चाहिए। यह पुनर्लेखन पूरा कर लिता गया है। बीजगणित पर सामग्री भी तैयार कर ली गई है।

6·4 स्कूल के बच्चों में कल्पना की रीतियाँ

यह अध्ययन बच्चों की उस आयु का निश्चय करने के लिए है, जब उनमें मूर्त निरूपण के स्थान पर प्रतीकात्मक निरूपण के प्रभाव का उदय होता है और इस अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना भी है कि लिंग, सामाजिक-आर्थिक हैसियत और ग्रामीण-शहरी आधार आदि भिन्नताओं का प्रभाव संक्रमण आयु पर पड़ता है अथवा नहीं। गवेषणा के परिरूप को अंतिम रूप दिया जा चुका है। दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से एकत्र किए गए आँकड़ों को तालिका-बद्ध किया जा रहा है।

7. प्रतिभा

भारत में माध्यमिक स्कूलों में प्रतिभा का अभिज्ञान-अनुदैर्घ्यीय अध्ययन

इस परियोजन के उद्देश्य हैं: (क) 1963-66 में विकसित प्रतिभा के अभिज्ञान संबंधी परिक्षणों का पुनरीक्षण करना; और (ख) प्रतिभा के उपायों तथा आयु, लिंग, सामाजिक हैसियत, व्यक्तित्व तथा स्कूल परिवर्तनीय तत्त्वों के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन करना। 1969-70 में प्रारंभिक प्रयोग और विश्लेषण के बाद सृजनात्मकता के चार नए परीक्षण तैयार किए गए थे। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के स्कूलों में प्रतिभा, व्यक्तित्व तथा सृजनात्मकता की बैटरी प्रशासित की गई थी। इसके अलावा, प्रतिभा के अनुदैर्घ्यीय अध्ययनों का एक क्रम भी पूरा किया गया और दूसरा क्रम शुरू किया गया।

8. शैक्षिक उपलब्धि (एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना)

भारत सहित बीस देशों ने शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन की इस अनुसंधान परियोजना को संयुक्त रूप से हाथ में लिया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य निवेश संबंधी विविधताओं का संबंध स्थापित करना है, जैसे विद्यालय का संगठन तथा ढाँचा और उसकी भौतिक सुविधाएँ; शिक्षकों की योग्यताएँ, अनुभव, अभिप्रेरण और आचार; और विद्यार्थियों की

सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि तथा विद्यालय के कुछ विषयों में उनकी उपलब्धि। समीक्षाधीन वर्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने इस परियोजन में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों का विवरण अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र को भेजा। इन उपकरणों का प्रयोग 22 विद्यालयों के लगभग 1000 बच्चों पर किया गया था और प्राप्त आँकड़े भी अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र को भेज दिए गए। सारे हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र के प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक विद्यालयों के नमूनों का चयन पूरा किया गया। परिक्षणों के अंतिम विवरण भी तैयार कर लिए गए और प्रकाशनार्थ भेज दिए गए।

9. शिक्षा के समाजशास्त्रीय तथा दार्शनिक आधार

9.1 भारत में शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की संकल्पना

इस समस्या का अध्ययन छः कोणों से किया गया अर्थात् ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तुलनात्मक और दार्शनिक। परियोजना की रिपोर्ट का प्रथम प्रारूप इस वर्ष पूरा किया गया।

9.2 अध्यापन के माध्यम संबंधी विवाद का ऐतिहासिक अध्ययन

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य ये हैं :

(क) समस्या के मूल में जो सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण हैं उनका पता लगाना;

(ख) यह जाँच करना कि ये कारण किस प्रकार विकसित हुए; और

(ग) इस समस्या को सुलझाने के लिए समय-समय पर किए गए उपायों का मूल्यांकन करना;

19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में पाश्चात्य शिक्षा के समावेश से लेकर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समस्या का विश्लेषण किया गया है।

9.3 स्वतंत्रता के बाद दिल्ली के विद्यालयों में सामाजिक ज्ञान की शिक्षा

अध्ययन के उद्देश्य हैं :

(क) दिल्ली के विद्यालयी पाठ्यक्रम में सामाजिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं की सूचियों में सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों में किए गए परिवर्तन के संघात का पता लगाना;

(ख) इन विषयों की पाठ्यपुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों का मूल्यांकन करना;

(ग) इस बात की जाँच करना कि इन विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षक समुचित साधन संपन्न हैं और उनको नए विषयों से संबंधित माँगों के अनुकूल बनाने के लिए उपाय किए गए हैं; और

(घ) इस बात का पता लगाना कि अध्ययन की इस शाखा में परिवर्तन लाने संबंधी नई माँग की जानकारी शैक्षिक प्रशासकों को है अथवा नहीं, इस अध्ययन में इस वर्ष कुछ प्रारंभिक कार्य किया गया।

10. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन

10.1 मानक हिन्दी का भाषाई विश्लेषण और उसमें स्वर संबंधी विभिन्नताओं का विवरण

मानक हिन्दी में स्वर संबंधी विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए सारे हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र को उन्नीस उपभाषी क्षेत्रों में बाँटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक बोली के समुदाय के भिन्न-भिन्न तीन स्तरों के प्रतिनिधियों का अभिलेखन किया जायगा। अध्ययन की प्रथम अवस्था में, भाषाविदों के कार्यरत दल ने मानक हिन्दी स्वर विज्ञान का भाषाई विवरण तैयार किया और उसको अंतिम रूप दिया। द्वितीय अवस्था में, भाषाई क्षेत्र-पद्धतियों, स्वर विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, बोलियों की विभिन्नता और स्वानिकी हस्तक्षेप में नौ अनुसंधानकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। अध्ययन के लिए आवश्यक उपकरण भी जुटाए गए।

10.2 विभिन्न राज्यों के सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रमों का अध्ययन

सभी राज्यों के लिए समान पाठ्यक्रम तैयार करने की दृष्टि से प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर भिन्न-भिन्न राज्यों के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रमों का विश्लेषण किया गया।

10.3 संस्कृत में पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए साधन सामग्री और विद्यालयी पाठ्यक्रमों का विश्लेषण

मिडिल कक्षाओं के लिए इस विषय के पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार करने की दृष्टि से भिन्न-भिन्न राज्यों के संस्कृत पाठ्यक्रमों को एकत्र करके उनका विश्लेषण किया गया। इस पाठ्यक्रम के आधार पर संस्कृत की पाठ्यपुस्तकें तैयार करने का प्रस्ताव है।

10.4 विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विद्यालयी पाठ्यक्रमों में भाषाओं की स्थिति का अध्ययन

विद्यालयी स्तर पर भाषा अध्यापन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए इस वर्ष राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के भाषा विशेषताओं की कर्मशाला आयोजित की गई। आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र की रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया।

11. अध्यापक शिक्षा

11.1 प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के मामले का अध्ययन

बिहार के राँची जिले में प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा की तीन संस्थाओं को, उनके कार्यक्रमों का व्यापक अध्ययन करने के लिए देखा गया। रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया जा चुका है।

11.2 **प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में अपव्यय प्रतिरोध का अध्ययन**

इस अध्ययन के संबंध में कुछ आरंभिक कार्य किया गया।

11.3 **शिक्षा के कालेजों में अनुसंधान को प्रोत्साहन**

माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में काम कर रहे अध्यापक शिक्षकों से शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं के बारे में सुझाव आमन्त्रित किए गए। प्राप्त सुझावों को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। अध्यापक शिक्षकों को अपनी परियोजनाओं पर एक दूसरे से और साधन संपन्न व्यक्तियों से भी चर्चा करने का अवसर प्रदान करने के लिये जनवरी, 1970 में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के अहाते में "आयोजन अनुसंधान परियोजनाएँ" पर उत्तरी क्षेत्र के अध्यापक शिक्षकों की एक संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। उसमें भाग लेने वाले अठारह व्यक्तियों को उनकी अनुसंधान परियोजनाओं का आयोजन करने में सहायता दी गई और अनुवर्ती कार्य चल रहा है। योजना परियोजनाओं में से छः को परिषद् की जी०ए०आर०पी० योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता देने के लिए अनुमोदित किया गया।

12. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

भारत में पूर्व विद्यालय शिक्षा की सुविधाओं का अध्ययन।

भारत में विभिन्न माध्यमों द्वारा दी जाने वाली पूर्व विद्यालय शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में वर्तमान स्थिति का पता लगाना, इस अध्ययन का उद्देश्य है। इस प्रयोजन के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की गई थी।

13. प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक विद्यालयों के 6 से 11 वर्ष तक की आयु के छात्रों के व्यक्तित्व की चुनी हुई विशेषताओं के वर्गीकरण मानदंडों को तैयार करना

यह परियोजना मार्च 1967 में आरंभ की गई थी और मार्च 1970 में पूरी हो गई। प्राथमिक विद्यालयों के 6 से 11 वर्ष तक की आयु बच्चों के व्यक्तित्व की विभिन्न विशेषताओं (अर्थात् स्वच्छता, समय-निष्ठा, नियमितता, सहकारिता, नेतृत्व, ईमानदारी, सहायकता, जिज्ञासा, आज्ञाकारिता और आत्मविश्वास) को मापने के लिए वर्गीकरण मानदंडों का समूह तैयार किया गया। प्रेक्षण अनुसूचियों और अनुदेशन नियमावली को भी शिक्षकों के लिए पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया।

14. जनजातीय शिक्षा

14.1 **समीपस्थ क्षेत्रों में रहने वाले चुने हुए जनजातीय समुदायों का समाकलित और तुलनात्मक अध्ययन**

बिहार के राँची जिले गुम्ला परगने और मध्यप्रदेश के रायगढ़ जिले के

जशपुर परगने के समीपस्थ क्षेत्रों में विभिन्न विकास तथा कल्याण संबंधी सफलताओं और असफलताओं के लिए जिम्मेदार तथ्यों का पता का लगाना, इस अध्ययन का उद्देश्य है। अध्ययन की रिपोर्ट को इस वर्ष अंतिम रूप दिया गया।

14.2 जनजातीय लोगों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की पहचान

इस अध्ययन का उद्देश्य जनजातीय कृषकों की विभिन्न विकास संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करना है अर्थात् आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा राजनीतिक, जिससे उनके लिए कल्याण योजनाओं के आयोजन तथा प्रशासन हेतु आधार-सामग्री की व्यवस्था हो सके। यह अध्ययन असम में गारो हिल्स के जिलों और बिहार में संथाल परगनों तक ही सीमित था। अध्ययन पूरा किया जा चुका है और रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है।

14.3 भारत में अठारह जनजातियों की शैक्षिक तथा आर्थिक स्थितियों और नियोजन स्थिति का अध्ययन

इस अध्ययन का उद्देश्य है प्राथमिक, मिडिल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जनजातीय छात्रों की भरती; उनको दी गई आर्थिक सहायता, उनके सामाजिक आर्थिक आधार और नियोजन स्थिति का पता लगाना। यह अध्ययन तीन राज्यों अर्थात् बिहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा की अठारह जनजातियों से संबंधित है। अध्ययन पूरा करके रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

14.4 दिल्ली के संध्याकालीन कालेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को दी जाने वाली छात्र-वृत्तियों के उपयोग के बारे में अध्ययन

इस अध्ययन के उद्देश्य ये हैं :

(क) यह पता लगाना कि दिल्ली के संध्याकालीन कालेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों/जनजातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का उनके द्वारा उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं;

(ख) यह पता लगाना कि छात्रवृत्तियाँ वास्तविक विद्यार्थियों को दी जाती हैं; और

(ग) यह जाँच करना कि योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना के लाभों से वंचित तो नहीं रखा जाता।

अध्ययन की रिपोर्ट का प्रथम प्रारूप मार्च 1970 में पूरा हुआ था।

14.5 दिल्ली की साँसी जनजाति का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अध्ययन

साँसी को पहले अपराधशील जनजाति समझा जाता था। इस अध्ययन का आशय इस बात का पता लगाना है कि इस जनजाति की नई पीढ़ी पर उनके माता-पिता की और उनके पैतृक पेशे की क्या प्रतिक्रिया हुई। परियोजना से संबंधित आरंभिक कार्य इस वर्ष पूरा किया गया।

15. श्रव्य-दृश्य शिक्षा

15.1 "वर्तमान भारत में शिक्षा" प्रदर्शनी का मूल्यांकन

इस परियोजना से संबंधित आंकड़ों को तालिकाबद्ध किया गया और उनका विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट का प्रथम प्रारूप तैयार है।

15.2 विज्ञान पर तैयार की गई फिल्म का मूल्यांकन

अध्ययन के लिए आवश्यक उपचारों का रूपांकन किया गया और उनकी प्रक्रिया जानने के लिए भाग लेने वाले शिक्षकों को प्रदर्शित किया गया। एकत्रित आधार सामग्री के आधार पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार की गई।

16. पाठ्यपुस्तकों को तैयार करना और उनका मूल्यांकन

16.1 पाठ्यपुस्तक अनुसंधान और अध्ययन पर ग्रंथसूची

पाठ्यपुस्तक अनुसंधान और अध्ययनों पर भारत तथा विदेशों के ग्रंथों की सूची तैयार की गई।

16.2 पाठ्यपुस्तकों की समस्याओं का एकीकरण

पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करने के लिए मानांकन मापदंड तैयार करने की दृष्टि से विद्यालय के विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तकों की समस्याओं का एकीकरण किया गया।

16.3 विद्यालय के विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तको का मूल्यांकन करने के लिए मानांकन मापदंड तैयार करना

विद्यालय के दस विषयों के लिए पाठ्यपुस्तक तैयार करने के मूल सिद्धांतों सहित मानांकन मापदंड तैयार किए गए। उपलब्ध प्रमाण और अभिपुष्टि का सामूहिक परामर्श द्वारा अध्ययन तथा विश्लेषण करने की पद्धति इसमें अपनाई गई। इस प्रकार तैयार की गई सामग्री का प्रयोग, क्षेत्र में किया गया।

16.4 पूरक पठन सामग्री को तैयार करना, उसका उत्पादन और मूल्यांकन करना

विद्यालय के बच्चों के लिए उपयुक्त पूरक पठन सामग्री की बहुत कमी है। इस दिशा में सुधार लाने के प्रथम प्रयास के रूप में परिषद् ने इस वर्ष ऐसी सामग्री को तैयार करने तथा उसके उत्पादन और मूल्यांकन करने संबंधी समस्याओं के एकीकरण का काम हाथ में लिया। इस संबंध में वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन मापदंड तैयार किए गए और फिर इस प्रयोजन के लिए उपकरण तैयार किए गए, जो पूरक पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन उपकरण के नाम से अधिक जाने जाते हैं। पूरक पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन उपकरणों के साथ अनुदेश नियम-पुस्तिका भी तैयार की गई। इन उपकरणों का प्रयोग एक कर्मशाला में किया गया जिसमें पंजाब, हरियाणा, असम, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों ने प्रतिनिधित्व किया।

इन उपकरणों को हिन्दी, असमी, उड़िया, पंजाबी और गुजराती भाषाओं में अनूदित किया गया ।

17. प्रौढ़ शिक्षा

17.1 दिल्ली में टेलीविजन के कृषि संबंधी कार्यक्रम का मूल्यांकन-प्रथम चरण

दिल्ली में टेलीविजन के कृषि संबंधी कार्यक्रम के सतत मूल्यांकन का प्रथम चरण "कृषि दर्शन" नाम से पूरा किया गया ।

17.2 उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के ग्रामों में साक्षरता परियोजना का मूल्यांकन ।

अध्ययन की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया ।

17.3 विद्यापीठों के भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं, रुचियों और आकांक्षाओं का अध्ययन

आधार सामग्री को एकत्रित, संसाधित, तालिकाबद्ध और विश्लेषित किया गया । रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने का काम चल रहा है ।

17.4 भारत में कुछ चुनी हुई संस्थाओं में सतत शिक्षा कार्यक्रमों का अध्ययन

इस अध्ययन को करने के लिए वस्तुस्थिति अध्ययन उपागमन का अनुकरण किया गया । मध्य प्रदेश के इंदौर और महाराष्ट्र के नागपुर की वर्कर्स सोशल एजुकेशन इंस्टीट्यूटस से और इंदौर तथा नागपुर के सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन से भी आधार सामग्री एकत्रित की गई । रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

17.5 ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को अपनाने पर विभिन्न समूहों का प्रभाव

अध्ययन का कार्य चल रहा है ।

17.6 दिल्ली में टेलीविजन के कृषि संबंधी कार्यक्रम का मूल्यांकन—दूसरा चरण

दिल्ली में टेलीविजन के कृषि संबंधी कार्यक्रम के सतत मूल्यांकन परियोजन के अंतर्गत "कृषि दर्शन" पर दूसरे चरण का कार्य चल रहा है और उसको 1970-71 में पूरा किए जाने की संभावना है ।

18. वाणिज्य शिक्षा

18.1 बिहार राज्य में वाणिज्य शिक्षा की स्थिति का अध्ययन

इस वर्ष बिहार राज्य में वाणिज्य शिक्षा की स्थिति का अध्ययन आरंभ किया गया ।

18.2 वाणिज्य में परीक्षण-माला का विकास

इस वर्ष परीक्षण-माला का विकास किया गया ।

19. शैक्षिक प्रशासन

19.1 राजस्थान में स्वायत्त विद्यालयों की स्थापना

राजस्थान में स्वायत्त विद्यालयों की स्थापना का अध्ययन बीकानेर के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के सहयोग से किया गया था। अध्ययन की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

19.2 राजस्थान राज्य के विद्यालयों के शिक्षकों के कार्य प्रतिमानों का विकास

राजस्थान राज्य के विद्यालयों के शिक्षकों के कार्य प्रतिमानों के विकास का अध्ययन बीकानेर के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के सहयोग से किया गया था। अध्ययन की रिपोर्ट पूरी होने वाली है।

20. परीक्षा सुधार

20.1 विभिन्न राज्यों की परीक्षा पद्धतियों में किए गए परिवर्तनों का अध्ययन

इस वर्ष विभिन्न राज्यों की परीक्षा पद्धतियों में किए गए परिवर्तनों का अध्ययन किया गया और संबंधित शिक्षा प्रणालियों तथा पद्धतियों पर उनके संघात का अध्ययन किया गया।

20.2 माध्यमिक शिक्षा के राजकीय बोर्डों द्वारा संचालित बाह्य परिक्षाओं के परिणामों का विश्लेषण

माध्यमिक शिक्षा के राजकीय बोर्डों द्वारा संचालित उच्च/उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के परिणामों के विश्लेषण का वार्षिक आवर्ती अध्ययन इस वर्ष जारी रखा गया।

(ख) शैक्षिक सर्वेक्षण

1. भारत में विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों का सर्वेक्षण

विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यपुस्तकों के निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन करने के लिए यह सर्वेक्षण किया गया :

(क) विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों के उत्पादन, निर्धारण, अनुमोदन और अनुशंसा में ग्रस्त अभिकरण;

(ख) इन अभिकरणों के विधान, संघटन तथा कार्य;

(ग) विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में, विशेषत: उनकी पांडुलिपि तैयार करने, पांडुलिपियों की समीक्षा, छपाई, तथा पाठ्यपुस्तकों का मूल्य निर्धारण और वितरण के संदर्भ में प्रत्येक राज्य में अपनाई जानेवाली नीतियाँ तथा पद्धतियाँ ;

(घ) विद्यालयों में 1968-69 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों की स्थिति ; और

(ङ) विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों के रचयिता।

विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों के इन विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई। एकत्रित सूचना के आधार पर प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के बारे में अलग-अलग रिपोर्ट तैयार की गई। इसके अलावा एक अखिल भारतीय रिपोर्ट का प्रारूप भी तैयार किया गया।

2. भारत में माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का नमूना सर्वेक्षण

माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए यह सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण में सम्मिलित पहलू ये हैं :

शिक्षक की परिवारिक पृष्ठ भूमि; उसकी योग्यताएँ, अनुभव, वेतन, तथा सेवा की अन्य शर्तें ; उसके परिवार की कुल आय ; उसके परिवार पर ऋण भार ; अध्यापन व्यवसाय में उसकी स्थिरता तथा गतिशीलता ; उसकी वैयक्तिक तथा व्यावसायिक समस्याएँ, उसके व्यवसाय के प्रति उसका आचरण और उसके व्यावसायिक साथी आदि। अंडमान निकोबार और लक्का० मिनी० तथा अमीनदीवी द्वीपों को छोड़कर इस सर्वेक्षण में सभी राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित किए गए। सर्वेक्षण करने के लिये तीन प्रश्नावलियाँ तैयार की गईं। इनमें से एक प्रश्नावली विद्यालय के आँकड़ों को एकत्रित करने से संबंधित थी, जब कि अन्य दो का संबंध माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों से था। इस नमूना सर्वेक्षण में प्रत्येक राज्य का एक सामुदायिक विकास खंड, एक औसत नगर, एक मध्य आकार का नगर और एक शहर सम्मिलित किया गया था, परंतु संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्र की राजधानी मात्र पर विचार किया गया था, नगरों में नगरपालिका अथवा नगरों के अन्य प्रशासनिक अधिकार क्षेत्रों तथा खंडों की सीमाओं के अंतर्गत सभी उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा इंटरमीजिएट कालेजों को सम्मिलित किया गया था, परंतु शहरों में नगरपालिका समिति/निगम की सीमाओं के केवल 5 प्रतिशत विद्यालयों को लिया गया। सभी राज्यों में विस्तार सेवा विभागों के माध्यम से सर्वेक्षण सामग्री एकत्रित की गई, परंतु आंध्रप्रदेश, राजस्थान और असम में आवश्यक सूचना एकत्रित करने के लिए परिषद् के क्षेत्रीय एककों की सहायता ली गई। अब तक लगभग सभी राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों से आँकड़े प्राप्त हो चुके हैं और उनका विश्लेषण किया जा रहा है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट शीघ्र ही पूरी की जाएगी।

3. विद्यार्थियों की शैक्षिक उन्नति के लिए माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का नमूना सर्वेक्षण

इस सर्वेक्षण का कार्य इस वर्ष आरंभ किया गया।

4. भारत में प्राथमिक और माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में विज्ञान शिक्षा की सुविधाओं का सर्वेक्षण

यूनेस्को—यूनिसेफ सहायता प्राप्त परियोजना के संबंध में इस देश में प्राथमिक और माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में विज्ञान पढ़ाने के लिए उपलब्ध सुविधाओं के सर्वेक्षण का कार्य 1969-70 में आरंभ किया गया था। विज्ञान से प्रशिक्षित कर्मचारियों, प्रयोगशाला सुविधाओं और गोदाम स्थलों आदि के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई और सभी प्रशिक्षण संस्थाओं को भेजी गई प्रश्नों की पूर्ति के बाद प्रश्नावलियाँ प्राप्त हो रही हैं।

5. भारत में प्रशिक्षण कालेजों के श्रव्य-दृश्य उपकरण का सर्वेक्षण

देश में अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों में उपलब्ध श्रव्य-दृश्य उपकरण का सर्वेक्षण समीक्षाधीन वर्ष में किया गया। सर्वेक्षण की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

(ग) प्रयोगात्मक परियोजनाएँ

माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अपनी कक्षाओं की समस्याएँ स्वयं सुलझाने के लिए परिषद् से आर्थिक सहायता और शैक्षिक मार्गदर्शन प्राप्त करके क्रिया-विधि अनुसंधान किस्म की छोटी प्रयोगात्मक परियोजनाओं को हस्तगत करने के निमित्त परिषद् उन शिक्षकों में गवेषणात्मक विचार विकसित करने का प्रयास करती रही है। ऐसी प्रयोगात्मक परियोजनाओं की योजना अब लगभग एक दशक से विद्यमान है और उसकी प्रतिक्रिया सतत उत्साहवर्धक रही है। वर्ष 1969-70 में 95,000 रुपए की अनुमानित लागत की 250 परियोजनाएँ अनुमोदित की गई थीं। इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि यह योजना लगभग 10 वर्ष से परिचालित है, उसके कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और समिति की रिपोर्ट, कार्यक्रम परामर्श-समिति के समक्ष रखी जाएगी।

परिशिष्ट-8

सहायतार्थ अनुदान योजना (1969-70)

1. परिषद् अन्य संगठनों के सहयोग से अनुसंधान कार्य करती है अथवा ऐसे संगठनों में अनुसंधान कार्य को सीधे प्रोत्साहन देती है। इनमें विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग, अध्यापक प्रशिक्षण कालेज, अनुमोदित स्वेच्छा संगठन तथा शैक्षिक अनुसंधान में रुचि रखने वाले व्यक्ति शामिल हैं।

1.1 इस सहायतार्थ अनुदान योजना के अंतर्गत, परिषद् ने कई अनुसंधान परियोजनाओं का अनुमोदन किया। जिन संस्थाओं/व्यक्तियों को अनुदान दिया गया उनके नाम तथा उनकी परियोजनाओं के शीर्षक संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

अनुबंध

1969-70 में शिक्षा में अनुसंधान परियोजनाओं के लिए बाहर की संस्थाओं/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

क्रम सं०	संस्था/व्यक्ति	परियोजना का शीर्षक	अवधि	कुल स्वीकृत परिव्यय (रुपयों में)
1.	श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय टीचर्स कालेज, श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय डाकघर, कोयंबटूर।	ग्रेड II से V तक में तमिल-पाठ में गति के लिए प्रतिमान निर्धारण।	2 वर्ष	21,000.00
2.	राजनीति-विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	राजस्थान में पंचायती राज के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों की प्रबंध व्यवस्था।	2 वर्ष	20,000.00
3.	विमेंस ट्रेनिंग कालेज, दयालबाग, आगरा।	वर्तमान पर्यवेक्षी विधियाँ: उनका मूल्यांकन तथा सुधार	1½ वर्ष	12,900.00
4.	इंस्टीट्यूट आफ इंगलिश, 119 श्यामाप्रसाद मुखर्जी रोड, कलकत्ता-26	पश्चिमी बंगाल के स्कूलों में दूसरी भाषा के रूप में बंगाली का अध्ययन।	3 वर्ष	44,560.00
5.	पोस्ट ग्रेजूएट बेसिक टी० टी० कालेज गांधी विद्या मंदिर, सरदार शहर, राजस्थान।	प्रशिक्षण कालेजों में शिक्षा पद्धतियों में प्रयोग।	1½ वर्ष	13,250.00
6.	शिक्षा संकाय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।	अध्यापक अभिवृत्ति सूची का विकास तथा छात्र अध्यापकों की वैयक्तिक अभिवृत्तियों में परिवर्तन का अध्ययन।	2½ वर्ष	23,200.00
7.	शिक्षा विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।	छात्र अध्यापकों की कठिनाइयों का अध्ययन।	2 वर्ष	2,900.00
8.	शिक्षा विभाग, जम्मू तथा कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर।	कश्मीर के स्कूलों में हिन्दी शिक्षण।	3 वर्ष	20,200.00
9.	डी० ए० वी० शिक्षा कालेज, अबोहर (पंजाब)	पंजाब सीमा-क्षेत्रों में सैकेंड्री स्कूल अध्यापकों की समस्याएँ।	1½ वर्ष	1,500.00
10.	डा० एस० वी० मेहता, प्राध्यापक, प्रौढ़ शिक्षा विभाग, रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद्, 37 फ्रैंड्स कालोनी, नई दिल्ली-14।	"सोशल कन्फ्लिक्ट्स इन ए विलेज कम्युनिटी" नामक पीएच० डी० शोध ग्रंथ का प्रकाशन।	1 वर्ष	1,000.00

परिशिष्ट 9

पाठ्यक्रम विकास

वर्ष 1969-70 में पाठ्यक्रम विकास की महत्त्वपूर्ण क्रिया में की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

1. विज्ञान और गणित

1.1 प्राथमिक स्तर पर विज्ञान

पिछले वर्ष, परिषद् द्वारा पहले ही विकसित किए गए प्राथमिक विज्ञान पाठ्यक्रम के आधार पर, कक्षा III के लिए विज्ञान की पुस्तक तैयार की गई, संपादित की गई और मुद्रण के लिए पुनर्विकसित की गई। यह पुस्तक विज्ञान की शिक्षा के लिए क्रियात्मक प्रयास पर आधारित है, और इसके 'उत्पाद' की अपेक्षा विज्ञान की 'प्रक्रिया' पर जोर देती है। संबंधित अध्यापक मार्गदर्शिका भी विकसित की गई है और उसे भी छपने के लिए दे दिया गया है। इन पुस्तकों को 'यूनेस्को-यूनिसेफ' सहायता प्राप्त अभियान परियोजना के अंतर्गत सभी राज्यों द्वारा उपयोग में लाया जाएगा। कक्षा IV के लिए पाठ्यपुस्तक की मसौदा पांडुलिपि भी और प्रक्रिया के लिए तैयार की गई।

1.2 माध्यमिक विज्ञान शिक्षा परियोजना ('यूनेस्को'-सहायता प्राप्त)

माध्यमिक विज्ञान शिक्षा परियोजना ('यूनेस्को'-सहायता प्राप्त) के अंतर्गत विज्ञान और गणित को नई पाठ्यपुस्तकों और संबंधित अनुदेशीय सामग्री को विकसित करने में परिषद्, पिछले कुछ वर्षों में व्यस्त रही है। माध्यमिक स्कूल स्तर पर पाठ्यपुस्तकों के शिक्षण से प्राप्त अनुभव के आधार पर मिडिल स्कूल पाठ्यक्रम को नया दृष्टिकोण प्रदान किया गया और प्रतिवेदन वर्ष में, भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित के संशोधित पाठ्यक्रमों को विकसित किया गया। इसके साथ-साथ, अगले उच्च स्तर के लिए भी, इन विषयों के पाठ्यक्रम प्रारूपों को अंतिम रूप दिया गया। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की भाग I की पाठ्यपुस्तकों, अंग्रेजी और हिन्दी दोनों रूपांतर, को संशोधित किया गया और छपने के लिए भेजा गया। मिडिल स्कूल स्तर के लिए, शिक्षक-मार्गदर्शिकाओं की पाँच पुस्तिकाओं के प्रयोगात्मक संस्करण तैयार किए गए और छपाए गए। 'यूनेस्को' विशेषज्ञ दल के सहयोग से हाई स्कूल स्तर के प्रथम वर्ष के भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित के पाठ्यक्रमीय-विकास का कार्य शुरू किया गया। इस वर्ष, 'यूनेस्को'-सहायता प्राप्त माध्यमिक विज्ञान शिक्षा परियोजना के अंतर्गत छपी पाठ्यपुस्तकों

को केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा अपने विद्यालयों में प्रयोग के लिए स्वीकृत किया गया।

1.3 विज्ञान शिक्षा (अध्ययन दल) के विकास के लिए व्यापक योजना

1967 में स्थापित 20 अध्ययन दलों में से 18 (भौतिकी और गणित प्रत्येक में 4 और रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान प्रत्येक में 5) प्रतिवेदन वर्ष में कार्य करते रहे। जीव विज्ञान अध्ययन दल ने हाई स्कूल स्तर की पाठ्यपुस्तकीय सामग्री के पांडुलेख तैयार किए/विकसित किए हैं जो समीक्षा और अंतिम रूप दिए जाने की अवस्था में हैं। उन्होंने छः पार्श्वपुस्तकों की भी रचना की है जिनमें से तीन छपने के लिए भेज दी गई हैं और अन्य समीक्षा के लिए भेजी गई हैं। इन दलों ने मिडिल स्कूल स्तर के लिए छः फिल्मस्ट्रिपों के लिये भी पांडुलिपियाँ तैयार की हैं। आयोजक दल ने, उनके द्वारा विकसित अनुदेशन सामग्री की उपयुक्तता पर अध्यापकों से पुनर्निवेशन संग्रह किया और सामग्री को परिष्करण के लिए पुनर्निवेशन को अंतिम रूप दिया गया। रसायन-विज्ञान अध्ययन दलों ने हाई स्कूल स्तर के दूसरे चरण का कार्य शुरू किया तथा कक्षा VIII के लिए पाठ्यपुस्तक और अध्यापक-मार्गदर्शिका को पूर्ण करके छपने के लिए भेज दिया गया। कक्षा IX और X के के लिए पाठ्य-पुस्तकों के प्रारंभिक प्रारूपों को भी पूर्ण किया गया। भौतिकी अध्ययन दलों ने भी पाठ्यक्रम सामग्री की तीन विभिन्न मालाओं के विकास का कार्य शुरू किया। दिल्ली और कलकत्ता के अध्ययन दलों ने कक्षा V से VIII तक की पाठ्यपुस्तकों को तैयार किया है, उनमें से कक्षा V की पाठ्यपुस्तक छपाई गई और कक्षा VI के लिए पाठ्यपुस्तक छपने के लिए भेजी गई है। देहरादून अध्ययन दल ने V से VIII कक्षा तक के लिए विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिकाओं के अलग सेट पूर्ण किए। जयपुर अध्ययन दल ने कक्षा V से VI तक के लिये प्रश्नोत्तर पुस्तकों को तैयार किया और कक्षा VII के लिए इसी प्रकार की पुस्तक का कार्य शुरू किया। गणित अध्ययन दल, मिडिल स्कूल स्तर की सामग्री का विकास करने में अभी तक लगे हुए हैं। ज्यामिति (रेखा गणित) की कक्षा V के लिए पाठ्य पुस्तक छपाई गई और कक्षा VI और VII की पांडुलिपियों को छपने के लिए भेजा गया। अध्ययन दलों द्वारा कक्षा VIII की प्रारूप पाठ्यपुस्तक और कक्षा IX और X के लिए व्यापक पाठ्यसामग्री तैयार और विश्लेषित की गई। गणित के नए पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए नमूना किट सामग्री की कुछ वस्तुएँ भी विकसित की गई। कक्षा V से VII तक के लिए रेखागणित के लिए अध्यापक मार्ग-दर्शिकाएँ तैयार की गई और छपने के लिए भेजी गई। कक्षा V के लिए बीजगणित की पाठ्य पुस्तक पूर्ण की गई और छपने के लिए भेजी गई। कक्षा VI और VII के लिए इसी प्रकार की पाठ्यपुस्तकों के अंतिम पांडुलेख भी तैयार किए गए।

1.4 विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर विज्ञान की 'यूनेस्को'-यूनीसेफ—सहायता प्राप्त अभियान/मार्गदर्शी परियोजना

जुलाई,, 1969 में, विज्ञान की शिक्षा के पुर्नसंगठित तथा मजबूत बनाने के लिए 'यूनेस्को'-'यूनीसेफ' सहायता प्राप्त परियोजना की संचालन समिति ने, विद्यालय वर्ष 1970 के शुरू मे सभी राज्यों में अग्रगामी परियोजना चलाने का निश्चय किया। शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, योजना आयोग और 'यूनिसेफ' के प्रतिनिधियों से संयुक्त केन्द्रीय टीम ने बहुत से स्थानों का निरीक्षण किया और कार्यक्रम आरंभ करने के लिए प्रत्येक राज्य के साथ परिचालन की सहायक योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया। इन निरीक्षणों के फलस्वरूप, सभी राज्य और दो संघ क्षेत्र (दिल्ली और हिमाचल प्रदेश) लगभग अपने 50 प्राथमिक और 30 मिडिल स्कूलों में अग्रगामी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहमत हो गए। इस योजना के अंतर्गत परिषद् द्वारा सहयोगी भाग लेने वाले राज्यों/संघ क्षेत्रों को उनके प्रायोगिक स्कूलों द्वारा उपयोग के लिए पाठ्यक्रम, पाठयपुस्तकें, अध्यापक मार्ग-दर्शिकाएँ, किट प्रदर्शिकाओं के रूप में अनुदेशन सामग्री प्रदान करना था। तदनुसार, 'परिषद्' द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम परियोजनाओं के अंतर्गत विकसित सामग्री, इस वर्ष इन राज्यों और संघ क्षेत्रों को उनके अध्ययन ग्रहण/अनुकूलन और प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने के लिए उपलब्ध की गई। सभी हिन्दी भाषी राज्यों और दो संघ क्षेत्रों को; इन सामग्रियों के हिन्दी रूपांतर सीधे 'परिषद्' द्वारा पूर्ति करना था, जिसके लिए आवश्यक कदम उठाए गए। इस परियोजना के अंतर्गत परिषद् दूसरा कार्य राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थानों और राज्य शिक्षा संस्थानों के मुख्य कार्मिकों के लिए अभिनव पाठ्क्रमों का संगठन/आयोजन करना था और बाद में इन संस्थानों का उत्तरदायित्व होगा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के प्रयोगात्मक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षणों का आयोजन करें। इस प्रकार के दो अभिनव पाठ्यक्रमों का, एक प्राथमिक स्तर सामग्री के लिए और दूसरा मिडिल स्तर सामग्री के लिए, आयोजन किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत परिषद् का तीसरा कार्य था नए विज्ञान पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक विद्यालयों द्वारा उपयोग के लिये वैज्ञानिक उपकरणों के नमूना किटों का निर्माण करना। तदनुसार, इस वर्ष बड़ी मात्रा में निर्माण कार्य शुरू किया गया ताकि 600 मिडिल स्कूल किट-भौतिकी तथा जीव-विज्ञान के लिए एक-एक, और प्राथमिक विद्यालयों के लिए लगभग 1000 किटों की पूर्ति की जा सके। इसके अतिरिक्त परिषद् को, राज्यों की विभिन्न मुख्य संस्थानों को 'यूनिसेफ' उपकरणों की पूर्ति के लिए भी समंवय करना था। प्रतिवेदन वर्ष में 79 मुख्य संस्थानों को इन उपकरणों की अदायगी को अंतिम रूप देने की व्यवस्थाएँ की गई। ये अदायगी अभी भी चालू हैं।

1.5 विज्ञान में पूरक पठन सामग्री का उत्पादन

प्रतिवेदन वर्ष में, विज्ञान में अनुपूरक पठन सामग्री तैयार करने का कार्य

चालू रहा। 'दि डिस्कवरी आफ ओसंस' नामक पुस्तिका छपाई गई और नीचे लिखी पुस्तिकाओं को छपने के लिए दिया गया :

(1) दि इंसेक्ट लाईफ (कीटाणु जीवन)
(2) दि मैरिन लाइफ (समुद्री जीवन)
(3) नान-फ्लावरिंग प्लांट्स आफ हिमालयाज़
(हिमालय के पुष्पित न होने वाले पौदे)
(4) दि स्टोरी आफ ट्रांसपोर्ट (यातायात की कहानी)

नीचे लिखी पुस्तिकाएँ समीक्षा के उपरांत संवर्द्धन के लिए संपादकों को भेजी गईं :

(1) राक्स अनफोल्ड दी पास्ट (भूतकाल का चट्टानों द्वारा रहस्य भेदन)
(2) बर्ड एंड बर्ड वाचिंग (पक्षी एवं पक्षी निरीक्षण)
(3) बर्ड माइग्रेशन (पक्षी प्रवास)
(4) दि स्टोरी आफ फासिल्स (जीवाश्मों की कहानी)
(5) एनिमल्स विदाउट बैकबोन (रीढ़ की हड्डी रहित जानवर)
(6) दि स्टोरी आफ आयल (तेल की कहानी)

नीचे लिखी दो पुस्तिकाएँ समीक्षकों के पास भेजी गईं और उनकी समीक्षा की प्रतीक्षा की जा रही है :

(1) दि स्टोरी आफ ग्लास (काँच की कहानी)
(2) मीटिंग विद दि फिजिस्ट (भौतिकविद से भेंट)

नीचे लिखी गई चार पुस्तिकाओं की पांडुलिपियाँ तैयार की गईं :

(1) दि ओशन आफ एयर (हवा का समुद्र)
(2) दि ए बी सी आफ ऐटम (अणु का क ख ग)
(3) पावर फ्राम वाटर (जल से शक्ति)
(4) इंसेक्ट प्लांट्स (कीट पौधे)

1.6 वैज्ञानिक किटों का उत्पादन।

परिषद् की केन्द्रीय विज्ञान कर्मशाला ने नए वैज्ञानिक उपकरणों के आवश्यक आदर्श रूप तैयार करके तथा यूनेस्को-युनिसेफ-सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत उपयोग के लिए किटों के क्रमिक उत्पादन के कार्य का उत्तरदायित्व लेकर भी विज्ञान के पाठ्यक्रम विकास कार्यक्रमों में सहायता देना जारी रखा। प्राथमिक कक्षाओं के लिए 100 वस्तुओं युक्त विज्ञान के विशेष किट का विकास किया गया। किट बक्स सचल प्रयोगशाला एवं निर्देशनात्मक प्रदर्शन टेबुल का कार्य करता है। किट में हस्त औजारों के सेट हैं जिससे कक्षा अध्यापक छोटी-छोटी मरम्मत कर सके और प्राथमिक कक्षाओं के लिए संशोधित उपकरण तैयार कर सके। मिडिल स्कूल के भौतिकी पाठ्यक्रम में उपयोग के लिए एक विशिष्ट रश्मि पेटी का

निर्माण किया गया। यह एक डिब्बानुमा इकाई है, और उसमें भरे हुए धुएँ की सहायता से, 'प्रकाश' संबंधी बहुत से प्रयोगों का प्रदर्शन किया जा सकता है। इस पेटी की एक अनुपम विशेषता यह है कि यह विद्युत धारा अथवा कक्षा के बाहर रखे हुये काँचों की सहायता से प्रतिफलित सूर्य किरणों दोनों से कार्य करता है। रसायन विज्ञान के लिए भी किट के आदर्श रूप का विकास किया गया जो एक सचल प्रयोगशाला के रूप में सेवा करता है। यह इस विषय में पूरे मिडिल स्कूल स्तर साथ ही साथ उच्च माध्यमिक स्तर के कुछ भाग की पूरी व्यवस्था करता है। कक्षा VII और VIII के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित तथा जीव विज्ञान के विषय-क्षेत्रों के उपकरणों के भी आदर्शरूप तैयार किए गए। कक्षा VI के लिए पूर्व विकसित उपकरणों के आदर्श रूपों में परीक्षणों की प्रतिपुष्टि के आधार पर और विकास किया गया। यूनेस्को-यूनिसेफ-सहायता प्राप्त अग्रगामी परियोजना के विद्यालयों को किट अनुपलब्ध करने के लिए भौतिकी और जीवविज्ञान के 750 किट सं० 1 का उत्पादन किया गया। प्रतिवेदन वर्ष में, गणित के भी 250 किटों का विकास किया गया। इनके अतिरिक्त कक्षा VII के लिए भौतिकी के 300 किटों का निर्माण किया गया। यूनेस्को-युनिसेफ-सहायता प्राप्त अग्रगामी परियोजना के अंतर्गत विभिन्न प्रयोगिक विद्यालयों को आगामी वर्ष में पूर्ति के लिए प्रत्येक वर्ग के 1000 किटों का बड़ी मात्रा में क्रमिक उत्पादन कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारियाँ की गईं। प्लास्टिक कार्य की विशेष सुविधाएँ भी शुरू की गईं तथा विद्युत-लेपन तथा प्रकाश विज्ञान की नई इकाइयाँ स्थापित की गईं।

1·7. विज्ञान शिक्षा के लिए अनुदेशन सामग्री केन्द्र

इस वर्ष विज्ञान शिक्षा के अनुदेशन सामग्री केन्द्र, सूचना प्रचार केन्द्रों के रूप में कार्य करते रहे। विज्ञान अध्यापकों, प्रशासकों और अध्यापक शिक्षकों से प्राप्त होने वाली माँगों और प्रश्नों को पूरा करने के लिए विज्ञान शिक्षण की विभिन्न अनुदेशन सामग्री की एक पुस्तिका-विवरणिका तैयार की गई। बहुत से विद्यालयों को उनकी विज्ञान प्रयोगशालाओं की संरचना तथा उनकी सज्जा के संबंध में सहायता प्रदान की गई। इस केन्द्र में सैंतीस पत्रिकाएँ और पर्चे प्रकाशित हुए। आकाशवाणी को इसके विज्ञान शिक्षण के दूरदर्शन कार्यक्रमों को विकसित करने में सहायता देने के कार्य केन्द्र द्वारा चालू रखे गए। इसने वैज्ञानिक अनुदेशन सामग्री की देश में दो प्रदर्शनियों का आयोजन किया। इस वर्ष बहुत से राष्ट्रीय और विदेशी विद्वानों द्वारा केन्द्र का निरीक्षण किया गया।

2. सामाजिक विज्ञान

2.1 सामाजिक अध्ययन

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक विज्ञान के अध्ययन ने अतिरिक्त महत्त्व प्राप्त किया है। इसके महत्त्व तथा अन्य उद्देश्यों जैसे राष्ट्रीय एकता और प्रजा-तंत्रात्मक नागरिकता के प्रकाश में, राष्ट्रीय परिषद् ने इस क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम के

विकास, पाठ्यपुस्तकीय सामग्रियों और अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बहुमुखी कार्यक्रम को आरंभ किया है। अध्ययनों और विकास कार्यों के परिणामस्वरूप, इस परियोजना ने कुछ महत्त्वपूर्ण चरणों को पार कर लिया है और विद्यालय शिक्षण के सभी स्तरों की सामग्री का उत्पादन किया है।

प्राथमिक अवस्था में देश के विभिन्न भागों के लोगों के जीवन पर विशेष बल देने के साथ, एक समेकित मार्ग ग्रहण किया गया। माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक अवस्था में अलग विषय मार्गों का अनुसरण किया गया। कक्षा I से XI तक के लिए सामाजिक अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम प्रारूप तैयार करने के साथ, पिछले वर्षों में, अनेक पाठ्यपुस्तकें और महायक पुस्तकें व अध्यापक मार्गदर्शिकाएँ आदि तैयार की गई। इस क्षेत्र में, प्रतिवेदन वर्ष में की गई प्रगति नीचे लिखे अनुसार है :

(i) सोशल स्टडीज टेक्स्टबुक वाल्यूम I—(सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तक-भाग I)—हिन्दी में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए अंतिम रूप दिया गया और छपने के लिए भेजी गई।

(ii) सोशल स्टडीज टेक्स्टबुक वाल्यूम II (सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तक भाग—II) उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्माणाधीन है।

(iii) सोशल स्टडीज टेक्स्टबुक 1, 2 एंड 3 (इंगलिश) (सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तक भाग 1, 2 और 3) अंग्रेजी में—प्राथमिक कक्षाओं के लिए कुछ संशोधन के साथ प्रेस में पुनर्मुद्रण के लिए भेजी गई।

नागरिक शास्त्र

(i) सिविक्स टेक्स्टबुक इन इंगलिश (नागरिकशास्त्र पाठ्यपुस्तक—अंग्रेजी में)—कक्षा VI के लिए छपवाई गई।

(ii) सिविक्स टेक्स्टबुक इन हिन्दी—कक्षा VII के लिए छपने को दी गई।

(iii) इंगलिश वर्जन आफ सिविक्स टेक्स्टबुक (नागरिक शास्त्र पाठ्यपुस्तक अंग्रेजी रूपांतर)—कक्षा VII के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है।

भूगोल

(i) 'अफ्रीका एंड एशिया' भूगोल की पाठ्यपुस्तक, अंग्रेजी में, कक्षा VI के लिए छपाई गई।

(ii) 'अफ्रीका और एशिया' भूगोल की पाठ्यपुस्तक, कक्षा VI के लिए कुछ संशोधन के साथ प्रेस में पुनर्मुद्रण के लिए भेजी गई।

(iii) 'आस्ट्रेलिया एंड अमेरिका' भूगोल की पाठ्यपुस्तकें, अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में, कक्षा VII के लिए, इनकी पांडुलिपियों को प्रेस में छपने के लिए दिया गया।

(iv) भूगोल की पाठ्यपुस्तक का प्रथम प्रारूप कक्षा VIII के लिए तैयार किया गया।

(v) रीजनल ज्योग्रफी (उत्तर अमेरिका, यूरोप और रूस), उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए, की पांडुलिपि प्रेस में छपने के लिए दी गई।

इतिहास

(i) टीचर्स हैंडबुक (अध्यापक सहायकपुस्तक) कक्षा VI के लिए निर्माणाधीन है।

(ii) 'माडर्न इंडिया' (आधुनिक भारत), कक्षा VIII के लिए निर्माणाधीन है।

(iii) 'मेडीवल इंडिया' (मध्यकालीन भारत), कक्षा VII के लिए (संशोधित संस्करण) मुद्रित हुआ।

(iv) 'मेडीवल इंडिया' (मध्यकालीन भारत) कक्षा VII के लिए (हिन्दी रूपान्तर), मुद्रित हुआ।

(v) 'माडर्न इंडिया' (आधुनिक भारत), कक्षा XI के लिए छपने को भेजा गया।

(vi) ए हैंडबुक आफ हिस्ट्री टीचर्स आफ हायर सैकेंडरी स्कूल्स (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के इतिहास अध्यापकों के लिए एक सहायक पुस्तक), छपने के लिए भेजी गई।

इनके अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए भूगोल, नागरिकशास्त्र और अर्थशास्त्र के शिक्षण एककों के लिए तीन पुस्तिकाएँ तैयार की गईं, और मिडिल स्कूल स्तर के लिए नागरिकशास्त्र और भूगोल के शिक्षण एककों के लिए क्रमश; चार और एक पुस्तिकाओं को छपने के लिए अंतिम रूप दिया गया। मिडिल स्कूल स्तर के लिए तीन अनुपूरक रीडर्स (पुस्तकों), अर्थात् गिरिराज हिमालय, लखनऊ रेजिडेन्सी का घेरा और अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी, की पांडुलिपियों को छपने के लिए भेजा गया।

2·2. **मातृ भाषा**

इस वर्ष, कर्मशाला में, हिन्दी के अधिक उपयोगी शब्दों की श्रेणीकृत शब्दावली की व्यापक सूची तैयार की गई। यह शब्दावली चार भागों में विभाजित है, अर्थात् विद्यालय पूर्व की शब्दावली, प्राथमिक विद्यालय शब्दावली, माध्यमिक विद्यालय शब्दावली और उच्च विद्यालय शब्दावली। प्रत्येक भाग में, किसी विशेष अवस्था में, हमारे बच्चों द्वारा साधारणतया सीखने की अपेक्षा वाले शब्द संग्रहीत हैं। श्रेणीकृत शब्दावली की व्यापक सूचियों का प्रत्येक भाग, अध्यापकों, संपादकों/लेखकों और मातापिताओं (संरक्षकों) को उनके मत प्राप्त करने के लिए भेजे गए। उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए काव्य और गद्य चयन की हिन्दी पाठ्य-पुस्तकें, काव्य संकलन और गद्य संकलन के परिवर्द्धित संस्करणों को तैयार करने का कार्य इस वर्ष शुरू किया गया। इनके अतिरिक्त, तीन अनुपूरक पुस्तकों अर्थात्

तुलसीदास, तुकाराम और कालीदास की पांडुलिपियों को तैयार किया गया और छपने के लिए भेजा गया।

2.3. द्वितीय भाषाएँ

इस वर्ष हिन्दी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए प्रथम पाठ्यपुस्तक का कार्य शुरू किया गया। दिल्ली की कक्षा VII के विद्यार्थियों के लिए अन्य परीक्षणात्मक पाठ्यक्रम के लिए अंग्रेजी में सोलह पाठों युक्त सामग्री परिषद् की भाषा प्रयोगशाला में तैयार की गई। द्वितीय भाषा के रूप में बंगाली शिक्षण की अग्रगामी परियोजना के अंतर्गत पंद्रह पाठों को तैयार किया गया, संशोधित किया गया और अंतिम रूप दिया गया। इन पाठों की भाषा प्रयोगशाला पांडुलिपियाँ निर्माणाधीन हैं। द्वितीय भाषा के रूप में बंगाली शिक्षण की प्रथम पाठ्यपुस्तक को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

3. प्राथमिक अवस्था के लिए समन्वित पाठ्यक्रम योजना

प्राथमिक अवस्था के लिए समन्वित पाठ्यक्रम योजना के विकास के लिए, विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विविध विभागों द्वारा विकसित पाठ्यक्रम सामग्रियों का अध्ययन किया गया। इस वर्ष इस परियोजना की कार्य योजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिपादित और अनुमोदित किया गया। पिछले वर्ष माध्यमिक स्तर के लिए, समग्र पाठ्यक्रम की विस्तृत योजना का विकास किया गया। माध्यमिक स्तर के लिए पूर्ण समन्वित पाठ्यक्रम योजना के व्यापक ढाँचे में, 1969-70 में स्वास्थ्य शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूर्ण किया गया।

4. अध्यापक शिक्षा

विद्यालय-पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में से कुछ के वर्तमान पाठ्यक्रमों का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण के आधार पर, विद्यालय-पूर्व अध्यापक. प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एक प्रारूप पाठ्यक्रम एक कर्मशाला में विकसित किया गया, जिसका आयोजन मार्च, 1970 में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान प्रांगण, नई दिल्ली में किया गया था। देश के विभिन्न भागों से सोलह सहभागी सम्मिलित हुए। पंजाब राज्य की बुनियादी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कला-शिक्षा और कार्य-अनुभव के एक पाठ्यक्रम योजना को विकसित किया गया। प्रतिवेदन वर्ष में बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण के हेतु प्रारूप पाठ्यक्रम छपवाया गया। बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के अध्यापक शिक्षकों के लिए सामाजिक अध्ययन की एक विस्तृत सहायक पुस्तक का संपादन किया गया और छपने के लिए अंतिम रूप दिया गया। "टीचिंग रीडिंग—ए चैलेंज" नामक पुस्तक के हिंदी अनुवाद का कार्य, कनिष्ठ तथा वरिष्ठ अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के

प्राध्यापकों के लिए शुरू किया गया। बुनियादी अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रम को, जिसे पूर्व काल में विकसित किया गया था और फरवरी, 1969 में अध्यापक शिक्षकों की अखिल भारतीय कर्मशाला में संशोधित किया गया था, कुछ संशोधन के साथ पंजाब, हरियाणा, मैसूर और बिहार की राज्य सरकारों तथा चंडीगढ़ के संघ क्षेत्र प्रशासन द्वारा उनके बुनियादी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में परीक्षण के तौर पर स्वीकार कर लिया।

उपर्युक्त राज्यों/संघ क्षेत्रों के बुनियादी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के पैंतीस प्रधानाचार्यों अथवा उनके प्रतिनिधियों ने, मार्च, 1970 में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान प्रांगण में नई दिल्ली में आयोजित कर्मशाला में भाग लिया जिसका उद्देश्य संशोधित बुनियादी अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार एकक योजनाओं को विकसित करना था। 137 से अधिक एकक योजनाओं को विकसित किया जिनका अब संपादन हो रहा है। प्राथमिक अध्यापक शिक्षण में पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए नमूना पाठों को विकसित करने के लिए, जनवरी, 1970 में गांधीग्राम में परिषद् द्वारा एक कर्मशाला का आयोजन किया गया। इसमें चौदह अध्यापक शिक्षक सम्मिलित हुए। कर्मशाला में 10 विषयों के 12 पाठ विकसित किए गए, जिनको अब संपादित किया जा रहा है।

5. बी०एड० पाठ्यक्रम के लिए श्रव्य-दृश्य के सामान्य पाठ्यक्रम का विकास

दिसंबर 1969 में, सभी राज्यों में बी० एड० के लिए श्रव्य-दृश्य शिक्षा के लिए सामान्य पाठ्यक्रम को सूत्रबद्ध करने के लिए, एक सप्ताह की अवधि की कर्मशाला का आयोजन किया गया।

6. प्राथमिक स्तर/अवस्था में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम मानकों का विकास

पाठ्यक्रम मानकों से संबंधित साहित्य का अध्ययन किया गया और विभिन्न राज्यों से संग्रहित/प्राप्त पाठ्यक्रमों के आधार पर प्राथमिक अवस्था में शिक्षण के उद्देश्यों की एक सूची तैयार की गई। इन उद्देश्यों का, शिक्षा आयोग (1964-66) के प्रतिवेदन में निहित राष्ट्रीय लक्ष्यों के संदर्भ में विश्लेषण किया गया। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार पाठ्यक्रम की उचित धारणा के निर्धारण तथा प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों को अंतिम रूप देने के लिए मानदंडों के विकास के लिए, 'पाठ्यक्रम' शब्द की विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण किया गया। इसके अतिरिक्त, बुनियादी विद्यालय पाठ्यक्रम के 150 मदों की व्याख्यात्मक ग्रंथ सूची और प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों के विकास पर एक प्रारूप कार्यपत्र भी तैयार किया गया।

7. कला, शिक्षा और कार्य-अनुभव

इस वर्ष मैसूर राज्य के लिए कला शिक्षा और कार्य-अनुभव की पाठ्यक्रम योजनाओं का विकास किया गया। इसके अतिरिक्त, कला और कार्य-अनुभव पाठ्य-

क्रमों के एककों का विकास किया गया और उनका इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के परीक्षणात्मक विद्यालय में परीक्षण किया गया।

8. प्रौढ़ शिक्षा

कार्य क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव के आधार पर तथा विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त समीक्षाओं के आधार पर भी 'किसान साक्षरता योजना—पहली पुस्तक' नामक हिंदी पुस्तक को दूसरी बार संशोधित तथा परिवर्द्धित किया गया। इस संशोधित पुस्तक की 10,000 प्रतियाँ प्रकाशित की गईं और वे उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिला, हरियाणा में रोहतक जिला और मध्य प्रदेश में रायपुर जिला के जिला शिक्षा अधिकारियों को वितरित की गईं। वृत्तिमूलक साक्षरता के प्रथम चरण के लिए अनुसरण उपाय के रूप में हिंदी भाषी क्षेत्र में, वृत्तिमूलक साक्षरता कक्षाओं के नव साक्षरों के लिए हिंदी में एक साधारण निवेश पत्र तैयार किया गया। इस निवेश पत्र का रोहतक जिले में कार्य रूप में परीक्षण किया गया और नव-साक्षर किसानों के साथ प्राप्त अनुभव के प्रकाश में उसको संशोधित किया गया।

9. शिक्षण सहायक साधन

पिछले कुछ वर्षों से, पूर्ण विद्यालय स्तर पर शिक्षा में शिक्षण उपकरणों के उपयोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम पर राष्ट्रीय परिषद् कार्य करती रही है। इसमें अल्प व्यय तकनीकें जैसे फ्लैनेल ग्राफ किट, ग्राफिक किट आदि शामिल हैं, जो विद्यालय अवस्था में अत्यंत उपयोगी होते हैं। इसके अतिरिक्त, बड़ी मात्रा में विविध स्कूल विषयों की फिल्म स्ट्रिपें, चार्ट्स, रेखाचित्र (डायग्राम्स) और अन्य संबंधित सामग्री का निर्माण किया गया। प्रतिवेदन वर्ष में निम्नलिखित किट/सामग्रियों का उत्पादन किया गया:

किट :

1. (i) अवर इंडिया स्टडी (हमारा भारत अध्ययन) किट,
   (ii) ग्राफिक मैटेरियल (ग्राफिक सामग्री) किट,
   (iii) पपेटरी एंड क्रीएटिव ड्रामा (कठपुतली और रचनात्मक नाटक) किट,
   (iv) थ्री आडिओ-विजुएल (तीन श्रव-दृश्य) किट,
   (v) अवर इंडिया स्टडी किट बेस्ड आन सोशल साइंस (हमारा भारत अध्ययन किट—सामाजिक विज्ञान पर आधारित)।

2. आठ प्रदर्शनात्मक पटों का शैक्षिक सामग्री के प्रदर्शन के लिए, इस वर्ष निर्माण किया।

अन्य सामग्री

(i) 16 प्रदर्शन आधार,
(ii) दो दिवस-प्रकाश पर्दे,
(iii) एक चाक पट;
(iv) एक जादू पट,
(v) पचास कठपुतली आधार,
(vi) जीव विज्ञान पर 21 उड़न-नक्शों की मात्रा तैयार की गई। इनका मुद्रण, प्रकाशन एकक द्वारा किया गया।
(vii) एक त्रि:दिक् (3 डी) भारत का नमूना- हमारा भारत अध्ययन किट के लिए।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित फिल्मस्ट्रिपें निर्माण की विविध अवस्थाओं में हैं :

(i) जम्मू और कश्मीर,
(ii) राजस्थान,
(iii) रेखीय सममिति (लिनियर सिमिट्री),
(iv) अंकों का जन्म,
(v) त्रिदिक् (3 डी) पैरिस प्लास्टर शिक्षण उपकरण,
(vi) फाइंडिंग एबाउट एनिमल्स (जानवरों के बारे में जानकारी)।

10. भाषा प्रयोगशालाएँ

"पाठ्यक्रम विकास के क्षेत्र में, इस वर्ष की प्रमुख घटनाओं में से एक यह है कि परिषद् ने विज्ञान की भारतीय संस्थान बंगलौर के भूतपूर्व और अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक प्रो० एस० वी० सी० अय्या की अध्यक्षता में भारत में भाषा प्रयोगशाला पर एक समिति की स्थापना की। समिति निम्नलिखित निर्देश पद थे :

1. भारतीय और अन्य भाषाओं को सीखने के लिए, देश में भाषा प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सुविधाओं जैसे उपकरण, कार्यक्रम, टेप्स, साहित्य आदि का सर्वेक्षण करना।

2. भाषा प्रयोगशालाओं के वास्तविक उपयोग, विशेष रूप से घंटों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों के वर्ग पर रिपोर्ट देना।

3. भाषा प्रयोगशालाओं की सुविधाओं के विस्तार, विशेषत: विश्वविद्यालय स्तर पर अथवा उन लोगों के लिए जो विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर हैं, के लिए भाषाओं के वृतिमूलक शिक्षण पर रिपोर्ट देना; और

4. देश में भाषा प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक उपकरणों की उत्पादन क्षमता को आँकना और विस्तार कार्यक्रम, यदि कोई हो तो, के बारे में सुझाव देना।

समिति ने अपना प्रतिवेदन, अगस्त, 1969 में दिया जिसमें दूरगामी परिणामों वाली सिफारिशें की, जिनमें अन्य के अलावा ये थीं, संशोधित भाषा पाठ्यक्रमों को लागू करना और उसको पाँच वर्ष की अवधि में देश के सभी माध्यमिक स्कूलों में भाषा प्रयोगशालाओं की तकनीकों द्वारा शिक्षण, प्राथमिकता के आधार पर सामग्री निर्माण और भाषा प्रयोगशाला की तकनीकों में अध्यापकों को प्रशिक्षण, भाषा प्रयोगशालाओं के लिए वांछनीय उपकरणों के परीक्षण और नए आकारों, उपयुक्तता और उपयोगिता की जाँच के लिए सर्वतोमुखी केंद्र, वरीयतन राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली में समारंभ करना, और उपयुक्त ध्वंयात्मक प्रयोगशालाओं की स्थापना की व्यवस्था करना ।

परिशिष्ट-10

प्रशिक्षण कार्यक्रम

सदैव की भाँति, परिषद् ने 1969-70 में भी शिक्षकों तथा अध्यापक शिक्षकों की सेवापूर्व तथा सेवाकालीन शिक्षा पर काफी ध्यान दिया है। इस कार्य का संक्षिप्त प्रतिवेदन नीचे प्रस्तुत है।

1. सेवापूर्व शिक्षा

1.1 केन्द्रीय शिक्षा संस्थान

प्रतिवेदन वर्ष में, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली ने दिल्ली विश्वविद्यालय की बी० एड० तथा एम० एड० की उपाधियों के लिए अपने पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों को चालू रखा। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 150 तथा 23 थी। संस्थान में बी० एड० तथा एम० एड० के पत्राचार पाठ्यक्रम तथा अंशकालिक सांध्य पाठ्यक्रम भी चालू रहे, उनमें क्रमशः 131 तथा 15 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। संस्थान ने अपने पी-एच० डी० के कार्यक्रम को भी जारी रखा तथा दो विद्यार्थियों, सर्वश्री एल० सी० सिंह तथा गुलाम रसूल को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा यह उपाधि प्रदान की गई। पूर्णकालिक तथा पत्राचार के बी० एड० पाठ्यक्रम के क्रमशः 126 तथा 139 विद्यार्थी इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित हुए। एम० एड० की अंतिम परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में 20 तथा अंशकालिक सांध्य पाठ्यक्रम में 13 थी।

1.2 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय

राष्ट्रीय परिषद् की अंगीकृत इकाइयों के रूप में अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर में चार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद विभिन्न विषयों की पूर्ण शिक्षा तथा अध्यापन प्रशिक्षण से संयुक्त चार वर्षीय समन्वित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षकों को तैयार करना है। 1968-69 से टैक्नोलोजी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश बंद कर दिया गया है। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान विज्ञान, अंग्रेजी तथा वाणिज्य के चार वर्षीय समन्वित पाठ्यक्रम चलते रहे। चारों महाविद्यालयों ने स्नातक शिक्षकों के लिए वाणिज्य, तथा विज्ञान (तथा कृषि) में बी० एड० के एक वर्षीय विशेष पाठ्यक्रमों का आयोजन किया। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर ने, स्नातक शिक्षकों के लिए अन्य एक वर्षीय बी० एड० कार्यक्रम के नमूने पर अंग्रेजी तथा हिन्दी

के विशिष्ट शिक्षक तैयार करने के लिए, इस वर्ष एक वर्षीय बी० एड० भाषा पाठ्यक्रम का समारंभ किया। भोपाल तथा भुवनेश्वर में एम० एड० के पाठ्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। अजमेर तथा भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में कृषि में एक वर्षीय बी० एड० पाठ्यक्रम चलते रहे।

1969-70 के शैक्षिक सत्र में, उक्त चारों क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में चार वर्षीय पाठ्यक्रम में कुल छात्र संख्या 1,579 थी, जिनमें से विज्ञान में 863, टैक्नालोजी में 116, अंग्रेजी में 363 तथा वाणिज्य में 237 थे। एक वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रविष्ट प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 526 थी, जिनमें से वाणिज्य में 75, विज्ञान में 326, कृषि में 60 तथा भाषाओं में 65 थे। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल तथा भुवनेश्वर में एम० एड० के पाठ्यक्रम में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या क्रमश: 6 और 10 थी।

देश में माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी दूर करने की दृष्टि से परिषद् अपने चारों क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में बी० एड० उपाधि के लिए ग्रीष्म कालीन विद्यालय एवं पत्राचार पाठ्यक्रमों का संचालन करती रही है। इस पाठ्यक्रम में दो ग्रीष्मावकाश (चार माह) का पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण तथा दो ग्रीष्मावकाशों के बीच की 10 माह के अवधि में पत्राचार द्वारा अनुदेशन सम्मिलित है।

2. सेवाकालिक शिक्षा

परिषद् द्वारा 1969-70 में शिक्षकों तथा विद्यालयी शिक्षा से संबंधित अन्य व्यक्तियों को अल्पावधि तथा दीर्घावधि शिक्षा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने में किया गया कार्य नीचे दिया गया है।

2.1. विज्ञान ग्रीष्मकालीन संस्थान

माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान तथा गणित के शिक्षकों को उनके विषय क्षेत्रों में आधुनिकतम विकास के ज्ञान से सुपरिचित करने के लिए राष्ट्रीय परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से ग्रीष्मकालीन संस्थानों के आयोजन के लिए एक बड़े कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। ये ग्रीष्मकालीन संस्थान लगभग 5 से 6 सप्ताह तक चलते हैं और इनका निदेशन विश्वविद्यालय प्राध्यापकों द्वारा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के साधकों की सहायता से होता है। 1969-70 वर्ष में ऐसे 60 संस्थानों का आयोजन किया गया था जिनमें से गणित में 16, भौतिकी में 14, रसायन शास्त्र में 18 तथा जीव-विज्ञान में 12 थे। 1963 में इस परियोजना को चार संस्थानों से शुरू किया गया था, तब से अब तक 293 संस्थानों का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें 11,300 शिक्षकों ने भाग लिया।

2.2 मानविकी और सामाजिक विज्ञान में ग्रीष्मकालीन संस्थान

1969-70 में छ: मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के ग्रीष्मकालीन संस्थानों का संचालन किया गया। इनमें से एक संस्थान प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों

के अध्यापक-शिक्षकों के लिए था, जबकि पाँच अन्य संस्थान माध्यमिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों के अध्यापक-शिक्षकों के लिए थे। इन पाँच संस्थानों में से एक में भाग लेने वालों में कुछ स्वैच्छिक संगठनों के कर्मचारी भी थे। इन संस्थानों के विषय निम्नलिखित थे :

(1) प्रारंभिक शिक्षा के सिद्धांत और समस्याएँ
(2) भारतीय शिक्षा की समस्याएँ
(3) अनुसंधान, विधितंत्र और प्रयोगात्मक रूप रेखांकन
(4) अवबोधन, अभिप्रेरण तथा वर्ग प्रक्रियाएँ
(5) व्यावहारिक बहुभाषा विज्ञान तथा भाषा शिक्षण
(6) प्रौढ़ (सामाजिक) शिक्षा

2.3. शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन के डिप्लोमा पाठ्यक्रम

प्रतिवेदन वर्ष में, राज्य मार्गदर्शन ब्यूरो और विद्यालयों के सलाहकारों को तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों में मार्गदर्शन का शिक्षण देने वाले अध्यापक-शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देने की दृष्टि से शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन के नौ माह की अवधि के पूर्णकालिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाए गए। 15 प्रशिक्षणार्थिओं ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया जिनमें हरियाणा, गुजरात, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल प्रत्येक से एक-एक तथा जम्मू और कश्मीर तथा दिल्ली से दो-दो और पंजाब तथा उत्तर प्रदेश से तीन-तीन थे।

2.4. अन्य अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

विभिन्न क्षेत्रों में कई अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(1) एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के प्रशिक्षणार्थिओं के लिए परिषद् की भाषा प्रयोगशाला द्वारा अंग्रेजी, द्वितीय भाषा के रूप में, दो सप्ताह का कार्यक्रम।

(2) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के कक्षा 4 के बच्चों के लिए दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी के शिक्षण के लिए परिषद् की भाषा प्रयोगशाला द्वारा एक पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। इन बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में अंग्रेजी स्वर ध्वनियों का अभ्यास कराया गया और तुलना के उद्देश्यों से उनकी पाठ्यक्रम पूर्व तथा बाद की ध्वनियों को 'रेकार्ड' किया गया।

(3) माध्यमिक स्तर पर हिन्दी शिक्षण के विकास के लिए, राज्य शिक्षा संस्थान, बिहार के सहयोग से एक दस दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। पचास सदस्यों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया।

(4) पश्चिमी क्षेत्र के स्नातकोत्तर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रध्यापकों के लिए एक चार सप्ताह का श्रव्य-दृश्य शिक्षा के प्रशि-

क्षरण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पाठ्यक्रम में बीस शिक्षकों ने भाग लिया।

(5) विभिन्न राज्यों के श्रव्य-दृश्य शिक्षा विभागों, राज्य शिक्षा संस्थानों और चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के चलचित्र-प्रदर्शकों तथा तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने के लिए एक अखिल भारतीय छः सप्ताह का तकनीकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों में श्रव्य-दृश्य उपकरणों के प्रचालन, रख-रखाव तथा मरम्मत कार्यों में कुशलता और योग्यता का विकास करना था।

(6) योजनाबद्ध अवबोधन का चौथा पाठ्यक्रम दो चरणों में, जिसमें प्रथम चरण राज्य शिक्षा संस्थान, पूना तथा दूसरा चरण राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान प्रांगण नई दिल्ली में आयोजित किया था। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य, प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों, विद्यालय शिक्षकों तथा अन्य लोगों को योजनाबद्ध अवबोधन की तकनीकों से परिचित कराना था। इस पाठ्यक्रम में पैंतीस प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया।

(7) इस वर्ष, गुजरात राज्य के लिए बुनियादी स्तर के विभिन्न विद्यालय विषयों के पाठ्यपुस्तक लेखकों तथा समीक्षकों के लिए एक अभिस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राज्य शिक्षा विभाग द्वारा चुने हुए 50 पाठ्यपुस्तक लेखकों तथा समीक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षार्थियो को, चुनाव के सिद्धांतों, विषय वस्तु का आयोजन प्रस्तुतीकरण तथा ऐसे शिक्षण-अवबोधन उपकरणों जैसे समीक्षा अभ्यासों, चित्रों तथा शिक्षकों के लिए मार्गदर्शकों को तैयार करने में अभिस्थापित किया गया।

(8) मई-जून, 1969 में पाँचवाँ अल्पावधि मूल्यांकन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें, देश के विभिन्न भागों से परीक्षा सुधार मे कार्यरत विभिन्न राज्यस्तरीय शैक्षिक अभिकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले 39 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

(9) संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की माँग तथा आवश्यकता के अनुसार, दस दिन से 3 सप्ताह की अवधि वाले, आठ राज्यस्तरीय मूल्यांकन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, असम, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्य तथा हिमाचल प्रदेश और दिल्ली राज्य संघ क्षेत्र सम्मिलित थे। 281 प्रश्नपत्र बनाने वाले और अन्य कर्मियों ने इन कार्यक्रमों से लाभ उठाया।

(10) असम तथा दिल्ली के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के लिए भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा जीव-विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षाओं के

परीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक चार दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में उंतीस व्यक्तियों ने भाग लिया।

(11) सितंबर, 1969 में किसान शिक्षा और वृत्तिमूलक साक्षरता परियोजना के अंतर्गत, किसान साक्षरता योजना में कार्य कर रहे जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए एक सप्ताह का अभिस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश तथा मैसूर राज्यों के जिला शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया।

(12) अनवरत कृषि दूरदर्शन मूल्यांकन परियोजना के अन्वेषण सहायकों और अन्वेषकों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(13) श्रमिक संस्थान, इंदौर के साक्षरता कार्मिकों के लिए एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में उक्त संस्थान के तीस शिक्षकों तथा पर्यवेक्षकों ने भाग लिया।

(14) किसान साक्षरता योजना के पर्यवेक्षकों के लिए त्रिमिश्रित प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ में दस दिन की अवधि का चौथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। इस पाठ्यक्रम में गुजरात, मैसूर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के दस पर्यवेक्षकों ने भाग लिया।

(15) दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के चरित्र अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक तीन सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में पचास अध्यापकों ने भाग लिया।

(16) विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी शिक्षण के कौशल में दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए अंग्रेजी शिक्षण से संबंधित एक तीन सप्ताह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में तीस शिक्षकों ने भाग लिया।

(17) उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में गृह-विज्ञान पढ़ाने वाले दिल्ली के माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के लाभ के लिए सांख्यिकी शिक्षण के दस-दस दिन की अवधि के दो कार्यक्रम, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली तथा विज्ञान केन्द्र, जंगपुरा, नई दिल्ली में आयोजित किए गए।

(18) दिल्ली नगर निगम के आग्रह पर प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लाभ के लिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का प्राथमिक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(19) दिल्ली नगर निगम के आग्रह पर प्राथमिक स्तर के गणित के शिक्षकों के लाभ के लिए, गणित में शिक्षण का एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(20) अक्टूबर-नवंबर, 1969 में, दो छः सप्ताह के संक्षिप्त कार्यक्रम, एक मैसूर राज्य के माध्यमिक स्कूल के तीस शिक्षकों के लिए जीवविज्ञान में और लक्का० मिनी० तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह के तेरह शिक्षकों के लिए सामान्य विज्ञान के लिए आयोजित किए गए । पहला लोक अनुदेश विभाग, मैसूर और दूसरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्त्वावधान में हुआ ।

(21) जून, 1969 में विद्यालयी विषयों का नाटकीकरण के माध्यम से शिक्षण में मैसूर शहर के हाई स्कूल के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक अभिस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

(22) दो कार्यक्रम, एक लोक अनुदेश विभाग, मैसूर के सहायक शिक्षा अधिकारियों के लिए और दूसरा मैसूर राज्य के प्राथमिक अध्यापक शिक्षकों के लिए क्रमशः मई, 1969 और मार्च, 1970 में आयोजित किए गए । इन कार्मक्रमों का प्रयोजन भाग लेने वालों को प्रशिक्षित करना था ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों को कार्य अनुभव में अभिस्थापन देने के लिए स्रोत कार्मिकों के रूप में कार्य कर सकें ।

परिशिष्ट-11

विस्तार तथा क्षेत्रीय सेवाएँ

1969-70 में विस्तार तथा क्षेत्रीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए किए गए कार्य का विवरण नीचे दिए पैराग्राफों में दिया गया है :

1. विस्तार सेवा केन्द्र

पिछले वर्षों की भाँति, देश भर के चुने हुए माध्यमिक तथा प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थित 140 विस्तार सेवा केन्द्रों को उनके कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत विद्यालयों को विस्तार सेवाएँ प्रदान करने के लिए, सहायता-अनुदानों द्वारा सहायता दी गई। जून 1969 में, क्षेत्रीय सेवा विभाग का समापन हो जाने के कारण, इन केन्द्रों को सीमित मात्रा में ही तकनीकी मार्ग प्रदर्शन प्रदान किया गया।

प्रतिवेदन वर्ष में, विविध विद्यालयी विषयों में योजनाबद्ध अवबोधन के लिए अनुदेशी सामग्री तैयार करने के लिए, चार राज्यों के सात माध्यमिक विस्तार सेवा केन्द्रों में से प्रत्येक को 3000/— रु० के प्रेरक अनुदान दिए गए।

मार्च 1970 में, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के माध्यमिक विस्तार सेवा केन्द्रों के नए समन्वयकर्ताओं के लिए एक दस दिवसीय अंतरग पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पाठ्यक्रम में सात राज्यों के तेरह समन्वय कर्ताओं ने भाग लिया। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य/प्रयोजन राष्ट्रीय शिक्षा अंवेषण तथा प्रशिक्षण परिषद् के विभिन्न संघटक एककों तथा विस्तार सेवा विभागों के कार्यों से भाग लेने वालों को परिचित कराना था।

मैसूर राज्य के सभी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों और अवैतनिक निदेशकों तथा विस्तार सेवा केन्द्रों के समन्वयकर्ताओं का प्रतिवेदन वर्ष के लिए केन्द्रों के कार्यक्रमों पर विवेचन करने तथा उन्हें अंतिम रूप दिए जाने के लिए, एक राज्य स्तरीय सम्मेलन बेलगाम में हुआ।

इस वर्ष प्राथमिक विस्तार सेवा केन्द्रों के अवैतनिक निदेशकों तथा समन्वयकर्ताओं के दो क्षेत्रीय सम्मेलन, कल्यानाबाग्राम (पश्चिम बंगाल) तथा दिल्ली में आयोजित किए गए। इन सम्मेलनों में पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए (निष्पादित) कार्यों की समीक्षा की गई उनके कार्यक्रमों को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए निर्देश तैयार किए गए।

फरवरी, 1970 में भोपाल में दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के प्राथमिक विस्तार केन्द्रों के अवैतनिक निदेशकों तथा समन्वयकर्त्ताओं का एक कार्य सम्मेलन (कर्मशाला) हुआ। बहु-कक्षा-शिक्षण, अवर्गीकृत विद्यालय व्यवस्था, उपलब्धि अभिप्रेरण और अपव्यय तथा कार्य-स्थिरता की समस्याओं का इस कार्य-सम्मेलन में उपर्युक्त सक्रिय कार्यक्रमों के विकसित करने के दृष्टिकोण से विवेचन किया गया।

प्रतिवेदन वर्ष में चौदह प्राथमिक विस्तार सेवा केन्द्रों का तकनीकी मार्गदर्शन किया गया। इसके अतिरिक्त केन्द्रों से प्राप्त त्रैमासिक प्रतिवेदनों की भी समीक्षा की गई और उन्हें आवश्यक सुझाव दिए गए।

अब यह निश्चय किया जा चुका है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक विस्तार सेवा केन्द्रों का आर्थिक नियंत्रण संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया जाए।

2. विचार गोष्ठी अध्ययन

दिसंबर, 1969 में राज्य शिक्षा संस्थान, पूना में विचारगोष्ठी अध्ययनों में पुरस्कृतों की वार्षिक राष्ट्रीय सभा हुई। इस सभा में माध्यमिक विद्यालयों के तेरह शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए।

राष्ट्रीय परिषद् ने अब तक विचार गोष्ठी अध्ययन की सात अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिनमें माध्यमिक विद्यालयों के 175 शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। इस वर्ष के दौरान, यह निश्चय किया गया कि विचार गोष्ठी अध्ययन की सातों अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कृतों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाए। इस निश्चय के पालन में, मार्च, 1970 में दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के प्रांगण में प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का प्रयोजन पुरस्कृतों को विचारों तथा अनुभव के विनिमय के लिए सभामंच प्रस्तुत करना था।

3. अध्यापक शिक्षण का विकास

3.1 विद्यालय-पूर्व अध्यापक शिक्षण के अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास

मार्च, 1970 में, विद्यालय पूर्व अध्यापक शिक्षण के लिए एक अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास के लिए एक कर्मशाला का आयोजन किया गया। इस कर्मशाला में केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा दिल्ली संघ क्षेत्र के भाग लेने वाले सम्मिलित हुए।

3.2 माध्यमिक स्तर छात्र शिक्षण और मूल्यांकन

चंडीगढ़, देहरादून, नागपुर तथा जबलपुर में माध्यमिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अध्यापक-शिक्षकों के लिए छात्र शिक्षण और मूल्यांकन पर चार

विचारगोष्ठियों का आयोजन किया गया। इन गोष्ठियों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश तथा बिहार राज्यों के और हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था। इन विचार गोष्ठियों में 115 व्यक्तियों ने भाग लिया।

3.3 माध्यमिक स्तर—सघन अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम

अप्रेल 1969 में, केरल राज्य के माध्यमिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के लिए, एक कार्यविधि अनुसंधान और विषय अध्ययन पर, त्रिवेन्द्रम में एक विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया।

अक्तूबर 1969 में, चंडीगढ़ में, पंजाब के माध्यमिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें उंतीस प्रधानचार्यों अथवा उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन ने पाठ्यक्रम विकास, छात्र शिक्षण और मूल्यांकन तकनीकों के संबंध में अपने सुझाव दिए। इसके अतिरिक्त, प्रवेश नीतियों सहित, महाविद्यालयों की आंतरिक समस्याओं पर भी विवेचन किया गया।

3.4 बुनियादी स्तर—सघन अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम

नवंबर 1969 में, बिहार में, बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों का सघन अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया। इस प्रयोजन के लिए बीस आदर्श अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों का चुनाव किया गया। जनवरी-मार्च, 1970 में, राज्य शिक्षा संस्थान, पटना के सहयोग से तेरह पाठ्यक्रम (विषयानुसार) अध्यापक शिक्षकों के लिए आयोजित किए गए।

3.5 प्रयोगात्मक शिक्षा

प्रतिवेदन वर्ष में, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा नए बी० एडों० को शिक्षण में दीक्षित करने के लिए प्रयोगात्मक शिक्षा का आयोजन किया गया। कुछ विद्यालयों में, इस प्रयास में, दिल्ली के विशेष क्षेत्र के अध्यापकों के समूह जो अपने अध्यापक अध्ययन क्षेत्रों के तत्वावधान में एकत्र हुए थे, के सामने प्रदर्शनात्मक पाठों का निरूपण किया गया। प्रत्येक प्रदर्शनात्मक पाठ के उपरांत 'प्रशिक्षण महाविद्यालय पद्धति की व्यावहारिकता पर विवेचन/वाद विवाद हुआ।

4. प्राथमिक स्तर पर अपव्यय तथा कार्यस्थिरता

4.1 प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अपव्यय को कम करने के लिए सक्रिय कार्यक्रमों पर राष्ट्रीय सम्मेलन

जनवरी, 1970 में, प्राथमिक स्तर पर अपव्यय और कार्य स्थिरता को कम करने के लिए सक्रिय कार्यक्रमों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

इस सम्मेलन ने कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशें कीं जिनमें I से V कक्षाओं में शैक्षिक अप-व्यय को कम करने के संकल्प थे।

4.2 **अवर्गीकृत विद्यालय व्यवस्था पर अभियान परियोजना**

इस वर्ष, शैक्षिक अपव्यय को कम करने के लिए, अवर्गीकृत व्यवस्था के संघात का अध्ययन करने के लिए, अवर्गीकृत विद्यालय व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश के लोनी ब्लाक में अभियान परियोजन का शुभारंभ किया गया। परियोजना के समारंभ के पहले, भाग लेने वाले अध्यापकों तथा निरीक्षण अधिकारियों को दो दिन के लिए अवर्गीकृत व्यवस्था तथा विकास एककों की पद्धति, आदि का अभिस्थापन ज्ञान कराया गया।

5. श्रव्य-दृश्य शिक्षा

5.1 श्रव्य-दृश्य शिक्षा पर, इलाहाबाद के पंद्रह प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों का एक चार दिवसीय गोष्ठी का जून, 1969 में आयोजन किया गया। अन्य बातों के अलावा, इस कार्यक्रम में शिक्षात्मक फिल्मों का प्रदर्शन करना भी शामिल था।

5.2 अगस्त 1969 में, दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विज्ञान शिक्षकों के लिए फिल्म प्रदर्शी फलकों (नक्शों) को तैयार करने के लिए एक सप्ताह की कर्मशाला का आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने वालों ने विविध विज्ञान विषयों पर उन्नीस नमूना फिल्म फलकों को तैयार किया।

5.3 सितंबर, 1969 में श्रव्य-दृश्य शिक्षा पर, द्वितीय अखिल भारतीय सम्मेलन एवं कर्मशाला का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के देश विभिन्न भागों से सत्रह भाग लेने वाले सम्मिलित हुए। इसने कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशें कीं। इस सम्मेलन का प्रतिवेदन छप गया है और उसे राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

5.4 प्रतिवेदन वर्ष में, 419 फिल्में प्राप्त की गई, जिनको मिलाकर परिषद् के केन्द्रीय फिल्म पुस्तकालय में फिल्मों की संख्या 7,101 हो गई। 51 फिल्म पट्टियों (स्ट्रिप) की भी वृद्धि हुई जिनसे कुल संख्या 2,560 हो गई। 143 नए सदस्यों की भर्ती की गई जिससे केन्द्रीय फिल्म पुस्तकालय की सदस्य संख्या बढ़कर 2867 हो गई।

5.5 कक्षा शिक्षण के लिए, निम्नलिखित विज्ञान फिल्मों को हिन्दी में डब कराया गया।

1. अंतरिक्ष विज्ञान—एक परिचय
2. अंतरिक्ष विज्ञान—पुच्छलतारे (धूमकेतु), उल्का तथा नक्षत्र मंडल
2. अंतरिक्ष विज्ञान—नक्षत्र मंडल
4. विज्ञान और अंतरिक्ष
5. परिचयात्मक रसायन विज्ञान—रासायनिक परिवर्तनों के प्रकार

केन्द्रीय फिल्म पुस्तकालय के माध्यम से इन फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।

5.6 दिल्ली स्थित, रूस के व्यापार प्रतिनिधि से प्राप्त 1500 सोवियत फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टरों में से 1475 को देश भर की शैक्षिक संस्थानों को वितरित कर दिया गया।

6. योजनाबद्ध अवबोधन

मनोविज्ञान और शिक्षा के विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ अध्यापकों में योजनाबद्ध अनुदेशन के रचनात्मक मूल्यांकन पर दो क्षेत्रीय विचार गोष्ठियाँ, एक सरदार पटेल विश्वविद्यालय के सहयोग से और दूसरी उत्कल विश्वविद्यालय के सहयोग से इस वर्ष आयोजित की गईं।

7. पाठ्यपुस्तकों का निर्माण, रचना और मूल्यांकन

जनवरी 1970 में विद्यालय पाठ्यपुस्तकों के निर्माण, रचना और मूल्यांकन के विविध पहलुओं पर विवेचन करने के लिए, विद्यालय पाठ्यपुस्तकों के संबंध में एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के पचास प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

8. प्रौढ़ शिक्षा

8.1 किसान साक्षरता योजना

1969-70 के दौरान, किसान शिक्षा और वृत्तिमूलक (व्यावसायिक) साक्षरता की समेकित परियोजना के अंतर्गत, किसान साक्षरता योजना का देश के और पंद्रह जिलों में विस्तार किया गया। मैसूर, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में, इस योजना में किए गए कार्यों का पुनर्मूल्यांकन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में वृत्तिमूलक साक्षरता कक्षाओं के कार्यसंचालन का, परिषद् के अधिकारियों द्वारा तत्स्थानी पर्यवेक्षण किया गया।

8.2 श्रमिक विद्यापीठ, बंबई

इस वर्ष, श्रमिक विद्यापीठ (बहुसंयोजक केन्द्र) बंबई के विकास कार्यक्रमों को तकनीक मार्गप्रदर्शन जारी रखा गया। इस केन्द्र पर, बंबई के औद्योगिक श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए नए पाठयक्रमों का आयोजन किया गया। दि टाटा इंस्टीट्यूट, बंबई ने, जिसको श्रमिक विद्यापीठ के कार्यसंचालन के मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया था, अपनी रिपोर्ट 'यूनेस्को' को दी।

8.3 दूरदर्शन के मूल्यांकन पर विचार गोष्ठी

30 जुलाई, 1969 को, कृषि 'कृषि दूरदर्शन' नीति समिति के आग्रह पर, संचार के, विशेषतया दूरदर्शन के संदर्भ में, व्यापक साधन के मूल्यांकन के ढंगों पर चर्चा करने के लिए, एक दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। तीस सहयोगियों तथा तेरह पर्यवेक्षक इस विचार गोष्ठी में सम्मिलित हुए।

9. कृषि शिक्षा

ग्रामीण युवकों के लिए व्यावसायिक कृषि परियोजना

पश्चिम बंगाल और बिहार के चुने हुए विद्यालयों के कुछ कृषि अध्यापकों की सहायता से, ग्रामीण युवकों को वर्तमान विद्यालय सुविधाओं के द्वारा प्रशिक्षण देने के विचार को परीक्षण के लिए क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर द्वारा एक सर्वेक्षण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कम-से-कम मिडिल स्कूल शिक्षा प्राप्त और कुछ जमीन रखने वाले 14-25 वर्ष के कृषक युवकों को शिक्षा देना था।

मुख्यतया गृह परियोजनाओं और लचकीले आवश्यकता-आधारित पाठ्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। पचास ग्रामीण युवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

10 अध्यापक शिक्षण तथा विद्यालय विकास कार्यक्रम

10.1 विज्ञान शिक्षण

केन्द्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली से संबद्ध प्रसार सेवा केन्द्र द्वारा प्रसार सेवा केन्द्र, जामिया मिल्लिया के सहयोग से दिल्ली के मिडिल स्कूलों के विज्ञान अध्यापकों के लाभार्थ, विज्ञान शिक्षण में सुधार करने के लिए दो विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया।

10.2 सहयोगी विद्यालयों को मजबूत करना

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, क्षेत्रीय महाविद्यालय, भुवनेश्वर द्वारा पूर्वी क्षेत्रों के सहयोगी विद्यालयों को बहुत से प्रकाशन भेजे गए। इन पुस्तकों में, न्यू ट्रेंड्स इन टीचिंग बुक कीपिंग एंड एकाउंटिंग, रिसर्च आइडियाज फ़ार साइंस प्रोजेक्ट, न्यू ट्रेंड्स इन स्कूल प्रैक्टिसेज वाल्यूम्स 9, 10, 11, विद्यालय गणित पर 16 शीर्षकों युक्त पैंफलेट और विचार गोष्ठी अध्ययन कार्यक्रम 1969-70 से संबंधित पैंफलेट आदि सम्मिलित हैं।

10.3 प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित के शिक्षण में सुधार

दिसंबर, 1966 में क्षेत्रीय महाविद्यालय भुवनेश्वर द्वारा विज्ञान और गणित के शिक्षण के ढंगों पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह विचार गोष्ठी आठ दिन तक चलती रही। इस में पच्चीस सहयोगियों ने भाग लिया।

10.4 व्यवहार शिक्षण

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय द्वारा, राजस्थान के विविध प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा प्राध्यापकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया।

इसका उद्देश्य व्यवहार शिक्षण कार्यक्रमों के संगठन में सुधार, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन की दृष्टि से व्यवहार शिक्षण कार्यक्रमों के विविध पहलुओं का विवेचन करना था।

10.5 मनोविज्ञान और हिन्दी शिक्षण

मनोविज्ञान और हिन्दी विषयों के शिक्षण की विशिष्ट समस्याओं के विवेचन के लिए और पाठ्यक्रम को अधिक वृत्तिमूलक बनाने के लिए शिक्षण और मूल्यांकन की सचित्र सामग्री के निर्माण के लिए, राजस्थान के विविध प्रशिक्षण महाविद्यालयों मनोविज्ञान और हिन्दी पढ़ाने वाले प्राध्यापकों को एक विचार गोष्ठी में आमंत्रित किया गया था।

10.6 सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम

सेवा कालीन शिक्षा कार्यक्रमों की कमियों और उनमें सुधार के लिए उपाय और साधनों पर चर्चा के लिए, क्षेत्रीय महाविद्यालय, अजमेर द्वारा उत्तरी क्षेत्र के प्रसार सेवा केन्द्रों के अवैतनिक निदेशकों का तीन दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें इन केन्द्रों के, कुछ समन्वयकर्ताओं और राज्य शिक्षा संस्थान के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था।

10.7 विद्यालय कार्यक्रमों का पूर्ण सुधार

जून, 1969 में, विद्यालय कार्यक्रमों में पूर्ण सुधार चर्चा करने के लिए, क्षेत्रीय महाविद्यालय, अजमेर द्वारा अजमेर जिले के चुने हुए प्रधानाध्यापकों का एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में प्रधानाध्यापकों ने अपनी संस्थान संबंधी योजनाओं को भी तैयार किया और उनका विवेचन किया।

10.8 सहयोगी विद्यालयों के अध्यापकों के लिए विविध विद्यालय-विषयों की कर्मशालाएँ

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर ने, अपने 63 सहयोगी शिक्षण विद्यालयो में कार्य कर रहे अध्यापकों के लाभ के के लिए, विविध स्कूल विषयों जैसे अंग्रेजी, हिन्दी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, वाणिज्य और गणित की विविध कर्मशालाओं का आयोजन किया। इन प्रयोजनशालाओं में विषय वस्तु और शिक्षण पद्धतियों दोनों पर चर्चा की गई।

10.9 उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों और कृषि पर्यवेक्षकों के लिए कर्मशालाएँ

इस वर्ष, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर ने उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों और कृषि पर्यवेक्षकों के लिए दो कर्मशालाओं का आयोजन किया। इन प्रयोगशालाओं में कृषिकला, पशुपालन और उर्वरकों के नए विकासों के शिक्षण पर विशेष बल दिया गया।

10.10 विद्यालय पुस्तकालय के वृत्तिमूलक उपयोग में सुधार

क्षेत्रीय महाविद्यालय, अजमेर द्वारा 'विद्यालय पुस्तकालय के वृत्तिमूलक उपयोग' नामक परियोजना का कार्य इस वर्ष में भी चालू रखा गया। इस परियोजना में आठ विद्यालयों ने भाग लिया। पुस्तकसूची कार्डों और बच्चों को अधिक पुस्तकें और पत्रिकाओं के पढ़ने में अभिप्रेरित करने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन— इस परियोजना की विशेषताएँ थी।

10.11 गणित शिक्षण पर कर्मशालाएँ

क्षेत्रीय महाविद्यालय. अजमेर ने गणित शिक्षण की तीन कर्मशालाओं का आयोजन किया। इन कर्मशालाओं में इस विषय के क्रमबद्ध अनुदेशन की कुछ सामग्री तैयार की गई।

10.12 सामाजिक अध्ययन के अध्यापकों के लिए कर्मशाला

विद्यार्थियों में राष्ट्रीय और भावात्मक एकीकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय महाविद्यालय अजमेर द्वारा सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए एक कर्मशाला का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास में सहायता करने के लिए उपाय और साधनों का सहभागियों द्वारा निर्धारण किया गया। सहभागियों द्वारा इस विषय से संबंधित कुछ शिक्षण उपकरणों का निर्माण और उपयोग किया गया।

10.13 संस्थानिक योजना पर विचार गोष्ठी

क्षेत्रीय महाविद्यालय, भोपाल द्वारा, पंचमढ़ी में 27 से 30 मई, 1969 तक जबलपुर प्रभाग के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए संस्थानिक योजना पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सहभागियों को संस्थानिक योजनाओं की निर्माण तकनीकों से परिचित कराया गया।

10.14 अंग्रेजी के पद्धति अधिस्नातकों के लिए विचार गोष्ठी

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भोपाल द्वारा वी० सी० जे० शिक्षा कालेज, कैम्बे में 25 से 28 अगस्त, 1069 तक अंग्रेजी के पद्धति अधिस्नातकों के लिए एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया। गुजरात राज्य से उन्नीस पद्धति अधिस्नातकों ने विचारगोष्ठी में भाग लिया। अंग्रेजी का पाठ्यक्रम तथा शिक्षण तकनीकें चर्चा के मुख्य विषय थे।

10.15 कामर्स के अध्यापकों की वर्कशाप

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भोपाल द्वारा सितंबर, 1969 में बेतुल में कामर्स के अध्यापकों के लिए एक वर्कशाप का आयोजन किया गया था। भाग लेने वाले अध्यापकों ने उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए बुक कीपिंग तथा लेखांकन में वस्तु-पूरक किस्म के परीक्षण तैयार किए।

10.16 हिन्दी के पद्धति अधिस्नातकों के लिए विचार-गोष्ठी

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भोपाल द्वारा सितंबर 1969 में हिन्दी के पद्धति अधिस्नातकों के लिए एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया। विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों से पंद्रह व्यक्तियों ने भाग लिया।

10.17 गणित अध्यापकों का सम्मेलन

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज द्वारा 7 अक्तूबर, 1969 को गणित अध्यापकों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सदस्यों ने इस विषय में शिक्षण विषय-वस्तु तथा पद्धतियों में सुधार के संबंध में विचार-विमर्श किया।

10.18 सहयोगी स्कूलों का सम्मेलन

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भोपाल के सहयोगी स्कूलों के अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों का एक सम्मेलन 14 से 16 नवंबर 1969 तक हुआ। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सहयोगी अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों की इंटर्नशिप कार्यक्रम में भूमिका और उसे सुदृढ़ करने के तरीकों पर विचार-विमर्श करना था।

10.19 ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम पर्यवेक्षकों का सम्मेलन

महाराष्ट्र राज्य के ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम पर्यवेक्षकों में एक सम्मेलन का का आयोजन, 3 तथा 4 अक्तूबर, 1969 को क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भोपाल द्वारा नागपुर में किया गया था। सम्मेलन में चौंतिस पर्यक्षकों ने भाग लिया। इस संमेलन में ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम के छात्रों द्वारा पूरे किए जाने वाले व्यावहारिक कार्यों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा, ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम पर्यवेक्षकों द्वारा शिक्षण के मूल्यांकन के सामान्य स्तर के विकास का प्रयत्न भी किया गया था।

10·20 शारीरिक शिक्षा पर विचार-गोष्ठी

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भोपाल द्वारा फरवरी 1970 में शारीरिक शिक्षा पर तीन-दिवसीय एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया। उंतीस व्यक्तियों ने विचार-गोष्ठी में भाग लिया।

10·21. व्यापक स्कूल सुधार परियोजना

यह परियोजना राजकीय शिक्षा कालेज, भोपाल के सहयोग से जुलाई 1969 में शुरू की गई थी। इस परियोजना के लिए बारह स्कूलों का चयन किया गया था—छ: का क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भोपाल द्वारा और छ: का राजकीय शिक्षा कालेज भोपाल द्वारा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में चुने हुए क्षेत्रों में गुणात्मक सुधार लाना है। न्यूटन का गति का सिद्धांत, पत्तियाँ, अंक प्रणाली, विद्युतीय सैल आदि जैसे विषयों पर शैक्षणिक फिल्म स्ट्रिप भी तैयार की गई।

10·22 **पत्राचार पाठ्यक्रमों में पर्यवेक्षकों और सहयोगी अध्यापकों के लिए विचार-गोष्ठियाँ**

मैसूर में पत्राचार पाठ्यक्रमों में उन स्थानीय पर्यवेक्षकों और यहयोगी अध्यापकों को क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर द्वारा विभिन्न केन्द्रों में तीन दिवसीय सात विचार-गोष्ठियों के क्रम के माध्यम से दिशामान प्रदान किया गया था, जो प्रशिक्षार्थियों के व्यावहारिक कार्य का मार्गदर्शन और मूल्यांकन करते हैं ।

10·23 **मदुरै विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रशिक्षण कालेजों में आध्यापकों के लिए विचार-गोष्ठी**

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज मैसूर द्वारा अप्रैल 4 से 11, 1970 तक मदुरै विश्वविद्यालय से संबद्ध अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों के प्रधानाचार्यों तथा प्राध्यापकों के लिए अध्यापक शिक्षा के सुधार पर एक सात-दिवसीय विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया । बत्तीस सदस्यों ने विचार-गोष्ठी में भाग लिया ।

10·24 **बी०एड० परीक्षाओं के सुधार के संबध में वर्कशाप**

कर्नाटक, मद्रास, केरल तथा कालीकट विश्वविद्यालययों के भावी पेपर सैटरों के लिए क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर द्वारा बी० एड० परीक्षा के सुधार के संबंध में दो बर्कशापों का आयोजन किया गया था । इन वर्कशापों में नमूने के तौर पर वस्तु मूलक प्रश्न-पत्र तैयार किए गए थे ।

10·25 **छात्र शिक्षण में सुधार**

मणिपाल शिक्षा कालेज, राष्ट्रीय शिक्षा कालेज, शिमोगा के सहयोगी स्कूलों के अध्यापकों तथा ग्रीष्मकालीन स्कूल एवं पत्राचार पाठ्यक्रम के स्थानीय पर्यवेक्षकों के लिए क्षेत्रीय शिक्षा कालेज मैसूर द्वारा छात्र शिक्षण में सुधार के लिए दस तीन दिवसीय कार्यक्रम पूरे किए गए थे ।

10·26 **भाषा अध्यापकों के लिए कार्यक्रम**

आलोच्य वर्ष में क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर द्वारा अध्यापन प्रशिक्षण कालेजों के अंग्रेजी के प्राध्यापकों के लिए भाषा शिक्षण के दो कार्यक्रम पूरे किए गए थे— एक मातृभाषा के अध्यापकों के लिए और दूसरा व्यावहारिक भाषा-विज्ञान पर । व्यावहारिक भाषा-विज्ञान के कार्यक्रम का निर्देशन केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान, हैदराबाद के डॉ० एस० के० वर्मा द्वारा किया गया था ।

10·27 **शारीरिक शिक्षा पर वर्कशाप**

मार्च 1970 में क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर द्वारा उस क्षेत्र के अध्यापन प्रशिक्षण कालेजों के शारीरिक शिक्षा प्राध्यापकों के लिए एक वर्कशाप का आयोजन किया गया ।

10·28 **मैसूर राज्य के विज्ञान अध्यापकों के लिए अध्ययन मंडल**

वर्ष में क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर द्वारा मैसूर राज्य के विज्ञान अध्यापकों

के लिए एक स्टडी सर्किल का आयोजन किया गया। इस स्टडी सर्किल की पाँच अवसरों पर बैठकें हुईं जिसमें "परमाणु तथा अणु की आधुनिक संकल्पनाओं" के शिक्षण पर विचार-विमर्श किया गया। इस विषय पर शैक्षणिक सामग्री और एक फिल्मस्ट्रिप तैयार करने की भी योजना बनाई गई।

10·29 **तमिल शिक्षण पर विचार-गोष्ठी**

मैसूर राज्य के स्कूल के तमिल शिक्षक मई 1969 मे पहली बार क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर में तमिल शिक्षण पर विचार-गोष्ठी के लिए सम्मिलित हुए।

10·30 **क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर के छात्रों का व्यावसायिक-विकास**

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर के स्कूलों में कार्य कर रहे छात्रों के लिए अक्तूबर 1969 में "अंग्रेजी शिक्षण में नई दिशाएँ', पर एक पाँचदिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा, जनवरी 1970 में क्षेत्रीय कालेज में, बड़ी संख्या में छात्रों के एक दिवसीय सम्मेलन के बाद चुने हुए छात्रों के लिए "शिक्षा में नेतृत्व" पर एक पाँच दिवसीय वर्कशाप का भी आयोजन किया। अपने स्कूलों में छात्रों के सामने आने वाली अनेक शैक्षिक तथा प्रशासनिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और उनके समाधान सुझाए गए।

11· प्रयोगात्मक परियोजाओं पर वर्कशाप

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर ने इस क्षेत्र में अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों के साधन-कर्मचारियों के लिए एक पाँचदिवसीय वर्कशाप का आयोजन किया। वर्कशाप में प्रयोगात्मक नमूने और कार्य अनुसंधान रूपांकन तैयार किए गए।

12· **विविध**

पूर्वोक्त पैराग्राफों में उल्लिखित कार्यक्रमों के अलावा प्रतिवेदन वर्ष में परिषद् ने अनेक अवसरों पर अपने अधिकारियों को परामर्शदाता/साधन व्यक्तियों के रूप में कार्य करने के लिए और जिन क्षेत्रों में परिषद् की रुचि होती है उनमें कार्य कार्य कर रहे राज्य शिक्षा विभागों तथा अन्य अभिकरणों की सहायता में लिए प्रतिनियुक्त किया। परिषद् के अधिकारियों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/बैठकों में विचार-विनिमय तथा अनुभवों के लिए भी भाग लिया।

परिशिष्ट-12

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सहयोग

(1969-70)

चूंकि विद्यालय शिक्षा एक राज्यविषय है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के कार्यों की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि परिषद् और राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के बीच निकट सूत्रता किस सीमा तक है। परिणामत: राज्यों से वास्तविक और प्रभावकारी एक सूत्रता के लिए बहुमुखी प्रयत्न किया गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधों और व्यक्तिगत स्तर पर चर्चाओं के फलस्वरूप प्रतिवेदन वर्ष में, विशेषत: उत्तरार्ध में राज्यों और संघ क्षेत्रों के साथ अत्यधिक निकट सूत्रता स्थापित करना संभव हुआ। 1969-70 में किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण नीचे लिखे अनुसार है।

1 विज्ञान-शिक्षण के पाठयक्रम और पाठ्यपुस्तकों में सुधार

कुछ राज्यों ने 'परिषद्' के कार्यक्रमों के आधार पर अपने स्वयं के विज्ञान पाठ्यक्रम के सुधार एवं विकास के लिए परियोजनाओं का स्वतंत्र रूप से समारंभ किया है। इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित राज्यों/संघ क्षेत्रों को उनकी परियोजनाओं में विशेष सहायता प्रदान की गई।

आंध्र प्रदेश

संशोधित राज्य पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान की परिषद् की पाठ्यपुस्तकों को अनुकूलन करने के कार्य में राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को सहायता देने के लिए तीन साप्ताहिक-अवधि की बैठकों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त अनुकूलित पाठ्यपुस्तकों के तेलुगु में मुद्रण के लिए राज्य सरकार को ब्लाकों और चित्रों की भी व्यवस्था की गई।

केरल

केरल ने विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों के लिए विज्ञान के पाठ्यक्रम को पूर्णत: संशोधित करने का कार्य शुरू किया है। शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों तथा परिषद् के बीच बैठकों की माला द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक तथा हाई स्कूल के विज्ञान-पाठक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और सामग्री के अनुकूलित रूपांतर को विकसित करने में राज्य सरकार को सहायता प्रदान की गई।

मैसूर

मिडिल और हाईस्कूल स्तरों के वर्तमान वैज्ञानिक कार्यक्रमों को संशोधित तथा विकसित करने के कार्य में विज्ञान शिक्षा के राज्य संस्थान की परिषद् के साधकों ने सहायता की।

दिल्ली

दिल्ली के स्कूलों को कक्षा VIII के उपयोग के लिए 'परिषद्' की पाठ्य-पुस्तकों के अनुकूलित रूपांतर तैयार करने के लिए विज्ञान व गणित की पाठ्य-पुस्तकों के भाग III को संशोधित करने में सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, दिल्ली के विज्ञान अध्यापकों के लिए कुछ अभिस्थापन कार्यक्रमों में भी परिषद् के साधकों ने सहायता की।

मणिपुर

मिडिल स्कूल स्तर के लिए परिषद् की विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के उद्देश्य, अंतर्विषय और पद्धति में अभिस्थापन के लिए संघ क्षेत्र मणिपुर के विज्ञान अध्यापकों के लिए एक माह के रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया।

२. भाषा और सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में सुधार

आंध्र प्रदेश

कक्षा I से V तक के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिए एक कार्यक्रम को पूर्ण बनाने में परिषद् ने राज्य सरकार की सहायता की।

बिहार

बिहार सरकार ने परिषद् द्वारा तैयार की गई प्राथमिक कक्षाओं के लिए सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों को पहले ही ग्रहण कर लिया है। मिडिल स्कूल स्तर की इस विषय की परिषद् की पाठ्यपुस्तकों के अनुकूलन में राज्य सरकार की सहायता की है।

प्रतिवेदन वर्ष में, हायर सेकेण्डरी कक्षाओं के लिए अपनी पाठ्यपुस्तकों को अनुकूलन में बिहार स्टेट टैक्स्ट बुक कारपोरेशन लिमिटेड का परिषद् द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन भी किया गया।

हरियाणा

कक्षा I से VI तक के लिए परिषद् द्वारा उत्पादित सामाजिक विज्ञान पाठ्य-पुस्तकें ग्रहण करने का निर्णय किया है। राज्य सरकार को कक्षा III के लिए 'हमारा हरियाणा' नामक सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक तैयार करने में मदद दी गई।

मैसूर

परिषद् ने राज्य सरकार को प्रदेश के हिन्दी पाठ्यक्रम के विकास करने में आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया।

राजस्थान

राज्य सरकार को अपनी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, हिन्दी प्राइमर और हिन्दी में दो अन्य पुस्तकें तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

अंडमान और निकोबार द्वीप समुह के संघ क्षेत्र ने परिषद् की सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों को कक्षा I से V तक के लिए ग्रहण किया। प्रतिवेदन वर्ष में 'हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप' नामक पुस्तक तैयार करने में आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

विविध राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा 1969-70 के लिए परिषद् की पाठ्यपुस्तकों के ग्रहणन, अनुकूलन का पूरा चित्र परिशिष्ट 4 के अनुबंध 4 में दिया गया है।

3. सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों के विद्यालय पाठ्यक्रम का संशोधन

मैसूर

मैसूर राज्य के पचास मुख्य/प्रतिनिधि व्यक्तियों को राज्य शिक्षा विभाग के सहयोग में परिषद् के अधिकारियों द्वारा कक्षा I से VII तक के लिए सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों के उनके विद्यालय पाठ्यक्रम में संशोधन करने के कार्य में अभिस्थापन प्रदान किया गया।

4. सामाजिक अध्ययन के सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संशोधन

दिल्ली

दिल्ली प्रशासन को समाजिक अध्ययन के सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संशोधन में आवश्यक सहायता प्रदान की गई।

5. अंग्रेजी शिक्षण में सुधार

हिमाचल प्रदेश

परिषद् की भाषा प्रयोगशाला में 40 पाठों की प्रतिलिपियाँ बना कर, प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापकों के उपयोग के लिए राजकीय बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय, सोलन (हिमाचल प्रदेश) को भेजी गईं।

दिल्ली

राज्य शिक्षा संस्थान को अंग्रेजी के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आयोजन में सहायता प्रदान की गई, जो दिल्ली के स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षण के विकास के लिए अभिस्थापन कार्यक्रमों में साधकों के रूप में कार्य कर सकें।

6. श्रव्य-दृश्य शिक्षा का अभिस्थापन

राजस्थान

श्रव्य-दृश्य शिक्षा एकक, अजमेर को, राजस्थान के चालीस अध्यापकों के लिए श्रव्य-दृश्य शिक्षा में एक छः सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने में परिषद् के अधिकारियों द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया।

7. राज्य स्तर पाठ्यपुस्तक निर्माण कार्यक्रम में मार्गदर्शन

राजस्थान

पाठ्यपुस्तक के राष्ट्रीयकृत बोर्ड, राजस्थान को, कक्षा I से VII तक के लिए मातृभाषा (हिन्दी) में पाठ्यपुस्तकें तैयार करने में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस वर्ष कक्षा I और II की पाठ्यपुस्तकों को अंतिम रूप दिया गया।

8. परीक्षा सुधार कार्यक्रम

असम

भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित विषयों के साधकों को परिषद् के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित किया गया और इन साधकों द्वारा अध्यापकों के अभिस्थापन के लिए बहुमुखी/व्यापक कार्यक्रम विकसित किया गया। इसके अतिरिक्त भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षाओं के परिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

राजस्थान

परिषद् के अधिकारियों द्वारा भाषा और विज्ञान के साधकों को अभिस्थापन प्रदान किया गया। गृहविज्ञान और वाणिज्य के नमूना प्रश्नपत्रों की विशेष पुस्तिकाएँ तैयार करने में परिषद् द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इन पुस्तिकाओं को विद्यालयों में परिचालन के लिए प्रकाशित कराया गया।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल के एंग्लो-इंडियन स्कूलों के निरीक्षणालय ने 'परिषद्' के सहयोग में विद्यालय मूल्यांकन के विकास कार्यक्रम का अभियान किया है। इस कार्यक्रम में सामान्य और लिखित, मौखिक और व्यावहारिक परीक्षाओं सहित स्कूलवार आंतरिक मूल्यांकन पर विचार करना है। यह योजना बनाई गई है कि इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कुछ विद्यालय-समूहों के द्वारा किया जाए जो उन्नत आधार पर अपनी स्वयं की परीक्षाओं को विकसित कर रहे हैं। इस संबंध में परिषद् के अधिकारियों

द्वारा उपयुक्त निरीक्षणालय के माध्यम से इन विद्यालयों को तकनीकी मार्ग दर्शन प्रदान किया गया।

दिल्ली

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के व्यावहारिक परीक्षाओं के परीक्षकों को भौतिकी, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान विषयों में प्रशिक्षित किया गया।

1969-70 में विभिन्न राज्यों, संघ क्षेत्रों में परीक्षा सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में की गई प्रगति विवरण परिशिष्ट '6' में देखा जा सकता है।

परिशिष्ट-13

स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

शिक्षा कार्य में लीन स्वयंसेवी संगठनों की सहायता की योजना, निम्न प्रकार की क्रियाओं के संचालन के लिए उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी।

(1) प्रयोगात्मक अथवा शैक्षिक महत्त्व की प्रकृति की परियोजनाएँ।

(2) प्रयोगशालाओं; पुस्तकालयों और श्रव्य-दृश्य उपकरण।

(3) शैक्षणिक साहित्य का उत्पादन।

(4) शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन।

(5) समाज कल्याण कार्य के प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम।

(6) रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, विचार गोष्ठियाँ, कर्मशालाएँ और सम्मेलन, आदि, और

(7) शैक्षिक प्रदर्शनियाँ।

1969-70 में विविध स्वयंसेवी संगठनों को प्रदत्त आर्थिक सहायता संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

स्वयंसेवी संगठन का नाम	रकम (रु० में)
1. आल इंडिया फेडरेशन आफ एजूकेशनल एसोसिएशन, नई दिल्ली	2,000
2. नेशनल पेरेंट टीचर एसोसिएशन, नई दिल्ली	5,000
3. कलकत्ता विश्वविद्यालय	5,000
4. एसोसिएशन आफ मैथेमैटिक्स टीचर्स आफ इंडिया, (मद्रास)	3,000
5. एसोसिएशन आफ ज्योग्राफी टीचर्स आफ इंडिया, (मद्रास)	4,000
6. इंडियन एसोसिएशन आफ प्रोग्राम्ड लर्निंग	6,500
7. साइंस फॉर चिल्ड्रेन, कलकत्ता	6,000
8. एसोसिएशन फॉर दि प्रोमोशन आफ साइंसएज्यूकेशन	3,000
9. सेक्रेटरी, आल इंडिया साइंस टीचर्स एसोशिएसन	6,400
10. इंडियन एसोसिएशन फॉर प्रि-स्कूल एज्यूकेशन	2,250
11. इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर-एज्यूकेटर्स, रीजनल कालेज आफ एज्यूकेशन, भोपाल	4,200
12. अध्यक्ष बंगीय विज्ञान परिषद्, कलकत्ता	2,000
13. इंडियन एसोसिएशन फॉर एक्सट्रा करीक्यूलर साइंटीफिक एक्टिविटीज, कलकत्ता	2,500
14. मैसूर स्टेट एज्यूकेशन फेडरेशन, बंगलौर	5,000
15. इंडियन एसोसिएशन आफ टीचर एज्यूकेटर्स, रीजनल कालेज आफ एज्यूकेशन, भोपाल	2,500
1969-70 में मंजूर की गई कुल रकम	59,350
1969-70 के लिए व्यवस्था	60,000

परिशिष्ट-14

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के बोर्ड, अध्ययन अथवा कार्य चालन समूह 1969-70

परिषद्, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के कार्य के साथ सक्रिय रूप से संबद्ध है और निम्नलिखित विवरण से, वर्ष के दौरान ऐसे सभी कार्यों में परिषद् द्वारा भाग लिया जाना प्रकट होता है।

1. स्कूल पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीय बोर्ड

केंद्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों ही उपयुक्त शैक्षणिक सामग्री शिक्षार्थी के हाथों तक पहुँचने की समस्या पर विचार कर रही हैं।

राष्ट्रीय एकीकरण समिति ने अपनी श्रीनगर में जून, 1968 मे हुई सभा में विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता की भावना को पैदा करने के प्रयोजन के लिए पाठ्य-पुस्तकों को अत्यधिक महत्त्व दिया। तदनुसार, भारत सरकार ने अपने दिनांक 31 दिसंबर, 1968 के प्रस्ताव द्वारा विद्यालय पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की जिसका उद्देश्य पाठ्यपुस्तकों का उत्पादन और विकास करने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य संगठनों के कार्यों में समन्वय और मार्गदर्शन करना था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को बोर्ड की समस्याओं के विवेचन में आवश्यक शैक्षिक सेवाएँ और साथ ही लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में पाठ्यपुस्तकों की छानबीन, अनुमोदन और उत्पादन में लगे हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया। परिणामतः, परिषद् की पुनर्गठित व्यवस्था के अंतर्गत जून, 1969 में परिषद् में एक नए पाठ्यक्रम विभाग की रचना की गई। पाठ्यपुस्तक विभाग को अन्य बातों के साथ, विद्यालय पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीय बोर्ड के शैक्षिक सचिवालय के रूप में कार्य करना है, और बोर्डों के संयुक्त सचिव पदेन इस विभाग के अध्यक्ष हैं।

अप्रैल, 1969 में विद्यालय पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीय बोर्ड की प्रथम बैठक हुई। इस बैठक में व्यापक महत्त्व वाले 26 प्रस्ताव पारित हुए। वास्तव में इनमें से 11 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को परवर्ती कार्यवाही के लिए प्रत्यक्षतः सौंपे गए।

2. राष्ट्रीय प्रौढ़-शिक्षा बोर्ड

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) पर सरकारी प्रस्तावों में श्राम निरक्षरता के निस्तारण की आवश्यकता पर जोर दिया गया। 1965 में पूना में निरक्षरता निस्तारण पर हुए राष्ट्रीय सम्मेलन ने, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के परिवर्तन, मार्गदर्शन और मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा वोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया। शिक्षा आयोग (1964-66) ने भी इस सुझाव का समर्थन किया। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपने दिनांक 5 दिसंबर, 1969 के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा वोर्ड की स्थापना की। प्रस्ताव में, अन्य बातों के साथ, यह कहा गया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का प्रौढ़ शिक्षा विभाग बोर्ड को आवश्यक सचिवालय तथा शैक्षणिक सेवाएँ प्रदान करेगा। प्रो० एस० वी० सी० अय्या, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, वोर्ड के सदस्यों में से एक हैं।

प्रौढ़ शिक्षा विभाग ने, मई, 1970 में हुई बोर्ड की बैठक के लिए कार्यक्रम पत्रों को तैयार किया।

3. जनसंख्या शिक्षा पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठियाँ

परिषद् के अधिकारियों ने जनसंख्या शिक्षा की दो राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों में भाग लिया, जिनमें से एक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो और दूसरी सामाजिक विकास समिति द्वारा आयोजित की गई थी।

4. मार्गदर्शी परियोजनाओं पर अध्ययन दल

शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय ने शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शी परियोजनाओं के संचालन के लिए एक अध्ययन दल की स्थापना की। परिषद् के सदस्यों ने, बालिका शिक्षा, अंशकालिक और अविच्छिन्न शिक्षा, संस्थानिक योजना, अपव्यय और कार्यशिथिलता, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जन-जातियों की शिक्षा, शिक्षा का व्यवसायीकरण, विद्यालय समस्याएँ और वृत्तिमूलक साक्षारता के क्षेत्रों में मार्गदर्शी परियोजनाओं के स्पष्टीकरण/क्रियान्वयन में शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के साथ सहयोग किया।

5. स्वयंसेवी संगठनों की सहायता पर कार्य-दल

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों की सहायता की योजनाओं की जाँच करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक कार्य-दल की स्थापना की। इस दल को परिषद् के प्रौढ़ शिक्षा विभाग द्वारा सेवाएँ प्रदान की गईं। इस वर्ष शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय को इस दल ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत की।

6. पर्यवेक्षण और निरीक्षण पर अध्ययन दल

बंगलौर में 28-30 मई, 1969 को हुए जन अनुदेशन के निदेशकों/शिक्षा निदेशकों के सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ एक अध्ययन दल की स्थापना की सिफारिश की जो वर्तमान स्थिति का अध्ययन करे और देश में निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के सुधार के लिए उपायों का सुझाव दे। तदनुसार, जुलाई, 1969 में शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के तत्वावधान में एक अध्ययन दल की स्थापना की। अध्ययन दल की रिपोर्ट पूर्ण की गई, मुद्रित की गई और नवंबर, 1969 में प्रकाशित की गई।

7. शिफ्ट प्रथा पर अध्ययन दल

शिक्षा मंत्रालय ने केरल में शिफ्ट प्रथा का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल की स्थापना की जिसका उद्देश्य इस प्रथा को अन्य राज्यों में किस सीमा तक संचालित किया जा सकता है, का पता लगाना था। दल को परिषद् के अधिकारियों की सेवाएँ सुलभ की गईं और इसने केरल में शिफ्ट प्रथा का तत्स्थानी अध्ययन किया। दल ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे सभी सदस्यों में प्रचारित किया गया।

परिशिष्ट-15

प्रकीर्ण

परिषद् को 'यूनेस्को', 'यूनिसेफ' अमेरिकी सरकार तथा ब्रिटेन की सरकार द्वारा सहायता मिलती रही। परिषद् के बहुत से कर्मचारी प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य के रूप में अथवा सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अथवा अध्ययन के लिए विस्तारित समयावधि के लिए विदेश गए। कुछ विदेशी विशेषज्ञों द्वारा परिषद् तथा इसकी संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इन सब क्रियाओं का विवरण नीचे लिखे अनुसार है।

1. अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों से प्राप्त उपकरण

1.1 'यूनेस्को-यूनिसेफ—सहायता प्राप्त माध्यमिक विज्ञान शिक्षण परियोजना के अंतर्गत विज्ञान उपकरण के 17 सेटों की, जिनमें प्रत्येक में 460 मद हैं, सुपुर्दगी शुरू हुई। अदायगी पूर्ण होने पर, ये सेट, विविध राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थानों को भेजे जाएँगे। 'यूनिसेफ'—सहायता प्राप्त मार्गदर्शी परियोजनाओं के अंतर्गत, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थानों, राज्य शिक्षा संस्थानों, चुने हुए पूर्व-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए, उपकरणों के 79 सेट प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई।

1·2 यूनेस्को-यू० एन० डी० पी०—सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत केन्द्रीय प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों और बहु उद्देश्यीय केन्द्रों के लिए, 1969-70 में यूनेस्को द्वारा उपकरण सहायता जारी रखी गई।

1.3 इस वर्ष, रूसी व्यापार प्रतिनिधि मंडल से 1500 रूसी फिल्मस्ट्रिप प्रोजेक्टर प्राप्त किए गए। कोलंबो सहायता निधि के अंतर्गत, ब्रिटेन से भी कुछ विज्ञान संबंधी फिल्में प्राप्त की गईं।

2. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा उच्च प्रशिक्षण छात्रवृत्ति कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए परिषद् के अधिकारियों का विदेश गमन

2.1 राष्ट्र मंडल छात्रवृत्ति तथा शोधवृत्ति योजना के अंतर्गत, आस्ट्रेलिया सरकार के शिक्षा और विज्ञान विभाग के आमंत्रण पर डॉ० शिव के मित्र संयुक्त निदेशक ने, आमंत्रित सदस्य के रूप में 7 अप्रेल, 1969 से एक माह के लिए आस्ट्रेलिया का दौरा किया।

2.2 डॉ० आर० एच० दवे, अध्यक्ष, पाठ्यपुस्तक विभाग, 4-10-1969 से 11-10-1969 तक, एशियन रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल बिल्डिंग रिसर्च, लंका

(यूनेस्को प्रवर्तित) द्वारा आयोजित "शैक्षिक विकास और इसका विद्यालय भवनों पर प्रभाव" के उप-प्रादेशिक विचार गोष्ठी में परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए कोलंबो प्रतिनियुक्ति पर गए।

डॉ० दवे को 28-8-1969 से 13-9-1969 तक के लिए प्रतिनियुक्ति पर टोकियो में यूनेस्को की सहायता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, जापान द्वारा आयोजित एशिया में विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याओं पर तृतीय शैक्षिक अनुसंधान कर्मशाला में सम्मिलित हुए।

2.3 डॉ० एम० सी० पंत, अध्यक्ष, विज्ञान शिक्षा विभाग को इस वर्ष पेरिस में यूनेस्को द्वारा आयोजित समेकित विज्ञान के शिक्षण सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा गया।

2.4 यूनेस्को-यूनिसेफ माध्यमिक विज्ञान शिक्षण परियोजना के अंतर्गत, विज्ञान शिक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया :

डॉ० एम० सी० पंत	रूस में तीन माह और ब्रिटेन में तीन सप्ताह
डॉ० आर० सी० शर्मा	रूस में छः माह
डॉ० बी० डी० आत्रेय	—यथोपरि—
श्री एस० पी० शर्मा	रूस में छः माह
श्री एस० मुरली कृष्ण	—यथोपरि—
श्री मोहिन्दर सिंह	रूस में तीन माह

2.5 श्री राजेन्द्र प्रसाद, रीडर, विज्ञान शिक्षा विभाग ने, यूनेस्को प्रवर्तित कार्यक्रमों के अंतर्गत 16-9-69 से 19-9-69 तक और 29-9-1969 से 4-10-1969 तक क्रमशः पेरिस और लंदन की यात्रा की। 'यूसेद' कार्यक्रम के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान शाला के कार्य का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको 6-10-1969 से 6-1-70 तक के लिए अमेरिका भी भेजा गया। राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा परिषद् द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रमों के अंतर्गत श्री राजेन्द्र प्रसाद ने 8-1-1970 से 16-1-1970 तक टोकियो तथा बैंगकाक की भी यात्रा की।

2.6 श्री आर० सी० सक्सेना, रीडर, विज्ञान शिक्षा विभाग को 'यूनेस्को' की सहायता से, नेशनल इंस्टीट्यूट, ऑफ एजूकेशन रीसर्च, यूनेस्का, जापान द्वारा आयोजित एशिया में विद्यालय शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर तृतीय शैक्षिक अनुसंधान कर्मशाला में भाग लेने के लिए भेजा गया।

2.7 श्री एस० एल० अहलुवालिया, अध्यक्ष, शिक्षा उपकरण विभाग ने 4-5-1969 से 15-5-1969 तक "शैक्षिक-दूरदर्शन" पर विचार गोष्ठी में भाग लेने के लिए मनीला की यात्रा की।

2.8 श्री सी० के० बाजपेयी, अनुदेशक, श्रव्य-दृश्य सेवा, शिक्षण उपकरण विभाग, को 5-2-1968 को यूनेस्को कार्यक्रम के अंतर्गत नेशनल टीचर ट्रेनिंग कालेज,

लागोस (नाइजीरिया) में शिक्षण उपकरण विशेषज्ञ के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था, उन्हें 1969-70 के दौरान भी प्रतिनियुक्ति पर बने रहने दिया गया।

2.9 डॉ० सी० एच० के० मिश्रा, रीडर, शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा-आधार विभाग, जापनीज नेशनल कमीशन के सहयोग से 'यूनेस्को' प्रवर्तित क्रमबद्ध अनुदेशन पर विचार गोष्ठी, टोकियो और ओसाका में 12-2-1970 से 14-3-1970 में भाग लेने के लिए भेजे गए।

2.10 मूल्यांकन और मूल्यांकन उपलब्धियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन उपलब्धि परियोजना के संबंध में राष्ट्रीय तकनीकी अधिकारियों की संक्षिप्त सभा में भाग लेने के लिए श्रीमती एस० शुक्ला, रीडर, शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा के आधार विभाग ने 10-11-1969 से 15-11-1969 तक के लिए स्वीडन की यात्रा की।

2.11 श्री एस० एल० गोस्वामी, प्राध्यपक, शैक्षिक मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र के आधार विभाग, 1969-70 में भी सिक्किम सरकार के अंतर्गत शिक्षा निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर बने रहे।

2.12 श्री एम० आर० चिलाना, क्षेत्रीय सहायक, पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा विभाग, यूनेस्को शोधवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत, अध्यापक शिक्षकों के लिए एशियाई संस्थान, क्वेजन सिटी, फिलीपाइन्स, में अनुसंधान संचालन के लिए 20-2-1970 से एक साल के लिए फिलिपाइन्स भेजे गए।

2.13 श्री यू० एन० झा, सहायक व्यवसायिक प्रबंधक, परिषद् की प्रकाशन एकक, यूनेस्को द्वारा करांची में आयोजित पुस्तक वितरण के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए 27-10-1969 से 29-11-1969 तक पाकिस्तान भेजे गए।

2.14 डॉ० आर० एन० मेहरोत्रा, रीडर, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली, वर्ष 1969 के लिए भारत-अमेरिकी तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत 31-8-1969 से 4-3-1970 तक के लिए अमेरिका भेजे गए।

2.15 डॉ० (श्रीमती) बी० राजू, रीडर, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली, यूनेस्को में शैक्षिक योजना और प्रशासन के वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में विश्वविद्यालय कालेज, नैरोबी (कीन्या) में प्रतिनियुक्ति पर बनी रहीं।

2.16 श्री एच० ए० गाडे, प्राध्यापक, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली, ने वेनिस में कला-शिक्षा विशेषज्ञों की बैठक में भाग लेने के लिए 18-11-1969 से 21-11-1969 तक इटली की यात्रा की।

2.17 डॉ० (श्रीमती) एस० मुले, रीडर, प्रौढ़ शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, लंदन विश्वविद्यालय के सहयोग में यूनेस्को द्वारा प्रवर्तित वृत्तिमूलक साक्षरता के राष्ट्रीय मूल्यांकन कर्मशाला में भाग लेने के लिए 4-8-1969 से 23-8-1969 तक के लिए ब्रिटेन भेजी गईं।

उन्होंने 28-2-1970 से 1-4-1970 तक साक्षरता कार्यक्रम मूल्यांकन और साक्षरता के लिए साधन के रूप में रेडियो तथा टेलीविज़न के सापेक्ष ग्रहण पर एक अनुसंधान रूपांकन तैयार करने के लिए यूनेस्को विशेषज्ञ के रूप में जमायका की यात्रा भी की।

2.18 क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, अजमेर में रसायनशास्त्र में प्राध्यापक श्री एम० के० गुप्त की, विज्ञान शिक्षण में सुधार के यूनेस्को कार्यक्रम के अधीन सोवियत रूस में प्रतिनियुक्ति की गई थी।

2.19 क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर में विज्ञान के प्राध्यापक सर्वश्री पी० एस० राव तथा पी० आर० राव की, विज्ञान शिक्षण में सुधार के युनेस्को कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च प्रशिक्षण के लिए सोवियत रूस में प्रतिनियुक्ति की गई थी।

2.20 क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर की प्रधानाचार्य कुमारी ए० चारी, जर्मन जनतांत्रिक गणराज्य के अंतर्गत गैस्टर्गो विश्वविद्यालय में अगस्त, 1969 में हुई अध्यापन शिक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय वार्तालाप के लिए भारत सरकार द्वारा भेजे गए भारतीय शिष्टमंडल की सदस्या थीं।

3. परिषद् के वे अधिकारी जो छुट्टी पर और/अथवा विशेष कार्य पर विदेश गए

3.1 सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग में रीडर श्री डी० एन० गैंड को 1-9-1969 से 30-6-1970 तक छुट्टी मंजूर की गई थी और न्यू हैंपशायर एजुकेशन डिपार्टमैंट, अमेरिका के साथ शिक्षण विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई।

3.2 सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग में प्राध्यापक श्री अर्जुनदेव को, ब्रिटेन सरकार द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रमंडल अध्यापक प्रशिक्षण छात्रवृत्ति के अंतर्गत लंदन के शिक्षा संस्थान में पाठ्यपुस्तकें तैयार करने में उच्च अध्ययन करने के लिए 30-9-1669 से 30-6-1970 तक विशेष अवकाश प्रदान किया गया था।

3.3 केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली में प्राध्यापक श्रीमती लतिका राजपाल को शिक्षण कार्य करने के लिए 31-8-68 से 14-7-70 तक अमेरिका जाने के लिए असाधारण छुट्टी मंजूर की गई थी।

3.4 केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली में प्राध्यापक श्री एस० एस० शर्मा को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के विशेष निधि उपादान के अंतर्गत अफगानिस्तान में अध्यापन प्रशिक्षण में विशेषज्ञ के रूप में कार्य सँभालने के लिए 5-2-1970 से 31-7-1971 तक की अवधि के लिए युनेस्को में विदेश सेवा पर स्थानांतरित किया गया था।

3.5 केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली में प्राध्यापक डॉ० (कुमारी) के० बोस, राष्ट्रमंडल अध्यापक प्रशिक्षण छात्रवृत्ति के अंतर्गत शिक्षा संस्थान (एक्सटेटर) ब्रिटेन में उच्च अध्ययन के लिए 4-10-68 से 14-7-69 तक विशेष छुट्टी पर ब्रिटेन गईं।

3.6 केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली में प्राध्यापक श्री बी० बी० अग्रवाल को 15-10-68 से 9-7-69 तक इंपीरियल रिलेशन ट्रस्ट, ब्रिटेन के अंतर्गत लंदन में शिक्षा संस्थान में वृत्ति स्वीकार करने की अनुमति और विशेष छुट्टी प्रदान की गई।

3.7 शिक्षण सहायक उपकरण विभाग मे प्राध्यापक श्री वाई० पी० खन्ना सिनेमा में प्रशिक्षण के लिए फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति के अंतर्गत 4-10-69 को असाधारण छुट्टी पर फ्रांस गए।

3.8 शिक्षण सहायक उपकरण विभाग में रीडर, श्री तिलकराज बावा को अमेरिका में उच्चतर अध्ययन के लिए 16-3-68 से 16-9-70 तक असाधारण छुट्टी मंजूर की गई।

3.9 क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भुवनेश्वर में अंग्रेजी में रीडर श्री बी० के० दास एक वर्ष के लिए भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए छुट्टी पर लंकाशायर विश्वविद्यालय, ब्रिटेन गए।

4. नई दिल्ली में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए परिषद् के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

4.1 विज्ञान शिक्षा विभाग में रीडर, श्री एस० दोरायस्वामी को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति तथा प्राकृतिक साधन संरक्षण संघ की नई दिल्ली में नवंबर, 1969 को हुई दसवीं आमसभा में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

4.2 प्रौढ़ शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉ० टी० ए० कोशी, उसी विभाग में रीडर डॉ० (श्रीमती) एस० मुले, शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा आधार विभाग में रीडर श्री एच० एन० पंडित तथा समाज विज्ञान और मानविकी विभाग में रीडर श्री सी० एल० सपरा को अंतर्राष्ट्रीय विकास सोसाइटी द्वारा नई दिल्ली में नवंबर, 14-17-1969 में आयोजित ग्यारहवें विश्व संमेलन की बैठकों में भाग लेने के लिए नियुक्त किया गया था।

5. परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर विदेशी विशेषज्ञ

5.1 युनेस्को-यूनिसेफ से सहायता प्राप्त माध्यमिक विज्ञान शिक्षण परियोजना के अंतर्गत सात विशेषज्ञ तथा मुख्य तकनीकी सलाहकार वर्ष भर परियोजना की सहायता करते रहे हैं। रसायनशास्त्र विशेषज्ञ, डॉ० वाई० आई० न्यूमोव जुलाई, 1969 में अपना कार्यकाल पूरा कर लेने पर चले गए। भौतिक विज्ञान शिक्षण की पद्धतियों में विशेषज्ञ डॉ० एम० एफ० कल्पीकोव तथा श्रव्य-दृश्य विशेषज्ञ श्री जी० लेटरनी वर्ष के दौरान परियोजना दल में सम्मिलित हुए। इसके अलावा, युनेस्को-यूनिसेफ विशेषज्ञ, श्री ए० डब्ल्यू० टोरी भी प्राथमिक विज्ञान कार्यक्रम में कार्य करते रहे।

5.2 समीक्षाधीन वर्ष से, परिषद् को दिसंबर, 1969 तक एक विशेषज्ञ श्री के० मिलिनकोविक की, यूनेस्को—यू० एन० डी० पी० सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय प्रौढ़ शिक्षा संगठन तथा बहुसंयोजक केंद्रों की विकास परियोजना में सहायता के लिए सेवाएँ मिलीं।

5.3 कोलंबो योजना के अंतर्गत कुमारी एम० पुल्लान ने जीव विज्ञान में अल्पकालीन परामर्शदात्री के रूप में भारत की यात्रा की और रा० शै० अनु० प्रशिक्षण परिषद् के जीव विज्ञान अध्ययन समूहों के साथ कार्य किया।

परिशिष्ट-16

प्रकाशन

अनुसंधान अध्ययन तथा प्रबंध

1. दी रोल आफ दी सैकेंडरी टीचर : ए सोशोलाजीकल सर्वे
2. रिसर्च इन क्लासरूम— ए हैंडबुक फार टीचर्स
3. चाइल्ड डेवेलपमैंट—ए सिम्पोजियम
4. सैकंड नैशनल सर्वे आफ सैकेंडरी टीचर्स इन इंडिया
5. जूडीशियल रिव्यू एंड ऐजूकेशन : ए स्टडी इन ट्रैंड्स
6. दी अचीवमैंट मोटिव इन हाई स्कूल ब्वायज़
7. सैकंड आल इंडिया ऐजूकेशनल सर्वे
8. पोजीशन आँफ हिस्ट्री इन इंडिया
9. पेपर्स इन दी सोशोलाजी आफ ऐजूकेशन इन इंडिया
10. ए स्टडी आफ इंटीग्रेटेड सिलेबी
11. एजूकेशनल इंवेस्टीगेशन इन इंडिया यूनिवर्सिटीज (1939-61)
12. एजूकेशनल वेस्टेज एंड स्टैगनेशन इन इंडिया
13. ए कंपेरिजन आफ दी अटेनमैंट आफ चिल्ड्रन आफ दी सी. आई. ई. बेसिक स्कूल विद दोज आफ अदर स्कूल चिल्ड्रन इन दिल्ली
14. ऐन अचींवमैंट टैस्ट इन इंडियन हिस्ट्री
15. ए स्टडी आफ सम फेक्टर्स रिलेटिड टु स्कोलास्टिक अचीवमैंट
16. रिलेशनशिप बिटवीन दी मैज़र आफ सकसैसिस आफ टीचर्स ऐज़ स्टुडैंटस अंडर ट्रेनिंग एंड ऐज़ टीचर्स इन स्कूल्स
17. ए स्टडी आफ रिटन वोकेबुलरी आफ सिक्स्थ क्लास चिल्ड्रन इन दिल्ली स्कूल्स
18. चिल्ड्रंस रीऐक्शंस टु फ्रस्ट्रेशन
19. ए स्टडी आफ सम प्राइवेट अनरिकगनाइज्ड स्कूल इन दिल्ली
20. दी कंसैप्ट आफ परसनैलिटी इन दी ऐजूकेशनल थाट आफ महात्मा गांधी
21. मैजरमैंट आफ कॉस्ट प्रोडक्टीविटी एंड ऐफीशिएंसी आफ ऐजूकेशन
22. फेसेट्स आफ इंडियन ऐजूकेशन
23. एजूकेशन एंड नैशनल डेवेलपमैंट-रिपोर्ट आफ दी एजूकेशन कमीशन (1964-66) (रिप्रिंट) वाल्यूम-1 :-जनरल प्रौबलम्स

24. एजूकेशन एंड नैशनल डेवेलपमेंट : रिपोर्ट आफ दी एजूकेशन कमीशन (1964-66) (रिप्रिंट) वाल्यूम 2 : स्कूल एजूकेशन
25. करींकुलम एंड टीचिंग आफ मैथेमैटिक्स इन सैकंडरी स्कूल्स
26. सोशोलोजी आफ टीचिंग प्रोफैशन इन इंडिया
27. समरीज आफ एम० एड० रिपोर्ट्स (1952-65)

पाठ्यपुस्तकें

प्राथमिक स्तर

अंग्रेजी

28. लैट्स लर्न इंगलिश * * * : बुक I (स्पैशल सीरीज)

हिन्दी

29. हिन्दी प्राइमर : रानी मदन अमर *
30. हिन्दी रीडर I : चलो पाठशाला चलें *
31. हिन्दी रीडर II : आओ हम पढ़ें *
32. हिन्दी रीडर III : आओ पढ़ें और समझें *
33. हिन्दी रीडर IV : आओ पढ़ें और सीखें *
34. हिन्दी रीडर V : आओ पढ़ें और खोजें *

गणित

35. इनसाइट इंटू मैथेमैटिक्स-बुक I (अंग्रेजी तथा हिन्दी) ** *

साइंस

36. साइंस इज डुइंग (अंग्रेजी तथा हिन्दी) * *

सोशल स्टडीज

37. अवर कंट्री इंडिया—भाग I (अंग्रेजी तथा हिन्दी)
38. अवर कंट्री इंडिया— भाग II (अंग्रेजी तथा हिन्दी)
39. इंडिया एंड दी वर्ल्ड—भाग III (अंग्रेजी तथा हिन्दी)

माध्यमिक स्तर

अंग्रेजी

40. इंगलिश रीडर—बुक I (स्पेशल सीरीज) * * *
41. इंगलिश रीडर—बुक I (जनरल सीरीज) * * *

हिन्दी

42. राष्ट्र भारती—भाग I
43. राष्ट्र भारती—भाग II
44. राष्ट्र भारती—भाग III

साइंस

45. बायोलौजी : साइंस फॉर मिडिल स्कूल्स—भाग I (अंग्रेजी तथा हिन्दी)
46. बायोलौजी : साइंस फॉर मिडिल स्कूल्स—भाग II (अंग्रेजी तथा हिन्दी)
47. बायोलौजी : साइंस फॉर मिडिल स्कूल्स—भाग III (अंग्रेजी तथा हिन्दी)
48. कैमिस्ट्री : साइंस फॉर मिडिल स्कूल्स—भाग I (अंग्रेजी तथा हिन्दी)
49. कैमिस्ट्री : साइंस फॉर मिडिल स्कूल्स—भाग II (अंग्रेजी तथा हिन्दी)
50. फिजिक्स : साइंस फॉर मिडिल स्कूल्स—भाग I (अंग्रेजी तथा हिन्दी)
51. फिजिक्स : साइंस फार मिडिल स्कूल्स—भाग II (अंग्रेजी तथा हिन्दी)
52. फिजिक्स : साइंस फॉर मिडिल स्कूल्स—भाग III (अंग्रेजी तथा हिन्दी)

मैथेमैटिक्स

53. अर्थमैटिक—अल्जबरा : मैथेमैटिक्स फॉर मिडिल स्कूल्स—भाग I (अंग्रेजी तथा हिन्दी)
54. अर्थमैटिक—अल्जबरा : मैथेमैटिक्स फॉर मिडिल स्कूल्स—भाग II (अंग्रेजी तथा हिन्दी)
55. अर्थमैटिक—अल्जबरा : मैथेमैटिक्स फॉर मिडिल स्कूल्स—भाग III (अंग्रेजी तथा हिन्दी)
56. ज्योमैट्री : मैथेमैटिक्स फॉर मिडिल स्कूल्स—भाग I (अंग्रेजी तथा हिन्दी)
57. ज्योमैट्री : मैथेमैटिक्स फॉर मिडिल स्कूल्स—भाग II (अंग्रेजी तथा हिन्दी)
58. ज्योमैट्री : मैथेमैटिक्स फॉर मिडिल स्कूल्स—भाग III (अंग्रेजी तथा

62. मैडीवल इंडिया : ए टेक्स्टबुक आफ हिस्ट्री फॉर मिडिल स्कूल्स (इंगलिश तथा हिन्दी)

सैकेंड्री स्तर

अंग्रेजी

63. इंगलिश रीडर—बुक IV (स्पेशल सीरीज) * *
64. इंलिश रीडर—बुक IV (जनरल सीरीज) * *

हिन्दी

65. काव्य संकलन
66. गद्य संकलन
67. एकांकी संकलन
68. काव्य के अंग
69. कहानी संकलन
70. जीवनी संकलन
71. हिन्दी साहित्य का इतिहास
72. संस्कृतोदयः

विज्ञान

73. फिजिक्स : ए टैक्स्टबुक फॉर सैकेंड्री स्कूल्स—भाग I
74. कैमिस्ट्री : ए टैक्स्टबुक फार सैकेंड्री स्कूल्स—भाग I
75. बायोलौजी : ए टैक्स्टबुक फार सैकंड्री स्कूल्स (सेवन सैक्शन)
76. जनरल साइंस फॉर यू—ए टैक्स्टबुक फार सैकेंड्री स्कूल्स—वाल्यूम I

गणित

77. एल्जबरा : ए टैक्स्टबुक फॉर सैकेंड्री स्लकूस—भाग I (अंग्रेजी तथा हिन्दी)
78. एल्जबरा : ए टैक्स्टबुक फार सैकेंड्री स्कूल्स—भाग II
79. ए फर्स्ट कोर्स इन मॉडर्न एल्जबरा : ए-टैक्स्टबुक फॉर सैकेंड्री स्कूल्स

प्रौद्योगिकी

80. इंजीनियरिंग ड्राइंग : ए टैक्सबुक फॉर टैक्नीकल स्कूल्स
81. एलिमैंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग : ए टैक्स्टबुक फॉर टैक्नीकल स्कूल्स
82. वर्कशाप प्रैक्टिस : ए टैक्स्टबुक फॉर टैक्नीकल स्कूल्स—पार्ट I
83. वर्कशाप प्रैक्टिस : ए टैक्स्टबुक फॉर टैक्नीकल स्कूल्स—पार्ट II
84. रीडिंग ब्लू प्रिंटस एंड स्कैचिंग : ऐन ऐलीमैंट्री टैक्स्टबुक फॉर टैक्नीकल एंड वोकेशनल स्कूल्स

भूगोल

85. प्रेक्टीकल ज्याग्रफी : ए टैक्स्टबुक फॉर सैकेंड्री स्कूल्स
86. इकॉनामिक ज्याग्रफी : ए टैक्स्टबुक फॉर सैकेंड्री स्कूल्स
87. फिजिकल ज्याग्रफी : ए टैक्स्टबुक फॉर सैकेंड्री स्कूल्स

वाणिज्य

88. ऐलिमैंट्स ऑफ बुक-कीपिंग एंड एकाउंटैंसी
89. इकॉनामिक एंड कर्मीशयल ज्योग्रेफी ऑफ इंडिया

सामाजिक अध्ययन

90. सोशल स्टडीज : ए टैक्स्टबुक फॉर हायर सेकेंड्री स्कूल्स—वाल्यूम I

पूरक पठन सामग्री

91. अकबर
92. राजा राममोहन राय
93. लाल बहादुर शास्त्री
94. इंडिया—दी लैंड एंड दी पीपुल
95. बहुरूपी गांधी
96. दि स्टोरी ऑफ माई लाईफ
97. फ्रीडम मूवमैंट इन इंडिया
98. दि फिंगर ऑन दि ल्यूट (महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती की कहानी)
99. दि रोमांस ऑफ टीचिंग (हिन्दी तथा उर्दू)
100. दि रोमांस ऑफ बैंकिंग
101. दि रोमांस ऑफ थिएटर
102. गौतम बुद्ध
103. जीसस क्राईस्ट
104. जरथुष्ट्र
105. मोसिस
106. शंकराचार्य
107. सर सैयद अहमद खाँ
108. राजा राममोहन राय
109. वैपन्स ओल्ड एंड न्यू
110. दि यूनीवर्स
111. दि लाईफ एंड वर्क ऑफ मेघनाद साहा
112. दि लाईफ ऑफ इंसैक्ट्स
113. दि डिस्कवरी ऑफ ओशन
114. नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स ऑफ दि हिमालय
115. दि फेसेज ऑफ़ करेज
116. लीजेंड्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी तथा हिन्दी)

117. दि स्कूल एंड दि कम्युनिटी — ए बुक ऑफ शार्ट स्टोरीज
118. ड्रामा इन स्कूल्स
119. गणित मनोरंजन
120. विश्वकोश क्या, क्यों और कैसे
121. भारत के प्राचीन शस्त्र-अस्त्र और युद्धकला

अन्य प्रकाशन

122. फिल्म ऐप्रीसिएशन—दि आर्ट ऑफ फाइव डायरेक्टर्स
123. फिल्म एज़ ऐन आर्ट एंड फिल्म ऐप्रीसिएशन
124. इफेक्टिव यूज ऑफ डिस्प्ले मैटीरियल इन स्कूल्स
125. सिम्पल विजुअल एड्स फॉर सोशल ऐजूकेशन
126. प्रिपेरिंग ग्राफिक एड्स
127. औडियो-विजुअल हैंडबुक
128. ऐलिमैन्ट्री डॉल मेकिंग
129. बेसिक ऐजूकेशन एंड दि न्यू सोशल आर्डर
130. ऐलिमैन्ट्री ऐजूकेशन इन ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग दि लेटर नाइनटीन्थ सेंचुरी
131. बेसिक ऐजूकेशन ऐब्स्ट्रैक्ट्स
132. फर्स्ट स्टैप इन दि सोशलाईजेशन ऑफ चिल्ड्रन इन दि सी० आई० ई० नर्सरी स्कूल
133. दि कन्सेप्ट ऑफ ऐवोल्यूशन इन ऐजूकेशन
134. क्वालिटेटिव अनालिसिस ऑफ चिल्ड्रन ऐक्सप्लेनेशन्स फीजिकल कैज्युअल्टी
135. ए सर्वे ऑफ स्कूल गाईडेंस सर्विसिज
136. गाईडेंस मूवमेंट इन इंडिया
137. हैंडबुक फॉर काउंसलर्स
138. दि फर्स्ट मैंटल मेज़रमैंट हैंडबुक ऑफ इंडिया
139. पर्सनेलिटी पैर्टन ऑफ डेलिक्वेंट्स
140. सोशल स्टडीज-ए ड्राफट सिलेब्रस फॉर कलासिज, फार I टु XI
141. अवर प्लान एंड प्लान प्रोजैक्ट्स—सोशल स्टडीज सोर्स बुक फॉर बेसिक स्कूल टीचर्ज
142. गाईड बुकलैट फॉर नर्सरी स्कूल टीचर्स
143. सोशल स्टडीज—41 चार्टस एंड टीचर्स मैनुअल फॉर टीचिंग
144. जनरल साइंस—ए हैंडबुक ऑफ ऐक्टीविटीज
145. रीडिंग रैडीनैस किट
146. जनरल साइंस फॉर प्राइमरी स्कूल्स — ए टीचर्स हैंडबुक ऑफ एक्टीविटीज—वाल्यूम I

147. जनरल साइंस फॉर प्राइमरी स्कूल्स—ए टीचर्स हैंडबुक ऑफ एक्टीविटीज—वाल्यूम, II

148. जनरल साइंस फॉर प्राइमरी स्कूल्स—ऐ टीचर्स हैंडबुक ऑफ एक्टीविटीज—वाल्यूम III

149. फर्स्ट इयर बुक ऑफ एज्यूकेशन—ए रिव्यू ऑफ ऐजूकेशन इन इंडिया (1947-61) पार्ट I (रिवाइज्ड ऐडीशन) नैशनल रिव्यू एंड सैंट्रल प्रोग्राम्स

150. फर्स्ट इयर बुक : ऐ रिव्यू ऑफ ऐजूकेशन इन इंडिया (1947-61) पार्ट II (रिवाइज्ड ऐडीशन) स्टेट प्रोग्राम्स

151. सैकेंड इयर बुक ऑफ ऐजूकेशन-ऐलिमैंट्री ऐजूकेशन

152. थर्ड इयर बुक ऑफ ऐजूकेशन—ऐजूकेशनल रिसर्च

पत्र-पत्रिकाएँ

1. स्कूल साइंस : ए क्वार्टरली जर्नल फॉर स्टुडैंटस एंड टीचर्स ऑफ सैकन्ड्री स्कूल्स
2. इंडियन ऐजूकेशनल रिव्यू : ए हाफ-ईअरली जर्नल ऑफ ऐजूकेशनल रिसर्च
3. एन० आई० ई० जर्नल : ए बाई-मंथली ऐजूकेशनल जर्नल

* पाठ्यपुस्तक की कार्य पुस्तक भी उपलब्ध है।

** पाठ्यपुस्तक की अध्यापक-दर्शिका भी उपलब्ध है।

परिशिष्ट-17

वर्ष 1969-70 के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की लेखा विवरणी

समेकित प्राप्तियाँ तथा भुगतान खाता

प्राप्तियाँ		भुगतान	
अन्यशेष	23,01,484.00	**योजनेतर**	
सरकार से सहायतार्थ अनुदान		(क) वेतन तथा भत्तों, कार्यक्रम आदि पर व्यय	1,86,00,987.00
(क) रा० शै० अनु० प्रशि० परि० को सामान्य अनुदान	3,15,90,061.00	(ख) ऋण तथा पेशगियाँ	2,00,000.00
(ख) जन-जातीय शिक्षा एकक को विशेष अनुदान	40,792.00	**योजना**	1,44,04,464.00
		1968-69 के लिए सरकार को लौटाई बिन-खर्ची रकम	18,39,406.00
अन्य स्रोतों से अंशदान	10,825.00	जनजातीय शिक्षा एकक	66,443.00
प्रकाशन आदि की बिक्री	16,87,286.00	जमा रकमें तथा पेशगियां	11,46,784.00
भविष्य निधियाँ	8,96,503.00	इतिशेष	18,18,168.00
अन्य विविध प्राप्तियाँ तथा वसूलियाँ	15,49,601.00		
जोड़	3,80,76,552.00	**जोड़**	3,80,76,552.00

